युवक

वर्ष - 04, अंक - 12, फरवरी, 2020

संस्थापक सम्पादक
स्व. श्री प्रेमदत्त पालीवाल

संरक्षक
स्वामी महेशानंद सरस्वती
आनंद कुटीर, मोतीझील
श्रीधाम वृंदावन

सम्पादक
डॉ. वंदना पालीवाल*

कॉन्सेप्ट एडिटर
अजय शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
इंजी. ज्ञानेंद्र गौतम

वाइस प्रेसीडेंट
(सर्कुलेशन/एडवर्टाइजिंग)
बृजेश शर्मा

सीनियर ग्राफिक डिजायनर
रानू शर्मा

लीगल एडवाइजर
एड. विकास गौतम

विजुअलाइजर
मनोज कुमार/सौरभ सिंह

युवक

ब्यूरो ऑफिस
लखनऊ **ब्रजगोपाल 'चंचल', फोन: 07669231877**
दिल्ली **विनय शर्मा, फोन: 09555220374**

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक **श्रीमती सुधारानी पालीवाल** द्वारा युवक प्रेस जॉस बंगला नं. 4, जीवनी मंडी, **आगरा 282004 (उ.प्र.)** से मुद्रित व प्रकाशित
सम्पादक- **डॉ. वंदना पालीवाल** * पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी,
R.N.I. No.- 2166
सब्सक्रिप्शन भारत में न्यूनतम एक वर्ष के लिए (12 अंक) शुल्क 340+60 (पोस्टल चार्ज)= **रुपये** 400
कृपया डीडी (आगरा में)
YUVAK MASIK PATRIKA के नाम देय हो।
GSTIN NO. 09AGNPP9720D1Z2
DAVP CODE-132863

उपरोक्त अंक में प्रकाशित रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पत्रिका में छपे किसी भी लेख के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न रचनाओं के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री/विज्ञापन आदि से संपादक/प्रकाशक/मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उपरोक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही एवं पूछताछ की अवधि से तीन माह के अंदर की जा सकती है। इसके बाद किसी भी प्रकार की कार्यवाही, पूछताछ के लिए हम बाध्य नहीं हैं। प्रेषित स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सिर्फ आगरा होगा।

संपादकीय कार्यालय

युवक (हिन्दी मासिक)
बंगला नं. 4, जीवनी मंडी,
आगरा-282004, उत्तर प्रदेश
पत्रिका से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए
सम्पर्क सूत्र **+91 9415407766**

लेख अथवा रचनाएं हमें ईमेल करें
yuvakmagazine@gmail.com

हंगामा
प्रदर्शन

20 जेएनयू में कब बनेगा पढ़ने-पढ़ाने का माहौल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा की छवियों को देखकर किसी का भी दिल दहल जायेगा। इस हिंसा के लिए जिम्मेदार जो भी होगा उसे पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन, जेएनयू की इस ताजा घटना से सारा देश सन्न है। देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां तक तो सब ठीक ही है। पर देखने में तो यह आ रहा है कि विरोध के नाम भारत विरोधी शक्तियां भी सिर उठाने लगी हैं। इसे तो हमारे देश की राष्ट्र भक्त जनता द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुंबई में प्रदर्शन के समय 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर भी सामने आ गए।

जरूर पढ़ें
सीएए विरोध

14 केंद्र और राज्य में महाटकराव के बीज

आशंकाएं तो यही हैं कि देश भर में विरोध-प्रदर्शनों का कारण बने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), 2019, एनपीआर और एनआरसी केंद्र-राज्य टकराव की जननी बनने जा रहा है। केरल और पंजाब विधानसभा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित चुकी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 24 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी।

जरूर पढ़ें
चिंताजनक

16 जल है तभी तो कल है

देशभर में व्याप्त चौतरफा नकारात्मक वातावरण से हटकर बिहार ने ह्यजल जीवन हरियालीह्न की अहम जरूरत पर एक महत्वपूर्ण अभियान को शुरू करके देश को अवश्य ही एक नई दिशा दिखाने का सकारात्मक प्रयास तो किया ही है। दरअसल, बिहार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सार्थक पहल कर देश और विश्व के सामने एक नजीर रखना चाहता है।

जरूर पढ़ें
मुश्किल में एयर इंडिया

18 इसलिए जरूरी है एयर इंडिया को बेचना

केन्द्र सरकार की एयर इंडिया को बेचने की मंशा जाहिर करने के पश्चात बहुत सारे तथ्यों से अनभिज्ञ विद्वान कहने लगे हैं कि सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि जन्नत की हकीकत से कोसों दूर बसती है उनकी दुनिया। उन्हें तो मोदी सरकार के हर कदम की ही मीन मेख निकालनी है। उनके पास इस तरह के कोई सुझाव भी नहीं है कि किस तरह से एयर इंडिया को मुनाफे में लाया जा सके। खैर, अच्छी बात यह है कि टाटा उद्योग समूह ने एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी सारी प्रक्रिया को पूरा होने में तो कुछ वक्त लगेगा ही।

जरूर पढ़ें
राजनीति

24 सड़क पर उतरे इस लोकतंत्र को पहचानें हम

अगर कोई पूछे कि इस गणतंत्र दिवस पर, 70 से ज्यादा उम्र के गणतंत्र का क्या हाल है, तो हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस उसे सड़क का रास्ता बता देना है। सारा देश सड़कों पर है, जिसे स्कूलों-कॉलेजों में होना चाहिए था, बाजारों और दूकानों में, घरों और दफ्तरों में होना चाहिए था, वह अगर सड़कों पर उतर आए तो समझ लेना चाहिए कि देश की गाड़ी पटरी से उतर रही है।

46 नई मंजिल
कहानी

42 वेलेंटाइन स्पेशल आकर्षण ही प्रेम हो यह जरूरी नहीं

विपक्ष को भी समझ नहीं आया बजट, आम-आदमी तो दूर की बात

भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो है, ये पार्टी रिकॉर्ड बनाने और पुरानी रीति-नीति को ध्वस्त करने की इच्छाशक्ति रखती है। 2014 से 2019 तक हम कई मौकों पर ये सब देख चुके हैं। इस बात भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले एक पुरानी रीति पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के दिन ही तोड़ दी। इस बार इंडिया गेट पर नहीं बल्कि शौर्य मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खैर बात करते हैं बजट 2020 की। मोदी सरकार पार्ट-2 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद में पेश किया। इतिहास बनाने में वो भी पीछे नहीं हटीं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को आम बजट पेश किया। इस दौरान वो 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ती रहीं। फिर भी आखिरी के दो पेज रह गए। जब वो भाषण खत्म ही करने वालीं थीं तभी उनकी तबियत भी बिगड़ गई। इसके बाद आखिरी पेज बिना पढ़ें ही सदन में रख दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी बजट आम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जीएसटी के बाद से वैसे भी बजट में कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिस आम आदमी के लिए ये बजट बनाया जाता है अगर वो ही इसे समझ न पाए तो फिर क्या फायदा। वित्त मंत्री के भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी सामने आए। उन्होंने बजट को सबसे बेस्ट बजट बता दिया। बताएं भी क्यों नहीं। सरकार के मुखिया तो वो ही हैं।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि टैक्स छूट के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन सिस्टम और सुपरएनुएशन यानी रिटायरमेंट फंड में निवेश की संयुक्त ऊपरी सीमा 7.5 लाख रुपये तक कर दी है। इन तीनों में टैक्स छूट का फायदा मिलता है। बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि एक साल में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फंड और एनपीएस में निवेश की ऊपरी सीमा 7.5 लाख रुपये तय किया जाए। अब इसका मतलब है कि अब किसी ने अगर इससे ज्यादा निवेश किया तो यहां पर टैक्स लगाया जाएगा। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा और आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होगा। इसका मतलब यह है कि इन सभी योजनाओं में किसी कर्मचारी का एक साल में निवेश 7.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। लगता है अब सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) की मांग काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि टैक्स में जो बदलाव किए गए हैं वो अब तक लोगों की समझ से परे है। नए टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री ने 5 से 10 फीसदी तक की कटौती की घोषणा की है। इसके मुताबिक 5 लाख रुपये तक निजी सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक 2.5 लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री है। वहीं 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर पांच फीसदी टैक्स लगता है। वहीं नए टैक्स स्लैब में छूट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तक की कमाई पर 10 फीसदी, इतनी सालाना निजी कमाई पर 20 फीसदी टैक्स देना होता था। 7.5 से 10 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी की जगह 15 फीसदी, 10 लाख से 12.5 लाख तक की कमाई पर 30 की जगह 20 फीसदी और 12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी वालों को भी 30 फीसदी की जगह 25 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ऊपर की कमाई पर पहले की तरह ही 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा। नए टैक्स स्लैब की शर्तों के मुताबिक अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपके लिए यह नियम लागू होगा। नहीं तो पहले की तरह पांच लाख की निजी कमाई में 5 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में अगर छूट चाहिए तो पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक चलना होगा। मतलब कि पहले आपको टैक्स में 100 तरह की रियायतें मिलती थी। आसान भाषा में कहूं तो आप जब टैक्स पे करते थे अगर आप घर का रेंट, स्कूल की फीस, कोई पॉलिसी ली हो तो उतनी टैक्स में छूट मिल जाती थी। लेकिन अब जिसमें आपको 100 प्रकार की छूट का प्रावधान था इसको घटाकर 30 कर दिया गया है। लेकिन यहां भी पेंच है। अब वो 30 चीजें क्या होगीं जिसमें आम आदमी को रियायतें दी जाएंगी वो अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है। टैक्स में छूट के लिए अब आपके पास दो विकल्प हैं। पुराने स्लैब को अगर आप चुनते हैं तो निवेश कर आप छूट पा सकते हैं, वहीं अब नए के मुताबिक आप इस राहत को खर्च करते हुए भी हासिल कर सकते हैं। चयन आपको करना है। इससे पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण में कहा कि देश के लोगों के मन से टैक्स का डर दूर करना है। किसी को भी टैक्स की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होने कहा कि टैक्स देने वालों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। ■

> ***टैक्स चोरी करनेवालों के लिए कड़ा कानून बनाने की बात भी कही है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए देश में टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा। कई-कई हजार करोड़ की घोषणाएं सुनकर मानों ऐसा लगता है कि अब विकास की गंगा बहेगी और जमीनी स्तर पर भी बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बजट का रोना यही है उल्टा सीधा सब एक समान।***

डॉ. वंदना पालीवाल

सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास

71वें गणतंत्र दिवस

की

हार्दिक शुभकामनाएं

“ हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेद–भाव के समान अवसर प्रदान करता है। संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास’ को केन्द्र में रखकर 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ”

–योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

गंगा यात्रा से जुड़ें निर्मल और अविरल गंगा बनाने में भागीदार बनें

गंगा यात्रा
27-31 जनवरी, 2020

मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला
सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार
2 फरवरी, 2020 से

defexpo DEFEXPO 20 INDIA
Ministry of Defence
5-8 फरवरी, 2020

लखनऊ में पहली बार भारत के रक्षा शौर्य का अनुभव करें

उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का ही उपयोग करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

मौलिक अधिकार लगाते हैं राज्य की शक्तियों पर अंकुश

किसी भी देश का संविधान, नागरिकों और राज्य के बीच एक पवित्र बंधन है। इसके साथ ही वह एक संविदा भी है। संविधान की संकल्पना हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा दिए गए ह्लसामाजिक संविदाह्व के सिद्धांत के आधार पर मूर्त रूप ले पाई। उनके अनुसार, राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई कि जो प्राकृतिक व्यवस्था थी, उसमें इंसान एक स्वार्थी, पाशविक, बुरा और तंग नजरिए वाला था। ऐसे में उसके जीवन और संपत्ति को खतरा था। इन परिस्थितियों में उनके बीच जो सबसे अच्छा व्यक्ति था, उससे लोगों ने कहा कि आप हमारे राजा बन जाओ और हमारे अधिकारों की रक्षा करो। यानी राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, वह इसलिए हुई कि वह लोगों के जीवन और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करे।

फैजान मुस्तफा

सवाल यह उठा कि राज्य के पास असीमित शक्तियां हो गई हैं, क्योंकि राज्य को कानून बनाने का अधिकार मिल गया, उसे किसी भी देश के खिलाफ जंग छेड़ने का भी अधिकार मिल गया। ऐसे में उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, यह सवाल उठने लगे। इसलिए राज्य को अपनी सीमाओं में बांधे रखने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान का पालन करने की मूलभूत जिम्मेदारी राज्य की होती है। संविधान राज्य की शक्तियों को मौलिक अधिकारों के जरिए नियंत्रित करता है। ऐसे में जो भी मौलिक अधिकार हैं, वह राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं। लेकिन भारत में सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं बन पाए। कुछ ही मानवाधिकारों को संविधान ने मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। बाकी बचे मौलिक अधिकारों को संविधान के अध्याय-4 के तहत नीति-निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कर दिया गया है। मौलिक अधिकार अध्याय-3 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का यह अध्याय संविधान की आत्मा है। वास्तव में संविधान किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं देता है, बल्कि उन अधिकारों के साथ हर इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है। हमें यह समझना चाहिए कि संविधान केवल मौलिक अधिकारों पर मुहर लगाता है। बाल गंगाधर तिलक ने जब 1905 में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, उस वक्त कोई संविधान नहीं था। बाद में दुनिया के संविधानों और मानवाधिकारों में आत्म-निर्णय के अधिकार को जगह दी गई। यह जानना भी बेहद जरूरी है कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया कोई उपहार या दान नहीं है, बल्कि यह वह अधिकार है, जिनके साथ हर इंसान इस संसार में आता है।

संविधान और मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह अनुच्छेद 13 से शुरू होकर अनुच्छेद 32 तक जाते हैं। अनुच्छेद 32 यह बताता है कि मौलिक अधिकारों को किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके लिए वह दिशा-निर्देश देता है। इसी खासियत के कारण डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 यह अधिकार देता है कि देश का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपील करने के मिले इस अधिकार से, यह समझा जा सकता है कि संविधान की नजर में मौलिक अधिकार का कितना महत्व है। अहम बात यह है कि मौलिक अधिकारों के हनन के लिए नीचे की अदालतों में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भारत के संविधान में पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में दो अभिव्यक्तियां इस्तेमाल की गई हैं। पहला हिस्सा यह है कि कानून के सामने सभी समान हैं। यह अधिकार इंग्लैंड के उस सिद्धांत से आया है, जिसमें कहा गया है कि कानून का राज होगा। दूसरी अहम अभिव्यक्ति यह है कि सभी को समान रूप से कानून का संरक्षण मिलेगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के लिए एक ही कानून होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि समान लोगों के लिए समान कानून होगा। यानी एक वर्गीकरण संभव है। इसी आधार पर भारत सरकार कह रही है कि नया नागरिकता अधिनियम, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। इसी वर्गीकरण के आधार पर सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता दे सकती है। दूसरी तरफ इस कानून के विरोध में जो लोग हैं, उनका तर्क यह है कि भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता पर आधारित है, इसीलिए किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-14 पर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला 1973 में ई.पी.रोयप्पा केस में दिया था।

फैसले में कहा गया कि यही जरूरी नहीं है कि कोई कानून पूरे तर्कों के आधार पर बनाया गया है। यानी उसमें जो चीजें शामिल की गईं और जो चीजें छोड़ दी गईं, उनमें बहुत साफ और स्पष्ट अंतर होना जरूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि कानून में अंतर करने का कोई खास तार्किक लक्ष्य होना चाहिए और यह अंतर एकदम न्यायसंगत और तर्कसंगत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि इन गुणों के साथ कानून को किसी भी हालत में मनमाना नहीं होना चाहिए।

नया कानून कितना संवैधानिक

अब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि कानून में छह धर्मों के मानने वालों को शामिल किया गया और यहूदी और इस्लाम धर्म के मानने वालों को शामिल नहीं किया गया, यह एक मनमानी बात है। दूसरी बात वे यह कह रहे हैं कि इन्हीं तीन देशों में और बहुत-से लोग धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हैं। जैसे पाकिस्तान में अहमदिया और शिया, अफगानिस्तान में हजारा हैं। उनको नए कानून का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तीसरी दलील उनकी यह है कि केवल इन्हीं तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है। बल्कि श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जैसे, वहां का राष्ट्र गान तमिल भाषा में भी गाया जाता था, लेकिन अब उसमें यह प्रावधान आ रहा है कि वह तमिल में नहीं गाया जाएगा।

इसी तरह कई लाख तमिल हिंदू शरणार्थी हैं। उन्हें नागरिकता देने से क्यों वंचित किया जा रहा है? इसी तरह भूटान में ईसाइयों को गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। उनको भारत में आकर प्रार्थना करनी पड़ती है। ऐसे में उनको क्यों शामिल नहीं कर रहे है? म्यांमार में जहां रोहिंग्या के साथ एक तरह से नरसंहार हो रहा है, वे भारत में आए हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई है। यह भी एक मनमाना रवैया है। यानी जिसको आप चाह रहे हैं, उसे नागरिकता दे रहे हैं और जिसे नहीं चाह रहे हैं उसे नहीं दे रहे हैं। इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

> “इसी तरह अनुच्छेद-25 में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की स्वतंत्रता पर अकुंश भी लगाया। कोर्ट ने इस अधिकार को इसलिए व्यापक नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न धर्मों की कुरीतियों को संरक्षण देना नहीं चाहता था। इसीलिए जब यह मामला आया कि हिंदू मंदिरों में अछूतों को जाने की इजाजत मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई संकल्पना निकाली, जिसमें वह खुद एक धार्मिक संस्था बन गया, जिसमें वह तय करता है कि किसी धर्म की मूल भावना क्या है।”

सुप्रीम कोर्ट ने किया विस्तार

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। मनमाने ढंग से लागू किए गए किसी फैसले से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वह भले ही संविधान में न लिखी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे माना है। रोयप्पा मामले की तरह 1979 में रमन्ना दयाराम शेट्टी और द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला दिया था। उस वक्त एयरहोस्टेस के लिए यह नियम था कि किसी भी एयरहोस्टेस के पास नौकरी मिलने के बाद कुछ वर्षों तक विवाह करने का अधिकार नहीं होगा और विवाह के बाद उसे कुछ वर्षों तक बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं होगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो उसने कहा कि मां बनने का अधिकार औरत से नहीं छीना जा सकता है। अभी दो साल पहले तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अवैध माना कि मुस्लिम पति मनमाने तरीके से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। इसके अलावा पिछले 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वह अनुच्छेद 21 में किया है। जब नया-नया संविधान बना था तो तमिलनाडु में कम्युनिस्ट नेता ए.के.गोपालन को अपराध निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी इस गिरफ्तारी को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो उसने कहा कि ह्लअनुच्छेद 21 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को छीन सकती है, अगर उसके लिए कोई कानून बना दिया गया है। एक अपराध निरोधक कानून बना हुआ है, उसके तहत गोपालन को गिरफ्तार किया गया, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।ह्व उस फैसले में न्यायाधीश फजल अली ने बहुमत के फैसले से अलग राय रखी थी। इसी तरह जब जनता सरकार 1978 में आई। उस वक्त मेनका गांधी एक सूर्या नाम की पत्रिका चलाती थीं। उनका पासपोर्ट, पासपोर्ट एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया, तो वे सुप्रीम कोर्ट गईं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत गणराज्य पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जो लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, वह सिर्फ एक कानून बनाने से नहीं छीना जा सकता है। बल्कि न्यायालय यह देखेगा कि क्या वह कानून न्याय देता है, उससे कोई भेदभाव नहीं होता है, वह तार्किक है और वह मनमाने तरीके से तो नहीं लागू किया गया है। असल में अनुच्छेद 21 को ड्रॉफ्ट करते समय, संविधान संभा ने उसमें तय प्रक्रिया शब्द को हटा दिया था और कानून द्वारा लाई गई प्रक्रिया को शामिल कर लिया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए वापस संविधान में शामिल कर दिया।

इमरजेंसी की उलटबांसी

इसके बाद इमरजेंसी में कुछ गलत फैसले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे, जिसमें एडीएम जबलपुर का मामला भी शामिल है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति की अधिसूचना से निलंबित कर दिया था। इस फैसले के बाद काफी लोग इमरजेंसी में अपराध निरोधक कानून के तहत बंदी बनाए गए थे, उन लोगों ने विभिन्न हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की। तब देश के नौ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 को निलंबित किए जाने के बावजूद स्वतंत्रता का अधिकार और अदालत में गैर-कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जाने का अधिकार समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अनुच्छेद-21 ही केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने का माध्यम नहीं है। इसके बाद हाईकोर्टों के अपने खिलाफ दिए गए फैसले पर इंदिरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 4-1 से एक फैसला दिया। उसमें यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अदालत जाने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद-21 निलंबित है। सिर्फ एक न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने फैसले के खिलाफ अपनी राय रखी। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत में अगर कभी भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई जाएगी तो वह न्यायाधीश खन्ना की होगी।

जनहित याचिका की पहल

इमरजेंसी खत्म हुई तो उस समय न्याय प्रणाली साख के संकट से गुजर रही थी। समाज में न्यायाधीशों की विश्वसनीयता कम हो गई थी। इसलिए उस सम्मान को दोबारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछता कि उसके किस अधिकार का हनन हुआ है, बल्कि वह पूछता है कि किसके अधिकार का हनन हुआ है। इस कदम के बाद लोगों ने यह लिखा कि अब सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के दुख-दर्द को गंभीरता से लेने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत व्यापक व्याख्या भी कर डाली। यानी अनुच्छेद-21 में उसने 20-21 अतिरिक्त अधिकार भी जोड़ दिए। जैसे, उसने कहा कि अनुच्छेद-21 में रोजगार का अधिकार, अच्छी हवा पाने का अधिकार, अच्छा वातावरण पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्यायिक मामलों के जल्द निस्तारण का अधिकार भी शामिल है। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि किसी को हथकड़ी लगाने का तभी अधिकार है, जब पुलिस को यह लगे कि अ?भियुक्त के भागने का डर है। इसी तरह बिहार के भागलपुर से सुप्रीम कोर्ट को किसी ने एक पत्र लिखा कि वहां जेलों में कैदियों के आंखों में सुइंयां चुभो कर उनको अंधा बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फौरन संज्ञान लेते हुए कैदियों को फौरन दिल्ली के एम्स लाकर इलाज कराने और उन्हें हजार्ना देने का आदेश दिया। इसी तरह अवैध गिरफ्तारी के मामले में भीम सिंह और रोबाल शाह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले सुनाए। अनुच्छेद-32 के तहत कभी मुआवजा नहीं दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी व्यवस्था की। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को व्यापक बनाने के लिए दो तरीके बनाए। एक, अनुच्छेद-12 में जहां राज्य को परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा को व्यापक कर दिया। अनुच्छेद-12 उसमें जो शब्द दूसरी अथॉरिटी आया है, उस शब्द की परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, ऐसे में परिभाषा सीमित कर दी जाएगी तो मौलिक अधिकार भी सीमित हो जाएंगे। दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-21 की बहुत व्यापक व्याख्या की। इस तरह भारत में अधिकारों की क्रांति लाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। यह परिभाषा कितनी व्यापक हो गई, इसे रतलाम म्युनिसिपलिटी के मामले में समझा जा सकता है। जहां रतलाम में पैसे नहीं होने का हवाला देकर म्युनिसिपल बोर्ड ने नालियां साफ करने से इनकार कर दिया था।

> एक बात और स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में चोली दामन का साथ संविधान नहीं मानता है। यानी जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार भी नहीं मिलेगा। इसे संविधान में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय संस्कृति में भले ही कर्तव्यों को महत्ता दी गई है लेकिन संविधान अधिकारों के मुकाबले कर्तव्यों को महत्व नहीं देता है। पर यदि देश को आगे जाना है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अधिकारों की मांग करनी चाहिए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई दलील नहीं है, पैसा हो या नहीं हो आपको नालियां साफ करनी होंगी। लोगों के पास अनुच्छेद-21 के तहत अधिकार है कि लोगों को नालियां साफ मिलें। इसी तरह देहरादून में चूना पत्थर की कटाई की वजह से काफी प्रदूषण हो रहा था, तो आरएलईके के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है, क्योंकि शुद्ध वातावरण मिलना मौलिक अधिकार है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में मौलिक अधिकारों का कितना महत्व है।

धार्मिक स्वतंत्रता

इसी तरह अनुच्छेद-25 में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की स्वतंत्रता पर अकुंश भी लगाया। कोर्ट ने इस अधिकार को इसलिए व्यापक नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न धर्मों की कुरीतियों को संरक्षण देना नहीं चाहता था। इसीलिए जब यह मामला आया कि हिंदू मंदिरों में अछूतों को जाने की इजाजत मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई संकल्पना निकाली, जिसमें वह खुद एक धार्मिक संस्था बन गया, जिसमें वह तय करता है कि किसी धर्म की मूल भावना क्या है। अभी हाल ही में आए सबरीमला मामले में नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ यह देखेगी कि भगवान अयप्पा के मंदिर में 10-50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने की अनुमित होनी चाहिए या नहीं। भगवान अयप्पा को मानने वाले का कहना है कि भगवान ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस उम्र की महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह अनुच्छेद-30, जिसमें अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है। उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक व्याख्या की है। इसके तहत अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार होगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द चयन के अनुसार है। अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हों या भाषाई हों, उनको अधिकार होगा कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित और प्रशासित कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 1957 के केरल मामले पर अपने फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात चयन के अनुसार पर ही जोर दिया है। उसने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के पास अधिकार है कि वे इसे जितना चाहें व्यापक बना लें। उसी आधार पर अधिकार भी तय होंगे। इसमें कुछ गलत फैसले भी आए। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर सुप्रीम कोर्ट का 1968 में एक गलत फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली खंडपीठ अब इस पर दोबारा सुनवाई करेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां और मुसलमानों ने नहीं की, बल्कि उसकी स्थापना संसद ने की थी, इसलिए वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है।

अधिकार बनाम दायित्व

कभी-कभी यह भी होता है कि जो सरकारें मनमाने फैसले की तरफ ज्यादा जाती हैं, वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ज्यादा उनके कर्तव्यों की बातें करने लगती हैं। जब संविधान 1950 में लागू हुआ, तो उसमें नागरिकों के कर्तव्यों को नहीं बताया गया था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों के अध्याय-4ए को शामिल किया। इसके लिए अनुच्छेद 51-ए जोड़ा गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी यह नहीं कहा था कि जो अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, उसे अपना मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। एक बात और स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में चोली दामन का साथ संविधान नहीं मानता है। यानी जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार भी नहीं मिलेगा। इसे संविधान में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय संस्कृति में भले ही कर्तव्यों को महत्ता दी गई है लेकिन संविधान अधिकारों के मुकाबले कर्तव्यों को महत्व नहीं देता है। पर यदि देश को आगे जाना है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अधिकारों की मांग करनी चाहिए। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो फैसले दिए हैं, वह पूरे विश्व में बहुत इज्जत से देखे जाते हैं। यूरोप के मानवाधिकार न्यायालयों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में भारत के फैसलों को नजीर मानकर कई अहम फैसले दिए गए हैं। बांग्लादेश में जब सैनिक तानाशाह जियाउर रहमान ने इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित किया, उस वक्त वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती के फैसले को आधार मानते हुए जियाउर रहमान के फैसले को निरस्त कर दिया था। ■

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

पिछले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर और दूसरे मामलात में वह तत्परता नहीं दिखलाई, जैसी 80 और 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी। इसकी वजह से बहुत से लोगों को लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इमरजेंसी के जमाने की तरफ जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को अभिव्यक्ति का अधिकार मानकर एक बहुत अच्छी पहल की है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट पर जो इल्जामों का साया मंडरा रहा है, उससे बचने और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश उसने की है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना है, तो सुप्रीम कोर्ट को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि देश में बहुलतावाद बना रहे, क्योंकि संसद में जिसके पास बहुमत है, तो वह जो चाहे वह करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि बहुमत वाली सरकार बहुसंख्यकवाद नहीं करने पाए। साथ ही सरकार कोई मनमानी न करे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन न करने पाए और संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध भी न जाए।

केजरीवॉल कितनी मजबूत

सिर पर मफलर बांधे अरविंद केजरीवाल, 2015 में भ्रष्टाचार के खिलाफ गूंजे अन्ना आंदोलन से, खड़े हुए नायक के रूप में, दिल्ली की गद्दी पर 67 सीटों के भारी-भरकम जनादेश के साथ बैठे थे। वे इस समय अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस परीक्षा में वे न सिर्फ "मफलरमैन" वाली छवि तोड़ना चाहते हैं, बल्कि बात-बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले आतुर केजरीवाल भी नहीं दिखना चाहते। सत्ता में वापसी के लिए आम आदमी पार्टी की यह नई रणनीति है। उसका सारा जोर केजरीवाल को ऐसे नेता के रूप में पेश करने पर है, जो सबका है। वह वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थयात्रा कराता है, तो बच्चों की पढ़ाई से लेकर दिल्लीवासियों की सेहत का भी ख्याल रखता है। बिजली, पानी से लेकर बस यात्रा तक में निचले तबके और मध्यम वर्ग को राहत देने का काम करता है। यही नहीं, दिल्ली के 1.46 करोड़ मतदाताओं को यह भरोसा देने की भी कोशिश करता है कि अगले पांच साल तक ऐसी ही सुविधाएं मिलती रहेंगी। इस भरोसे को मजबूत करने के लिए पार्टी केजरीवाल का गारंटी कार्ड का भी दांव चलती है।

प्रशांत श्रीवास्तव

असल में, 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी सातों सीटें गंवाई थी, वह उसके लिए बड़े सदमे जैसा था। 2015 के विधानसभा चुनावों में 56.86 फीसदी वोट पाने वाली पार्टी महज चार साल में 18 फीसदी वोटों पर सिमट गई थी। पांच सीटों पर तो वह कांग्रेस से पिछड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। विधानसभा चुनाव के महज एक साल पहले सत्ताधारी पार्टी के इस प्रदर्शन ने उसे नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। इसी का परिणाम है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बूथ कार्यकताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल न केवल दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं, बल्कि विज्ञापनों के जरिए जनता के पैसे की बबार्दी भी कर रहे हैं, तो इस तीखे प्रहार के बाद भी केजरीवाल अपना पहले जैसा तेवर नहीं दिखाते। वे केवल यही कहते हैं, मैंने उनका पूरा भाषण सुना, उसमें वे केवल मुझे गाली दे रहे थे। मुझे तो उम्मीद थी कि दिल्ली के विकास के लिए क्या करना चाहिए, वे इस पर चर्चा करेंगे और हमारी सरकार की कमियों के बारे में बताएंगे।

पार्टी की बदली हुई रणनीति पर प्रशांत किशोर की छाप साफ तौर पर दिखती है। चुनाव रणनीतिकार के रूप में अपनी खास पहचान बना चुके किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने साथ जोड़ा है।

किशोर की रणनीति साफ है कि वह किसी भी हालत में टकराव करने वाले केजरीवाल की याद जनता को नहीं दिलाना चाहते हैं। वह भाजपा के इन आरोपों को भी तोड़ना चाहते हैं कि केजरीवाल तानाशाह हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। इसलिए इस बार पार्टी की अधिकतर सभाओं में राष्ट्रगान बजता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी बड़ी होशियारी से अपने आपको नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे आंदोलन से दूर रखा है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा के बाद भी केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे हैं। पार्टी की सीधी-सी रणनीति है कि चुनावों से पहले भाजपा को कोई ऐसा मौका न मिले, जिससे मतदाता पार्टी से दूर हों। पार्टी ने बैनर और पोस्टर में भी सफेद रंग की जगह पीला और काला रंग अपना लिया है। पीला रंग हिंदुओं में शुभ माना जाता है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में से एक मनीष सिसोदिया कहते हैं, हम अपने सकारात्मक कामों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अकेले शिक्षा के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस को हरा देगी। आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल तैयार किया है, वह किसी के पास नहीं है। सिसोदिया पिछली बार की तरह इस बार भी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा के रवि नेगी और कांग्रेस के लक्ष्मण रावत मैदान में हैं। उनके क्षेत्र में सीवर लाइन और पार्किंग लोगों की अहम समस्याएं हैं। कारोबारी सुशील कहते हैं, बिजली और पानी कम आय वालों के लिए फ्री हो गया है, महिलाएं भी बसों में मुफ्त सफर कर रही हैं, सरकारी स्कूल और अस्पताल बेहतर हुए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी पर फिर भरोसा करेंगे। व्यापारी नोटबंदी, जीएसटी और सीलिंग से परेशान हैं, इसलिए भाजपा से दूरी रखेंगे। दिल्ली के किसी भी इलाके में जाइए, यह बात साफ नजर आती है कि लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के निशाने पर भाजपा ही है। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं, भाजपा जैसी पार्टियां आम आदमी पार्टी की मुफ्त सेवाओं का विरोध कर रही हैं, जबकि हमारी जनहितकारी योजनाओं को यहां की जनता पसंद कर रही है।

लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सातों सीटें जीतने वाली भाजपा इस समय केजरीवाल बनाम कौन के सवाल से परेशान है। साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी भी उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, वरिष्ठ नेता विजय गोयल की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कार्यकताओं में कन्फ्यूजन बढ़ा रही है।

केजरीवाल के मुकाबले चेहरे की कमी को पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी बखूबी समझ रहा है। उसे इस बात का अहसास है कि गुटबाजी और प्रमुख चेहरा नहीं होने की वजह से राजधानी में 20 साल से सत्ता से दूरी और लंबी हो सकती है। इसलिए चुनावों में पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर वोट लेने की रणनीति अपनाई है। पार्टी उनसे 8-10 रैलियां कराना चाहती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं कराने की तैयारी है। भाजपा का दिल्ली में इस बार बड़ी रैलियों से ज्यादा छोटी-छोटी जनसभाएं करने पर जोर है। पार्टी 400-500 ऐसी जनसभाएं करेगी। दिल्ली के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं, ह्लमैं भाजपा की जीत को लेकर सौ फीसदी आश्वस्त हूं। अब एक ही नारा है- देश बदला है, अब दिल्ली बदलो।ह्व लेकिन सत्ता में भाजपा की कैसे वापसी होगी इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल कहते हैं, ह्लजनता प्रदूषण से त्रस्त है और गंदा पानी पीने को मजबूर है। केजरीवाल सरकार को सबक सिखाने के लिए लाखों की संख्या में साइलेंट वोटर तैयार हैं।

भले ही भाजपा के नेता आम आदमी पार्टी की योजनाओं का सार्वजनिक रूप से विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी को भी इस बात का अंदाजा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 20 हजार लीटर मुफ्त पानी और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाएं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय साबित हुई हैं। इसलिए मनोज तिवारी कहते हैं, भाजपा की सरकार अगर बनती है तो दिल्लीवासियों को अभी जो मिल रहा है, उससे ज्यादा हमारी सरकार देगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का सारा जोर डोर-टू-डोर कैंपेन पर है।

पार्टी नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को राष्ट्रवाद के नाम पर भुनाना चाहती है। 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला उसे फायदा पहुंचा सकता है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर भी भाजपा की खातिर बूथ मैनेजमेंट के लिए उतारे गए हैं। इसका मकसद यह है कि भाजपा के समर्थक मतदान करने जरूर पहुंचें।

दिल्ली चुनाव की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट नई दिल्ली है, जहां से मुख्यमंत्री केजरीवाल तीसरी बार जीत का परचम लहराने की तैयारी में हैं। पार्टी यही चाहती है कि इस बार जीत का मार्जिन पिछली बार से ज्यादा हो। इसीलिए चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी सुनीता और बच्चे भी उतर गए हैं। पिछली बार केजरीवाल को 64 फीसदी वोट मिले थे। केजरीवाल ने पर्चा भरने से पहले रोड शो में भी अपनी मजबूती दिखाने की पूरी कोशिश की।

“दिल्ली चुनाव की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट नई दिल्ली है, जहां से मुख्यमंत्री केजरीवाल तीसरी बार जीत का परचम लहराने की तैयारी में हैं। पार्टी यही चाहती है कि इस बार जीत का मार्जिन पिछली बार से ज्यादा हो। इसीलिए चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी सुनीता और बच्चे भी उतर गए हैं। पिछली बार केजरीवाल को 64 फीसदी वोट मिले थे। केजरीवाल ने पर्चा भरने से पहले रोड शो में भी अपनी मजबूती दिखाने की पूरी कोशिश की।”

केजरीवाल के मुकाबले में किसे उतारा जाए, यह ऊहापोह भाजपा और कांग्रेस में साफ तौर पर दिख रहा है। इसलिए दोनों पार्टियों ने नामांकन के आखिरी दिन से ठीक पहले अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने दिल्ली में अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव को केजरीवाल के खिलाफ उतारा है, तो कांग्रेस से रोमेश सभरवाल मैदान में हैं। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है।

आम आदमी पार्टी और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस क्यों पिछड़ती नजर आ रही है, इस सवाल पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है, ह्लआम आदमी पार्टी, भाजपा की बी टीम है। आम आदमी पार्टी सरकार का शिक्षा मॉडल सबसे बड़ा धोखा है। केवल एक साल में सरकारी स्कूलों में 1.50 लाख बच्चे कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने 15 साल के शासन और अपनी साफ नीयत के साथ जनता के बीच जा रही है। हमें भरोसा है कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हरियाणा चुनावों से पहले भी कांग्रेस को कमतर आंका जा रहा था, पर नतीजों से साफ है कि पार्टी वहां कैसे मजबूत हुई। कांग्रेस दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध को अपने लिए संजीवनी मान रही है। उसे लगता है कि पिछली विधानसभा चुनावों में जो मुस्लिम वोटर उससे दूर हो गए थे, वे इस बार उसके साथ आ सकते हैं। खास तौर से जिस तरह आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को लेकर सधा हुआ रुख अपना रखा है। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता लगातार शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद और शशि थरूर से लेकर मणिशंकर अय्यर जैसे नेता लगातार वहां पहुंचे हैं। शाहीन बाग में रहने वाले फैजान मुस्तफा का कहना है, सीएए और एनआरसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के साथ आने से बड़ा संदेश गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ खड़े हैं। चुनावों में इस बार पूर्वांचली वोट भी काफी मायने रखने वाला है। इसकी वजह राज्य की करीब 30 सीटों पर इनकी निर्णायक भूमिका है। इसीलिए आप ने 13 पूर्वांचली नेताओं को टिकट दिया है, तो भाजपा की 57 सीटों की पहली सूची में आठ पूर्वांचली उम्मीदवारों के नाम हैं। साथ ही भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के भरोसे भी इन वोटरों को भुनाने की बड़ी आस लगाए हुए है। इसके अलावा भाजपा, जनता दल (यूनाइटेड) और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर रही है। पूर्वांचली वोटर की तरह दिल्ली में पंजाबी वोटर भी 28-30 सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। इन पर भाजपा का खासा प्रभाव रहा है। लेकिन पिछले चुनावों में यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी है। ऐसे में, दोनों पार्टियों की इन वोटरों पर खास नजर है। चुनावों से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से मिला है, जिसने सीएए का विरोध करते हुए दिल्ली में भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार अकाली दल दिल्ली में चार सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा दो सीटें से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। चुनाव में इन समीकरणों के अलावा युवा मतदाता भी काफी मायने रखते हैं। राज्य में 51 फीसदी मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 39 साल से कम है। 2015 में आम आदमी पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाने में इन मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में युवा क्या सोच रहा है, इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए इंग्लिश के छात्र चंदन कुमार कहते हैं, ह्लयुवा गुस्से में है। जिस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जेएनयू के छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, वह दिखाता है कि मोदी सरकार छात्रों से असुरक्षित महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता के मन में क्या है, यह सवाल सभी राजनीतिक दलों को परेशान किए हुए है। एक तरफ भाजपा नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद के नाम पर तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी लोकलुभावनी योजनाओं से जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के पास अब भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के 15 साल के कामकाज की यादे हैं। अब आठ फरवरी को मतदाता किसकी बातों पर भरोसा कर वोट डालेंगे, यह 11 फरवरी को ही पता चल पाएगा। ■

सीएए, एनपीआर, एनआरसी

केंद्र और राज्य में महाटकराव के बीज

नए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे गैर-भाजपा शासित राज्य, एनपीआर का भी विरोध बढ़ा

आशंकाएं हैं कि देश भर में विरोध-प्रदर्शनों का कारण बने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), 2019, एनपीआर और एनआरसी केंद्र-राज्य टकराव की जननी बनने जा रहा है। केरल और पंजाब विधानसभा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित चुकी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 24 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा में प्रस्ताव लाने जा रही हैं। उन्होंने गैर-भाजपाशासित और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है। केरल सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और पंजाब की भी यही तैयारी है। दोनों राज्यों ने एनपीआर-एनआरसी को लागू करने से भी मना कर दिया है। केरल ने 14 जनवरी को केंद्र-राज्य संबंधों वाले अनुच्छेद 131 के तहत याचिका दायर की है।

एस.के. सिंह

सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ 60 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई 22 जनवरी से हो रही है। इस बीच सरकार ने 10 जनवरी 2020 को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन सवाल है कि राज्य लागू करने से इनकार करते हैं तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने आउटलुक से कहा, सीएए के खिलाफ याचिका दायर करने से कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह नागरिकों के अधिकार होते हैं उसी तरह राज्यों के भी अधिकार होते हैं। संकट तब होगा जब राज्य एनपीआर या एनआरसी लागू करने से मना करेंगे। तब केंद्र सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग कर सकता है। अगर तब भी राज्यों ने इस पर अमल नहीं किया तो कोर्ट इसे अवमानना मान कर कार्रवाई कर सकता है। केंद्र सरकार भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। हालांकि यह आसान नहीं होगा क्योंकि तब राज्य में छह महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि नागरिकता कानून संविधान का उल्लंघन नहीं करता। आउटलुक से उन्होंने कहा, विरोध बेमानी है, इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि प्रस्ताव पारित करके राज्य यह जताना चाहते हैं कि वे केंद्र के फैसले से सहमत नहीं हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य सरकार के लिए यह कहना मुश्किल होगा कि संसद द्वारा पारित कानून लागू नहीं करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सिब्बल की बात का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र के साथ राज्यों के गंभीर मतभेद हैं, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के ही एक और नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी कहा कि संसद से पारित कानून लागू करने से राज्य इनकार नहीं कर सकते। हालांकि बाद में कांग्रेस का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक राज्यों को नागरिकता कानून लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पार्टी के नेता अहमद पटेल ने कहा कि पंजाब के बाद हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं। 13 जनवरी को कांग्रेस और 19 अन्य विपक्षी दलों ने एक बैठक करके सीएए वापस लेने और एनपीआर-एनआरसी पर काम रोकने की मांग की थी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में 2021 की जनगणना पुराने मानकों के आधार पर होगी, केंद्र सरकार ने एनपीआर के लिए जो नए मानक जोड़े हैं उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। जर्मनी में 1930 में हिटलर के समय जो हुआ था अब वह भारत में हो रहा है। जर्मनीवासियों ने तब इसका विरोध नहीं किया, जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ, लेकिन हम अभी इसका विरोध करेंगे ताकि हमें बाद में न पछताना पड़े। पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने तो प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन सबसे विचित्र स्थिति एनडीए के घटक शिरोमणि अकाली दल की है। उसने प्रस्ताव का तो विरोध किया, लेकिन यह भी कहा कि वह पूरे देश में एनआरसी लागू करने के खिलाफ है। दल ने नागरिकता कानून में मुसलमानों को भी शामिल करने की मांग की।

इस बीच, भाजपा ने सीएए के बारे में बताने के लिए तीन करोड़ परिवारों के घर-घर जाने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए राज्यसभा सांसद अनिल जैन की अध्यक्षता में छह सदस्यों की समिति बनाई गई है। इसके अलावा करीब एक हजार रैलियां भी की जाएंगी। पार्टी के नेता अब जगह देखकर बयान देने लगे हैं। बिहार में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर तो लोगों से समर्थन मांगा, लेकिन एनआरसी का जिक्र नहीं किया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनआरसी के खिलाफ हैं। सीएए के खिलाफ आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से बदला लेने की बात कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे रखकर नागरिकता कानून के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगले साल शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए वहां इस मुद्दे पर भाजपा का आक्रामक रुख बना हुआ है। प्रदेश भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने बयान दिया कि सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में अवैध रूप से रह रहे 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजा जाएगा। इससे पहले घोष कह चुके हैं कि भाजपा-शासित राज्यों में सीएए विरोधियों को कुत्तों की तरह मारा गया। उधर, टकराव को नई धार देते हुए केरल कैबिनेट ने 20 जनवरी को प्रस्ताव पारित कर दिया कि राज्य सरकार एनपीआर अपडेट करने में केंद्र का सहयोग नहीं करेगी। एनपीआर पर 1 अप्रैल 2020 से काम शुरू होना है जो 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर 17 जनवरी को बैठक भी बुलाई थी। इसमें कई राज्यों ने माता-पिता के जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े सवाल पर आपत्ति जताई। बैठक में पश्चिम बंगाल ने हिस्सा नहीं लिया।

इस बीच, सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 73 जिलों में 30 लाख लोगों से एनपीआर के लिए जानकारियां मांगी थीं। लोग पैन की जानकारी देने में झिझक रहे थे, इसलिए उसे हटाने का फैसला किया गया है। इसकी जगह मातृ भाषा का कॉलम जोड़ा जा सकता है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का यह भी कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और आधार नंबर जैसी जानकारियां देना लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। 2010 में पहला एनपीआर हुआ था तो उसमें 14 तरह की जानकारियां मांगी गई थीं। नए एनपीआर में माता-पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि के अलावा पिछला निवास, आधार (वैकल्पिक), वोटर कार्ड, मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जोड़े गए हैं। असम में तो सीएए का विरोध जारी ही है। असम समझौते के क्लॉज 6 पर बनी 14 सदस्यों वाली समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में असमियों की पहचान और विरासत की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान करने की सिफारश की है। इनर लाइन परमिट और विधानसभा और नौकरियों में आरक्षण की भी बात है। केंद्र सरकार ने समिति को अंतिम रिपोर्ट सौंपने की अवधि एक महीने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। लेकिन विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री की दो रैलियां रद्द हो चुकी हैं। विरोध का आलम तो यह है कि गोवा में 16 जनवरी को शिक्षा विभाग के संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम में आठवीं कक्षा की छात्रा दीक्षा तलाउलिकर ने कहा, इस कानून में संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना, आजादी, समानता और भाईचारा की हत्या कर दी गई है। अब देखना है, यह टकराव क्या शक्ल लेता है। ■

> “प्रधानमंत्री की दो रैलियां रद्द हो चुकी हैं। विरोध का आलम तो यह है कि गोवा में 16 जनवरी को शिक्षा विभाग के संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम में आठवीं कक्षा की छात्रा दीक्षा तलाउलिकर ने कहा, इस कानून में संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना, आजादी, समानता और भाईचारा की हत्या कर दी गई है। अब देखना है, यह टकराव क्या शक्ल लेता है।”

चिंताजनक

जल है तभी तो कल है

देशभर में व्याप्त चौतरफा नकारात्मक वातावरण से हटकर बिहार ने जल जीवन हरियाली की अहम जरूरत पर एक महत्वपूर्ण अभियान को शुरू करके देश को अवश्य ही एक नई दिशा दिखाने का सकारात्मक प्रयास तो किया ही है। दरअसल, बिहार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सार्थक पहल कर देश और विश्व के सामने एक नजीर रखना चाहता है। देखिए, अब ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि जल, जीवन और हरियाली के सॅरक्षण से जुडे कार्यक्रम तो सारे देश में ही चलाने होंगे। इसमें सरकार और समाज को मिल-जुलकर भाग लेना होगा।

हरिशचंद्र शर्मा

हमें उन तालाबों को फिर से जीवित करना होगा जो विकास की दौड़ में दफन हो गए या दुष्टों के द्वारा अतिक्रमित कर लिये गये। अगर बात दिल्ली की ही करें तो जब देश आजाद हुआ था, उस समय दिल्ली में 363 गांव थे, जिनके आसपास 1012 तालाब थे। आबादी बढ़ने और दिल्ली के विकास के साथ ही कुछ गिने- चुने तालाबों को छोड़कर बाकी खत्म हो गए। कई तालाबों पर तो आलीशान कॉलोनियां बस गईं। जो तालाब आज के दिन बचे भी हैं, उनमें से ज्यादातर लगभग सूख चुके हैं। क्या यह किसी को बताने की जरूरत है कि जल है तभी तो कल है? अगर हमारे शहरों में बारिश के पानी को सही तरीके से संचित किया जाए तो पेयजल का मसला हल हो सकता है। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक हरी भरी धरा सौंपनी होगी ताकि पृथ्वी पर जीवन का यह क्रम जारी रहे। पर फिलहाल तो स्थिति बेहद डरावनी सी बनी हुई है। लेकिन, हम जल संरक्षण को लेकर कर क्या कर रहे है ? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के बहाने यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। इस सवाल का उत्तर है- कुछ नहीं, बस थोड़े-बहुत सांकेतिक प्रयास, क्या होने वाला है इन सांकेतिक प्रयासों से?

जो जल, प्रकृति, सुन्दर वन-उपवन व हरी भरी वसुंधरा हमें हमारे पुरखों ने दी है आज हम उन सभी का अंधाधुंध दोहन और दुरपयोग कर आने वाली पीढ़ियों के जीने का हक छीन रहे है। उनके लिए हम कितना खराब संसार देकर जाएंगे। सोचकर देखिये तो कॉप उठेंगें। विश्व भर में पेयजल की कमी अब एक गम्भीर संकट बन चुकी है। इसका कारण पृथ्वी के जलस्तर का लगातार नीचे होते जाना भी है। वर्षा जल संचयन का एक बहुत प्रचलित पारम्परिक माध्यम है ट्रेंच। इसके तहत छोटी-छोटी नालियां, पइन और आहर बनाकर वर्षा जल रीचार्ज किया जाता है। तालाब तो है ही। जल ही हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम रोटी, कपड़ा और मकान के बिना भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी के बिना बिलकुल भी नहीं। इसीलिये तो सुप्रसिद्ध कवि रहीम खानखाना ने कहा है- रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरै मोती मानुष चून। कहना न होगा कि यदि जल न होता तो सृष्टि का निर्माण ही सम्भव न हो पाता। आज भी जब हम चॉद और मंगल पर बसने की बात करते हैं तो सबसे पहले ढूँढते क्या हैं? पानी ही न? यही कारण है कि जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका कोई मोल ही नहीं है। जीवन के लिये जल की महत्ता को इसी से समझा जा सकता है कि तमाम बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ नदियों के तटों पर ही विकसित हुई और अधिकांश प्राचीन नगर भी नदियों के तट पर ही बसे। जल के महत्व को ध्यान में रखकर यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम न सिर्फ जल का संरक्षण करें बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचायें। इस सम्बन्ध में भारत के जल संरक्षण की एक समृद्ध परम्परा रही है। ऋग्वेद में जल को अमृत के समतुल्य बताते हुए कहा गया है- अप्सु अन्तः अमतं अप्सु भेषनं।

एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक देश के लगभग 40 फीसदी लोगों तक पीने के पानी की पहुंच खत्म हो जाएगी। भारत में चेन्नई में आगामी कुछ वर्षो में ही तीन नदियां, चार जल स्रोत, पांच झील और छह जंगल पूरी तरह से सूख जाएंगे। जबकि देश में कई अन्य जगहों पर भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यह रिपोर्ट पहली बार आई है। तीन साल पहले भी नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश में जल संरक्षण को लेकर अधिकांश राज्यों का काम संतुष्टिजनक नहीं है। एक अहम बात यह भी है कि हाल के वर्षों मे ग्रामीण अंचलों में भी जल संकट बढ़ा है। वर्तमान में ही करोड़ों भारतीयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। वर्तमान में देश की आबादी हर साल 1.5 करोड़ प्रतिशत बढ़ रही है। ऐसे में वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 150 से 180 करोड़ के बीच पहुँचने की आशंका जतायी जा रही है । ऐसे में सभी नागरिकों के लिये देश के हर क्षेत्र में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा। जल के स्रोत तो सीमित हैं और रहेंगें भी। नये स्रोत पैदा होंगें भी नहीं! ऐसे में उपलब्ध जलस्रोतों को संरक्षित रखकर एवं वर्षा के जल का पूरी तरह संचय करके ही हम जल संकट का मुकाबला कर सकते हैं। जल के उपयोग में मितव्ययी भी तो बनना ही पड़ेगा। जलीय कुप्रबंधन को दूर कर ही तो हम इस समस्या से निपट सकते हैं। यदि वर्षाजल का समुचित संग्रह हो सके और जल के प्रत्येक बूँद को अनमोल मानकर उसका संरक्षण किया जाये तो कोई कारण नहीं है कि जल संकट का समाधान न प्राप्त किया जा सके। जल के संकट से निपटने के लिये तत्काल कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

> “एक महत्वपूर्ण बात और कि जहां तक सम्भव हो सके ऐसे खाद्य उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पानी का कम प्रयोग होता है। मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक ही भू भाग पर एक ही समय पांच या छह फसलें ली जा सकती हैं जिसमें पानी की खपत तो उतनी ही होगी जितनी एक फसल को जरूरत होती है , लेकिन, उत्पादों की सॅख्या पांच या छह हो जायेगी।”

जैसे कि विभिन्न फसलों के लिये पानी की कम खपत वाले तथा अधिक पैदावार वाले बीजों के लिये अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जिनके उपयोग से ज्यादा जल की आवश्यकता होती है उसके स्थान पर देसी गौवॅश के गोबर और गौमूत्र पर आधारित उर्वरकों और कीटनाशकों को बढावा देना होगा जिससे विषमुक्त आहार की पैदावार बढे और धरती पर मित्र जीवाणु और केंचुंए बढें जिससे जल की खपत कम हो। फ्लड सिंचाई पद्धति से स्प्रिंकलर सिंचाई या ड्रिप सिंचाई अपनानी हेगी।

एक महत्वपूर्ण बात और कि जहां तक सम्भव हो सके ऐसे खाद्य उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पानी का कम प्रयोग होता है। मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक ही भू भाग पर एक ही समय पांच या छह फसलें ली जा सकती हैं जिसमें पानी की खपत तो उतनी ही होगी जितनी एक फसल को जरूरत होती है, लेकिन, उत्पादों की सॅख्या पांच या छह हो जायेगी। उत्पादन पांच गुना और जल का प्रयोग बीस प्रतिशत। किसानों की मिहनत तो उतनी है और लाभ पांच गुना। किसान भाइयों को यह जानना भी जरूरी है कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि फसलों को अपनी जडों के आसपास नमी मात्र की जरूरत होती है जिसके सहारे वे अपना, भोजन भूमि में ही उपलब्ध उर्वरकों और लवणों के रूप में खींच सकें, बस इतनी भर ही होती है सिंचाई की भूमिका। सिंचाई के नाम पर जल की बबार्दी में कमी लाना इसीलिए भी आवश्यक है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में उत्पादित होने वाला लगभग 30 प्रतिशत अन्न खाया ही नहीं जाता है और यह बेकार हो जाता है। इस प्रकार इसके उत्पादन में प्रयुक्त हुआ पानी भी व्यर्थ चला जाता है। जानकार यह भी कहते हैं कि वर्षाजल प्रबंधन और मानसून प्रबंधन को समुचित बढ़ावा दिया जाय और इससे जुड़े शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाय और जल सॅरक्षण की शिक्षा को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जगह दिया जाना आज की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। बहरहाल, बिहार ने देश को जो जल जीवन हरियाली के माध्यम से दिशा दिखाई है, उससे देश को जागरूक करने की दिशा में भारी लाभ होगा। ■

इसलिए जरूरी है एयर इंडिया को बेचना

केन्द्र सरकार की एयर इंडिया को बेचने की मंशा जाहिर करने के पश्चात बहुत सारे तथ्यों से अनभिज्ञ विद्वान कहने लगे हैं कि सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि जन्नत की हकीकत से कोसों दूर बसती है उनकी दुनिया। उन्हें तो मोदी सरकार के हर कदम की ही मीन मेख निकालनी है। उनके पास इस तरह के कोई सुझाव भी नहीं है कि किस तरह से एयर इंडिया को मुनाफे में लाया जा सके। खैर, अच्छी बात यह है कि टाटा उद्योग समूह ने एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी सारी प्रक्रिया को पूरा होने में तो कुछ वक्त लगेगा ही। भारत सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई है। बोलियां लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2020 है।

एयर इंडिया के लिए चुने गए खरीदार को

32,447

करोड़ रुपये की ऋण और देनदारियां स्थानांतरित की जाएंगी।

मधुसूदन भट्ट

सरकार ने सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरपोर्ट सर्विस कंपनी को भी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। एयर इंडिया के लिए चुने गए खरीदार को 32,447 करोड़ रुपये की ऋण और देनदारियां स्थानांतरित की जाएंगी जबकि 56,334 करोड़ रुपए की ऋण, देनदारियां और कॉर्पोरेट गारंटी विशेष उद्देश्य से बनायी गयी कंपनी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को स्थानांतरित की जाएंगी। एयर इंडिया के बेड़े में 146 विमान हैं जिनकी औसत उम्र आठ साल है। बहुत साफ है कि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के संबंध में 2018 में जो दिक्कतें आई थीं, उनसे सरकार ने सबक लिया गया है। 2018 में सरकार ने इंडियन एयर लाइंस के 76 प्रतिशत शेयर बेचने और निजी हाथों में इसका प्रबंधन नियंत्रण स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन, इसके लिए कोई बोली लगाने वाला ही नहीं मिला था। दरअसल सरकार के सामने एयर इंडिया को बेचने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यकीन मानिए कि उसे एक साल में जितना घाटा होता है उतने में तो एक नई एयरलाइंस शुरू की जा सकती है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,400 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ था। यह पहले से ही पैसों की कमी से जूझ रही थी और कर्ज के बोझ से दबी हुई थी। इधर हाल के कुछ सालों में इसे और ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के चलते भारी घाटा उठाना पड़ा है।

अब बातें करें एक निजी एयरलाइउंस की। स्पाइसजेट एयरलाइंस का मार्केट कैपिटल महज 7,892 करोड़ रुपये ही है यानी 8,000 करोड़ रुपये से कम पूंजी में ही इस एयरलाइंस को खरीदा जा सकता है। वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया की कुल आय 26,400 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कंपनी को 4,600 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग लॉस उठाना पड़ा है। बढ़ते तेल के दाम और पाकिस्तान के भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने के बाद एयर इंडिया को रोज 3 से 4 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। एक बात मानकर चलिए कि एयर इंडिया की बिक्रीके बाद सरकार का सारा फोकस देश के छोटे- बड़े शहरों में नए हवाई अड्डों के निर्माण और उनके विस्तार पर रहेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में देश का आम बजट पेश करते हुए बताया भी है कि साल 2024 तक देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट। दरअसल देश की बहुत बड़ी आबादी के पास अब इतना धन आ गया है कि वह रेल के स्थान पर हवाई सफर करना बेहतर मानती है। दिल्ली, मुंबई या बैंगलुरू जैसे महानगरों की तो बात ही छोड़िए, अब दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के हवाई अड्डों के अंदर- बाहर भी मुसाफिरों की भारी भीड़ लगी रहती है।

ये सब देश-विदेश आ-जा रहे होते हैं। लखनऊ, अमृतसर, पटना, त्रिचि, नागपुर देहरादून जैसे शहरों के हवाई अड्डों में भी अब तिल रखने की जगह नहीं बची होती। ये तस्वीर है नए भारत के हवाई अड्डों की।इन हवाई अड्डों से लोग दुबई,यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया वगैरह घूमने के लिए निकल रहे होते हैं, तो कुछ काम-धंधे के सिलसिले में अन्य देशों में बाहर जा रहे होते हैं। भारत से बाहर जाने वाले 30 फीसद लोग सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि साल 2025 तक डेढ़ करोड़ भारतीय हर साल सैर-सपाटा के लिए देश से बाहर जाने लगेंगे। इनमें छोटे-मझोले शहरों के लोगों की तादाद खासी अधिक होगी। ■

50 में से 25 एयरपोर्ट अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे

अब अनेक शहरों में मात्र एक हवाई अड्डे से काम भी तो नहीं चल रहा है। आप गोरखपुर, पटना, रांची जैसे शहरों के नौजवानों को बैंगलुरू, दिल्ली, पुणे से लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों में नौकरी करते हुए जाते पाएँगे। ये सब ठीक-ठाक कमाते हैं। ये जो कमाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा अपने परिवारों को भी भेजते भी हैं। जाहिर है, इससे उनके परिवारों की माली हालत सुधर गई है। ये लोग भी अब हवाई सफर करने लगे हैं। सरकार भी मानती है कि देश के सबसे व्यस्त 50 में से 25 एयरपोर्ट अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। इनमें मुंबई, बैंगलुरू हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि शामिल हैं। उधर, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, गोवा,लखनऊ हवाई अड्डे जल्दी ही अपनी क्षमता से अधिक मुसाफिरों को लाने- उतारने का काम करने लगेंगे। ये सब एयरपोर्ट भी पीक समय में अपनी क्षमताओं को पार कर जाते हैं। केन्द्र सरकार पहले ही चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डों के विस्तार की योजना को मंजूरी दे चुकी है। इनके विस्तार पर क्रमश:2,467 करोड़,1,232, करोड़,1,383, करोड़ रुपये का निवेश होगा। सरकार देश के विभिन्न हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के लिए एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। तो बहुत साफ है कि एयर इंडिया को बेचन के बाद सरकार देश के तमाम हवाई अड्डों का कायाकल्प कर सकेगी। एयर इंडिया में लगातार खरबों रुपये के घाटे के कारण सरकार एविशन सेक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना भी तो बना नहीं पा रही थी।

जेएनयू में कब बनेगा पढ़ने-पढ़ाने का माहौल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा की छवियों को देखकर किसी का भी दिल दहल जायेगा। इस हिंसा के लिए जिम्मेदार जो भी होगा उसे पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन, जेएनयू की इस ताजा घटना से सारा देश सन्न है। देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां तक तो सब ठीक ही है पर देखने में तो यह आ रहा है कि विरोध के नाम भारत विरोधी शक्तियां भी सिर उठाने लगी हैं। इसे तो हमारे देश की राष्ट्र भक्त जनता द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुंबई में प्रदर्शन के समय 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर भी सामने आ गए। दुखद यह है कि फ्री कश्मीर के पोस्टर पर शिव सेना के महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्री-कश्मीर जैसे भारत विरोधी अभियान बर्दाश्त हैं? देश की जनता उनसे यह स्पष्टीकरण तो चाहेगा ही। यानी जेएनयू हिंसा की आड़ में अब भारत के खिलाफ खेल खेला जा रहा है। फ्री कश्मीर के नारे क्यों लगाए गए? इसका जेएनयू में छात्रों के आपसी विवाद से मतलब क्या था? ठाकरे मुंबई में इस तरह के अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फ्री कश्मीर के पोस्टर लेकर आई महिला से पूछा जाना चाहिए कि उसका फ्री कश्मीर से आशय क्या है? क्या उसे पता नहीं है कि कश्मीर भारत की प्राण और आत्मा है।

आर.के. सिन्हा

कभी-कभी तो लगता है कि जेएनयू में पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त सब कुछ होता है। यहाँ के छात्र तो कम पर अध्यापक ही ज्यादातर बात-बात पर हंगामा करने लगते हैं। अध्यापकों के उकसावे पर छात्र भी हिंसक हो जाते हैं। जेएनयू ने पिछले साल अपनी स्थापना के 50 साल का सफर पूरा किया था। बेशक, इसके पहले वाइस चांसलर गोपालस्वामी पार्थसारथी (जीपी) ने इसे एक श्रेष्ठ संस्थान के रूप में स्थापित किया था। वे खुद आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे थे। उन्होंने जेएनयू से देश के सबसे योग्य अध्यापकों को जोड़ा। उन्होंने यहां के पाठ्यक्रमों को भी नए तरीके से तैयार करने की अपने अध्यापकों को पूरी छूट दी। वे नहीं चाहते थे कि यहां पर घिसे-पिटे अंदाज में ही विश्वविद्यालय शिक्षा दी जाए। वे स्वाधीनता सेनानी श्री गोपाल स्वामी आयंगर के पुत्र थे। पर जेएनयू विगत कुछ सालों से अपनी साख को बचा नहीं सका। जेएनयू में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फीस बढ़ोतरी की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग आये दिन सक्रिय होता रहता है। इसे देश अब कतई सहन नहीं करेगा। अब देश में वामपंथियों के बौधिक वचस्र्व का जमाना लद गया। अब वे अपनी गिरती साख को बचने के लिए हिंसा पर उतारू होते रहते हैं। लेकिन,उन्हें यह पता होना चाहिए कि मोदी-अमित राज में यह अब संभव नहीं है।

जेएनयू में बौद्धिकता के नाम पर केंद्र की सरकार विरोधी रवैया के साथ राष्ट्रीय मीडिया के खिलाफ नारेबाजी करना अब आम होता जा रहा है। थोड़ी सी फीस बढ़ोतरी पर लगातार विरोध प्रदर्शन करना इस बात को दशार्ता है कि छात्रों की अगुवाई करने के नाम पर कुछ लोग शिक्षा के इस महान मंदिर के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इनकी साफ मंशा यह है कि जेएनयू में शिक्षा का माहौल किसी भी तरह से न कायम हो सके। इनके नापाक मंसूबों को समझने के साथ ऐसे लोगों के चेहरों के पीछे छिपे चेहरे को भी बेनकाब करना होगा कि ये लोग किसके इशारे पर विश्वविद्यालय और कुलपति विरोधी अभियान चला रहे हैं। जेएनयू में हालिया घटना से पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जेएनयू से संसद तक मार्च करने की नीति किसी मुद्दे के समाधान के बजाय सिर्फ लाइम लाइट में आने की सुनियोजित साजिश ही थी। विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल खराब करने के बाद अब सामान्य लोगों के जन जीवन को भी प्रभावित करने की यह साजिश मालूम पड़ती है। देश की राजधानी में पुरातन चट्टानों और पेड़-पौधों की घनी हरियाली के बीच जेएनयू का सुन्दर कैंपस बसा है। कैंपस में कई ऐसे स्थान हैं, जो पूरी तरह चट्टानों और घने पेड़ों से घिरे हैं। जेएनयू में लगातार अशांति और उपद्रव के बीच एक शख्स और है जिसकी याद आती है। इस इंसान को जेएनयू बिरादरी लगभग भूला चुकी है। उस शख्स का नाम था सी. के. कुकरेजा। उन्होंने ही इसके लाजवाब कैंपस की परिकल्पना की थी और उसे खड़ा किया था। उनका विगत वर्ष निधन हो गया था। जेएनयू जैसा कैंपस देश क्या दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। यहां आकर महसूस होता है कि मानो आप यूरोप या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में हों। जेएनयू कैंपस में चारों तरफ हरियाली और पहाड़ियों के बीच-बीच में क्लास रूम, लायब्रेरी, हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक, फैकल्टी के फ्लैट, जिम आदि की इमारतें हैं। कुकरेजा जी ने जे०एन०यू० की सभी इमारतों को सीमेंट के लेप से मुक्त रखा। इनमें ईंटों को सीमेंट के लेप से छिपाया नहीं गया है।इससे कैंपस के निर्माण में बहुत अधिक खर्चा नहीं हुआ था। पर अफसोस कि अब वही जेएनयू अब उत्पात का दूसरा नाम हो गया है। जेएनयू को अपनी साख को धूल में मिलने से बचाना होगा। उसकी पहले वाली प्रतिष्ठा कतई नहीं रही है। हाल के दौर में इसने कितने सम्मानित लेखको, उद्यमियों, कवियों और कलाकारों आदि को निकाला है? कौन देगा इस सवाल का जवाब। जेएनयू में डिबेट और डिस्कशन की संस्कृति बनी रहनी चाहिए। इससे किसी कोई दिक्कत नहीं है। पर सब कुछ मर्यादित तरीके से होना चाहिए। इधर अनुशासहीनता बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए कि जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आईशी घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जेएनयू के चीफ सेक्युरिटी ऑफिसर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आइशी घोष और उसके अन्य 18 साथियों ने 4 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे महिला गार्ड के साथ धक्का-मुक्की की और अन्य गार्ड के साथ मारपीट और गाली गलौज किया। आइशी घोष और उनके साथी जबरन सर्वर रूम में घुसना चाह रहे थे, जिसका विरोध सिक्युरिटी गार्ड ने किया जिसके बाद ये लोग पीछे का शीशा तोड़कर सर्वर रूम में घुस गए, जिसमें इन्होंने ऑप्टिक फाइबर केबल और बायोमेट्रिक मशीन तोड़ दी। तो देख लीजिए कि जेएनयू अध्यक्ष और उनके क्रांतिकारी साथी क्या झ क्या हरकतें कर रहे हैं? अब जबकि जेएनयू में हालात सामान्य हो रहे हैं तो जेएनयू में उस काले रविवार की हिंसा के दोषियों के चेहरे से नकाब हटने चाहिए। इन कथित क्रांतिवीरों पर कठोर एक्शन होना ही चाहिए। जेएनयू में फिर से पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण तो बनाना ही होगा चाहे वह किसी भी कीमत पर स्थापित हो।

कितने पवित्र रह गए धरने-प्रदर्शन

जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में छात्रों के बीच हुई हालिया झड़प पर पाकिस्तान के शहर लाहौर में प्रदर्शन का होना सच में हर किसी को हैरान करने वाला है। वहां पर कुछ लोग जेएनयू के वामपंथी छात्रों के हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। पर उसी पाकिस्तान के क्वेटा शहर में विगत शुक्रवार को तड़के एक बाजार में हुए बम विस्फोट में कम से कम 20 लोग मारे गए जबकि 48 अन्य घायल हो गए। मारे गये लोगों में से कई शिया हजारा समुदाय के थे। इस दिल दहलाने वाले कांड की हर कोने में निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद कहीं भी हो उसकी भर्त्सना होनी ही चाहिए। पर पाकिस्तान के किसी कोने में इस हादसे को लेकर कोई प्रदर्शन तक नहीं हुआ। सरकार से सवाल तक नहीं पूछे गए कि वह आतंकवाद को काबू करने में विफल क्यों रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान, जो भारत के मुसलमानों के लिए आंसू बहाते रहते हैं, क्वेटा कांड पर चुप्पी साध गए। वे चीन में मुसलमामों के साथ हो रहे जुल्मो-सितम पर भी बोलने से बचते हैं। एक बार तो उन्होंने यहां तक कहा था कि चीन में क्या हो रहा है उन्हें उसकी जानकारी नहीं है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और नागरिकता संशोधन कानून पर इमराम खान के साथ-साथ सुर से सुर मिलाने वाले मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान में मुसलमानों का किस तरह से कत्लेआम हो रहा है। महातिर भी चीन के मुसलमानों को लेकर चिंतित नहीं रहते। इनके दोहरे चरित्र को भारत और पूरी मुस्लिम दुनिया देख रही है। पाकिस्तान से तो अब किसी तरह की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। उसने तो पड़ोसी धर्म का कभी निर्वाह ही नहीं किया।

> “पाकिस्तान से उसके सभी पड़ोसी दुखी हैं। पहले अफगानिस्तान की बात कर लीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनाव चल रहा है। काबुल पाकिस्तान पर अक्सर यह इल्जाम लगाता है कि वो आतंकियों को अपनी जमीन पर सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराता रहा है। इसके साथ ही तालिबानियों को अपनी सीमा में दाखिल कर अफगानी और पश्चिम देशों की सेना पर हमले करवाता रहा है।”

पाकिस्तान से उसके सभी पड़ोसी दुखी हैं। पहले अफगानिस्तान की बात कर लीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनाव चल रहा है। काबुल पाकिस्तान पर अक्सर यह इल्जाम लगाता है कि वो आतंकियों को अपनी जमीन पर सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराता रहा है। इसके साथ ही तालिबानियों को अपनी सीमा में दाखिल कर अफगानी और पश्चिम देशों की सेना पर हमले करवाता रहा है। बांग्लादेश, जो कभी उसका अपना की अंग था, भी पाकिस्तान को फूटी नजर नहीं देख पाता। कारण ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से शिकायत है कि वो उसके घरेलू मामलों में दखल देता है। बांग्लादेश बार-बार कहता रहा है कि वह पाकिस्तान की ओर से उसके आतंरिक मसलों में हस्तक्षेप करने को सही नहीं मानता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पाकिस्तान से शिकायत रही है कि उसे तब आग लग जाती है जब बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के गुनाहगारों को फांसी दी जाती है। उन्हें दंड दिया जाना पाकिस्तान को खल जाता है। 1971 के कत्लेआम के मुद्दे पर पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान उस कत्लेआम के गुनाहगारों के साथ खड़ा रहता है। अब समझ लीजिए उसका चरित्र किस तरह का है। पर वो बातें-दावें करता है कि वो आतंकवाद से लड़ने को तैयार है। जिस देश से ओसामा बिन लादेन मिला हो, उसकी बातों पर यकीन करना सरल नहीं होता। ईरान और पाकिस्तान संबंधों में बड़ा बदलाव तब आया था जब दिसंबर, 2015 में सऊदी अरब ने आतंकवाद से लड़ने के लिए 34 देशों का एक इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाने का फैसला किया था। उसमें शिया बहुल ईरान को शामिल नहीं किए गया था। उस गठबंधन में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रमुखता के साथ जोड़ा। इस कारण ईरान काफी नाराज हुआ पाकिस्तान से। उस गठबंधन को ईरान विरोधी के रूप में भी देखा गया, जो सऊदी अरब का मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है। इस बीच, ईरान पाकिस्तान से इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि वह सऊदी अरब का चमचा है। ईरान- सऊदी अरब में कुत्ता-बिल्ली वाला बैर है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होता है, पर वो ईरान से भी दूरी बनाकर नहीं रखना चाहता। पर ईरान को मालूम है कि जिस देश में शियायों का कत्लेआम होता हो वो देश उसका मित्र नहीं हो सकता।

अब दिल्ली की ओर वापस चलते हैं। अमेरिकी के ईरान पर हमले पर विरोध जताने के लिए में राजधानी में अमेरिकी दूतावास पर बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया। इसी तरह के प्रदर्शन मुंबई भी हुए। प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास तक पहुंचने में सफल रहे हैं। जबकि इसके आसपास भारी सुरक्षा के बंदोबस्त थे। पर कोई पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर शियाओं को गाजर मूली की तरह से काटा जा रहा है। यानी प्रदर्शनों को लेकर भी पूरी राजनीति हो रही है। प्रदर्शनकारी अपनी सुविधा के अनुसार धरनेझ प्रदर्शन में शिरकत करते हैं। देखा जाए तो इस लिहाज से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने ननकाना साहिब पर हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चाक्यपुरी में पाकिस्तान दूतावास पर प्रदर्शन किया और सड़क पर लोगों को लंगर खिलाया। पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने पथराव कर दिया था। इससे तमाम भारतीय आहत थे। वह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी पर उसमें अगर शाहीन बाग में धरना दे रहे लोग भी शामिल होते तो पाकिस्तान को एक संदेश जाता कि सारा भारत उससे नाराज है पर यह नहीं हुआ। दरअसल ननकाना साहिब में मुस्लिम युवक ने ग्रंथी की बेटी को अगवा कर लिया था।

इसके बाद लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया। इसके खिलाफ लड़की के पिता ने करतारपुर में धरना देने की चेतावनी दी थी। इसके बाद पुलिस ने लड़की को वापस पिता के पास भिजवा दिया था। इसके बाद उस युवक ने दोबारा लड़की को अगवा कर लिया। विरोध में सिखों ने प्रदर्शन किया, जिसे स्थानीय मुसलमानों ने समुदाय के खिलाफ मान लिया। इसी वजह से गुरुद्वारा साहिब पर पथराव किया गया। याद रखिए कि जेएनयू मसले पर लाहौर में प्रदर्शन करने वालों ने ननकाना साहिब की घटना पर कुछ नहीं बोला था। भारत के कुछ शहरों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वालों को भी पाकिस्तान के सिख समाज के दर्द का अहसास नहीं हुआ। यानी यहां तो कहने को सब भाई-भाई हैं, पर चिंता कुछ लोग अपनों की ही करते हैं। ■

विज्ञापन

कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटावा

स्वच्छ इटावा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सुन्दर इटावा

04 जनवरी -31 जनवरी 2020

नागरिकों से अपील

अपने इटावा नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में नंबर-01 बनाने हेतु योग्य प्रयास करें।

1. प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक/पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतः इनका प्रयोग न करें, इनके स्थान पर कपड़े व कागज के थैले, लिफाफे, दोना-पत्तल आदि का उपयोग करें।
2. गूगल प्ले स्टोर से स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें तथा गंदगी आदि की शिकायत इस ऐप के माध्यम से भेजें।
3. नगर में स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें। सार्वजनिक स्थानों सड़कों, फुटपाथों पर अतिक्रमण न करें।
4. नगर पालिका सम्पत्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति है, उसकी सुरक्षा करें।
5. सड़कों, नालियों व रास्तों में कूड़ा करकट न डालें निर्धारित स्थानों पर ही डालें।
6. जल ही जीवन है उसे बर्बाद न करें व दूषित न करें, नलों व सबमर्सिबल पम्पों को खुला न छोड़ें।
7. कृपया जलकर-गृहकर व जलमूल्य समय से अनिवार्य रूप से जमा करके सहयोग प्रदान करें।
8. पालिका की दुकानों एवं आराजी किराया समय से जमा करके सहयोग प्रदान करें।
9. पालिका द्वारा जनहित में निर्माण कराये जा रहे खड़ंजे, सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सहयोग प्रदान करें।
10. भवन निर्माण से पूर्व भवन का मानचित्र स्वीकृति कराना सुनिश्चित करें।
11. सीवर कनैक्शन कराकर सीवर योजना का लाभ उठायें।
12. कृपया खुले में शौंच न करें, शौचालय का प्रयोग करें।
13. पशु पालकों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को खुला न छोड़ें। पशुओं को बांधकर रखें।
14. घर अथवा दुकान जनित होने वाले गीले एवं सूखे कूड़े को नीले व हरे रंगों के अलग-अलग डस्टबिन में एकत्र करें और कूड़ा गाड़ी आने पर उसमें डालें।

नौशाबा फुरकान
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, इटावा

अनिल कुमार
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, इटावा

समस्त सभासदगण/पालिका परिवार, नगर पालिका परिषद, इटावा।

ताकि संविधान और देश के मौलिक विचारों और लोगों के बुनियादी अधिकारों पर आघात के प्रति सचेत रहें

सड़क पर उतरें इस लोकतंत्र को पहचानें

अगर कोई पूछे कि इस गणतंत्र दिवस पर, 70 से ज्यादा उम्र के गणतंत्र का क्या हाल है, तो हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस उसे सड़क का रास्ता बता देना है। सारा देश सड़कों पर है, जिसे स्कूलों-कॉलेजों में होना चाहिए था, बाजारों और दूकानों में, घरों और दफ्तरों में होना चाहिए था, वह अगर सड़कों पर उतर आए तो समझ लेना चाहिए कि देश की गाड़ी पटरी से उतर रही है। जिस नागरिक ने देश को गुलामी से मुक्त किया, अपने देश का अपना लोकतंत्र बनाया, इस और ऐसी कितनी ही सरकारों को बनाया-मिटाया, आज उसी नागरिक से, उसकी ही बनाई सरकार उसकी वैधता पूछ रही है और उसे अवैध घोषित करने का कानून बना कर इतरा रही है। कोई कहे कि नौकरों (प्रधानसेवक!) ने मालिक तय करने का अधिकार ले लिया है, तो गलत नहीं होगा। जब सरकार संविधान से मुंह फेर लेती है; विधायिका विधान से नहीं, संख्याबल से मनमाना करने लगती है; नौकरशाही जी-हुजूरों की फौज में बदल जाती है और न्यायपालिका न्याय का पालन करने और करवाने के अलावा दूसरा सब कुछ करने लगती है, तब देश पटरी से उतर जाता है।

कुमार प्रशांत

हमने जिस सरकार को देश के लिए चुना था, उसने देश को दल में बदल लिया है और हमने लोकसभा में उसे जो बहुमत दिया था, उसे उसने मनमाना करने का लाइसेंस मान लिया है। वह भूल गई है कि नागरिक उससे नहीं हैं, वह नागरिकों से है। नागरिक उसे जब चाहे तब बदल सकता है; वह चाहे तो भी नागरिक को बदल नहीं सकती है। नागरिकता की एक परिकल्पना और उसका आधार हमारे संविधान ने हमें दिया है कि जो भारत में जनमा है वह इस देश का नागरिक है। फिर उसी संविधान ने यह भी कहा कि कोई जनमा कहीं भी हो, यदि वह इस देश की नागरिकता का आवेदन करता है और संविधानसम्मत किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता है, तो सरकार उसे नागरिकता देगी. ऐसा करते समय सरकार न लिंग का भेद कर सकती है, न धर्म या जाति का, न रंग या रेस या देश का। नागरिकता अनुल्लंघनीय है, नागरिक स्वयंभू है। सरकार को याद कराना जरूरी है कि उसने नागरिक प्रमाणित करने का जो अधिकार लपक लिया है, वह लोकतंत्र, संविधान, राजनैतिक नैतिकता और सामाजिक जिम्मेवारी के खिलाफ जाता है। इतिहास में उतरें हम तो 1925 से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से, एक सीधी और साफ धारा मिलती है, जो हिंदुत्व का अपना ही नया दर्शन बनाती है और दावा करती है कि देश धर्मों से बनते हैं और इसलिए वह हिंदू बहुमत के इस देश को हिंदू राष्ट्र बना कर रहेगी। विनायक दामोदर सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर आदि से प्रेरित और उनके द्वारा ही संगठित-संचालित हिंदुत्व के इस दर्शन को सबसे पहला और सबसे बड़ा समर्थन मिलता है मुस्लिम लीग से। सावरकर-जिन्ना धर्म आधारित राष्ट्र के इस मंच पर एक साथ खड़े मिलते हैं। इन दोनों की इस सांप्रदायिक सोच को, उसके जन्म से लगातार ही महात्मा गांधी से सबसे बड़ी चुनौती मिलती रही।

गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के सेनापति भर नहीं थे, भारतीय समाज के नए दार्शनिक भी थे। वे खुद को हिंदू कहते थे, सनातनी हिंदू! लेकिन हिंदुत्व के संघ-परिवारी दर्शन के किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते थे। गांधी को सीधी चुनौती देकर, साथ लेने की बनावटी मुद्राएं धरकर और फिर छल की सारी कोशिशों के बाद भी जब गांधी हाथ नहीं आए और भारतीय जनमानस पर उनके बढ़ते असर की काट ये नहीं खोज पाए तब जाकर यह तय किया गया कि उन्हें रास्ते से हटाया जाए। यही वह फैसला था, जो पांच विफल कोशिशों के बाद, 30 जनवरी 1948 को सफल हुआ और गांधी की हत्या हुई। योजना यह थी कि हत्या से देश में ऐसी अफरा-तफरी मचेगी, मचाई जाएगी कि जिसकी आड़ में हिंदुत्ववादी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेंगी। हिंदुत्व की इनकी अवधारणा तानाशाही की है और इसलिए वह सत्ता की बैसाखी के बगैर चल ही नहीं पाती है। सत्ता इनके लिए अस्तित्व का सवाल है। हत्या तो कर दी गई लेकिन देश में वैसी अफरा-तफरी नहीं मची कि जिसकी आड़ लेकर ये सत्ता तक पहुंचें। गांधी का रचा राष्ट्र-मन, जवाहरलाल और सरदार की दृढ़ एकाग्रता ने देश को अफरा-तफरी से बचा भी लिया और निकाल भी लिया। इसलिए सरदार की आड़ में नेहरू इनके निशाने पर थे और हैं। तब से आज तक हिंदुत्व का यह दर्शन समाज में न वैसी जगह बना सका जिसकी अपेक्षा से ये काम करते रहे और न सत्ता पर इनकी कभी ऐसी पकड़ बन सकी कि ये अपने एजेंडे का भारत बना सकें। अटल बिहारी वाजपेयी के पांच साल के प्रधानमंत्रित्व-काल में यह हो सकता था लेकिन अटल जी छोटे-नेहरू का चोला उतारने को तैयार नहीं थे। वे संघी हिंदुत्व की मदद तो लेते थे लेकिन उसके खतरों से बचते भी थे। इसलिए अटल-दौर संघी हिंदुत्व की सत्ता का नहीं, जमीन तैयार करने का दौर बना और उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला नरेंद्र मोदी के गुजरात में खोली गई। सत्ता की मदद से हिंदुत्व की जड़ जमाने का वह प्रयोग संघ और मोदी, दोनों के लिए खासा सफल रहा। दोनों की आंखें खुलीं। फिर कांग्रेस के चौतरफा निकम्मेपन की वजह से दिल्ली नरेंद्र मोदी के हाथ आई। तब से आज तक दिल्ली से हिंदुत्व का वही एजेंडा चलाया जा रहा है जो 1925 से अधूरा पड़ा था। यह गांधी को खारिज कर, भारत को अ-भारत बनाने का एजेंडा है। अब ये यह भी जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये अपना वह एजेंडा पूरा करने में तेजी से जुट गए हैं, जिससे लोकतांत्रिक उलट-फेर की संभावनाएं खत्म हों और सत्ता अपने हाथ में स्थिर रहे। नोटबंदी से लेकर राष्ट्रीय नागरिकता बंदी तक सारा खेल समाज की ताकत को तोड़ देने, संविधान को अप्रभावी बना देने तथा संवैधानिक संस्थानों को सरकार का खोखला खिलौना बनाने के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। आज कांग्रेस अपनी ही छाया से लड़ती, लड़खड़ाती ऐसी पार्टी मात्र है जिसका राजनैतिक एजेंडा मोदी तय करते हैं। विपक्ष के दूसरे सारे दल सत्ता की बंदरबांट में हिस्सा लपक लेने से ज्यादा की न हैसियत रखते हैं, न सपने पालते हैं। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र का विपक्ष कहां है? वह संसद में नहीं, सड़कों पर है। आज युवा और नागरिक ही भारतीय लोकतंत्र के विपक्ष हैं।

सड़कों पर उतरे युवाओं-छात्रों-नागरिकों में सभी जातियों-धर्मों के लोग हैं। सीएए किसी भी तरह मुसलमानों का सवाल नहीं है। वे निशाने पर सबसे पहले आए हैं, क्योंकि दूसरे असहमतों को निशाने पर लेने की भूमिका बनाई जा रही है। इसलिए लाठी-गोली-आंसू गैस की मार के बीच भी सड़कों से आवाज यही उठ रही है कि हम पूरे हिंदुस्तान को, और इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को सम्मान और अधिकार के साथ भारत का नागरिक मानते हैं। कोई भी सरकार हमारी या उनकी या किसी की नागरिकता का निर्धारण करे, यह हमें मंजूर नहीं है। इसलिए कि सभी सरकारें जिस संविधान की अस्थाई रचना हैं, जनता उस संविधान की रचयिता भी है और स्थाई प्रहरी भी!

> "लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी हिंसा की आग को संविधान के छींटे से बुझाना न्यायपालिका की पहली जिम्मेवारी है। जब-जब वह ऐसा करने से चूकती है, तब-तब वह हिंसा की जनक बनती है। हमारे संविधान ने इसलिए ही न्यायपालिका को सिर्फ कान नहीं दिए हैं बल्कि आंखें भी दी हैं; और स्वत:संज्ञान ले कर वह किसी को भी कठघरे में खड़ा कर सकती है। क्या न्यायपालिका इस जिम्मेवारी से खुद को अलग करती है? संविधान उसे इसकी इजाजत नहीं देता है।"

सरकारें स्वार्थ, भ्रष्ट और संकीर्ण मानसिकता वाली हो सकती हैं। सांप्रदायिक भी हो सकती हैं और जातिवादी भी! सरकारें मौकापरस्त भी होती हैं और रंग भी बदलती हैं। यह संविधान से बनती तो है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं करती है; यह वोट से बनती है लेकिन वोटर का मखौल उड़ाती है। यह झूठ और मक्कारी को हथियार बनाती है और इतिहास को तोड़-मरोड़ कर मतलब साधना चाहती है। आज यह हमारी नागरिकता से खेलना चाह रही है, कल हमसे खेलेगी। यह चाहती है कि इस देश में नागरिक नहीं, सिर्फ उसके वोटर रहें। सत्ता के खेल में यह समाज को खोखला बना देना चाहती है। इसलिए लड़ाई सड़कों पर है। जब संसद गूंगी और व्यवस्था अंधी हो जाती है, तब सड़कें लड़ाई का मैदान बन जाती हैं। इसे पहचाना है हमारी न्यायपालिका के प्रमुख एस.ए. बोबडे साहब ने। किन्हीं वकील पुनीत कुमार ढांढा की याचिका थी कि अदालत सीएए को संवैधानिक घोषित करे और उसके खिलाफ चल रहे सारे आंदोलन को असंवैधानिक घोषित करे।

न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और सूर्यकांत की तरफ से इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहली बार अदालत से ऐसी कोई मांग सुन रहा हूं कि वह संसद द्वारा पारित किसी कानून को संवैधानिक करार दे। सभी जानते हैं कि संसद द्वारा पारित हर कानून संवैधानिक होता है। अदालत का काम यह देखना मात्र है कि जो पारित हुआ है वह कानूनसम्मत है या नहीं। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसी याचिकाओं से इसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ऐसी और इतनी व्यापक हिंसा फैली हुई है कि सबसे पहले देशव्यापी शांति का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सीएए की वैधता पर विचार किया जा सके। अदालत ने जो कहा, वह सही ही कहा लेकिन अधूरा कहा। आधी या अधूरी बात न न्याय के हित में होती है, न समाज के। देश में हिंसा की यह जो आग भड़की है और दावानल की तरह फैल रही है, वह सामाजिक आग है जो अकारण न तो लगती है और न बेवजह फैलती है। यह योजनापूर्वक भड़काई गई है और जिसके दावानल बनते जाने में किसी को अपना राजनैतिक फायदा दीख रहा है। इसलिए इसे बुझाने की जगह इसके खिलाफ एक दूसरी हिंसा खड़ी की जा रही है। सड़क पर घबराई-डरी और भटकाई भीड़ की हिंसा, जो हिंसा नहीं बल्कि छूंछे क्रोध में की जा रही तोड़-फोड़ भर है, के सामने आप राज्य द्वारा नियंत्रित और संचालित हिंसा को खड़ा करते हैं तो यह आग में घी डालने से कम बड़ा अपराध नहीं है। यह अलोकतांत्रिक भी है, अनैतिक भी और असंवैधानिक भी। उन्मत्त भीड़ की दिशाहीन तोड़-फोड़ और राज्य की प्रायोजित कुटिल हिंसा को एक ही पलड़े पर रख कर नहीं तोला जा सकता है। हिंसा गलत है, बुराई की जनक है और घुन की तरह आदमी को भी और उसके समाज को भी खोखला कर जाती है। इसलिए उसका समर्थन कोई भी साबुत दिमाग आदमी कैसे कर सकता है? लेकिन हिंसा और हिंसा के बीच फर्क करने का विवेक हम कैसे खो सकते हैं? चूहे को अपने फौलादी जबड़े में दबोच कर, झिंझोड़ती बिल्ली की हिंसा और अवश चूहे द्वारा पलट कर उसे काटने वाली हिंसा में फर्क तो महात्मा गांधी भी करते हैं। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जब दूसरा कोई विकल्प न हो सामने, तो कायरता और हिंसा में से मैं हिंसा को चुनूंगा। इसका मतलब क्या यह निकाला जाए कि महात्मा गांधी हिंसा की वकालत कर रहे थे? नहीं, वे हिंसा और हिंसा के बीच के फर्क को रेखांकित कर रहे थे। हमारी अदालत को भी हिंसा की इस आग पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले यह फर्क समझना सीखना होगा और हिंसा के जनकों को संविधान का आईना दिखाना होगा। समाज हिंसा की तरफ तब जाता है जब उसका विश्वास टूटता है; और चौतरफा हिंसा और अराजकता तब छाती है, जब समाज चौतरफा विश्वासघात से घिर जाता है। आज राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में जैसा पतन हम देख रहे हैं, गुंडों-बटमारों-सांप्रदायिकों-कुशिक्षितों की आज जैसी बन आई है, वह सब इसी चौतरफा भरोसाहीनता का परिणाम है। लोकतंत्र का यह कूड़ाघर आज का नहीं, पुराने समय से जमा होता रहा है। आज के सत्ताधारियों ने इसे चरम पर पहुंचा दिया है। हिंसा और क्षोभ का यह माहौल देश को ही ले डूबे इससे पहले हिंसा के जनक कौन हैं, इसकी पहचान कर लेना जरूरी है। वह न्यायपालिका हिंसा की जनक है जो समय पर हस्तक्षेप कर, किसी भी सरकार या संवैधानिक संस्थान को उसकी मयार्दा से बाहर जाने से रोकती नहीं है। हमारे संविधान ने ऐसी अत्यांतिक परिस्थिति के लिए अपने संस्थानों को ऐसी विशेष शक्तियां दे रखी हैं, जिनसे वे एक-दूसरे का पतन रोक सकती हैं। हमारी बेहतरीन संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही नहीं, दूसरे संवैधानिक संस्थान भी अपने-अपने दायरे में स्वयंभू-

> “हिंसा न हो यह सामूहिक जिम्मेवारी है–उनकी सबसे ज्यादा जो सत्ता की उन जगहों पर बैठे हैं जहां से सामूहिक हिंसा का आदेश भी दिया जाता है और आयोजन भी किया जाता है। हम सब अपनी सूरत आईने में देखें और हिंसा के पाप में अपनी भागीदारी का सार्वजनिक प्रायश्चित करें। यह गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। पाप की गठरी ढीली करने का इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता है।”

से हैं, लेकिन संविधान ने उन सबकी दुम आपस में बांध भी दी है। ये सभी परस्परावलंबी स्वयंभू हैं। अदालत यह कह ही कैसे सकती कि जब तक शांति नहीं होगी तब तक वह संविधान की कसौटी पर किसी सरकारी कदम को जांचने का काम स्थगित करती है। उसे तो विधायिका या कार्यपालिका की विफलता से धधकते दावानल में पैठ कर अपनी संवैधानिक भूमिका देश के सामने रखनी ही चाहिए, ताकि हिंसा की जड़ काटी जा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी हिंसा की आग को संविधान के छींटे से बुझाना न्यायपालिका की पहली जिम्मेवारी है। जब-जब वह ऐसा करने से चूकती है, तब-तब वह हिंसा की जनक बनती है। हमारे संविधान ने इसलिए ही न्यायपालिका को सिर्फ कान नहीं दिए हैं बल्कि आंखें भी दी हैं; और स्वतःसंज्ञान ले कर वह किसी को भी कठघरे में खड़ा कर सकती है। क्या न्यायपालिका इस जिम्मेवारी से खुद को अलग करती है? संविधान उसे इसकी इजाजत नहीं देता है। वह प्रधानमंत्री और उसकी कृपा पर बने वे सभी मंत्री-गण हिंसा के जनक हैं जो सच छुपाने में और येन-केन-प्रकारेण अपनी सत्ता की रखवाली में लगे हैं। सत्ता की निरंकुश हिंसा जिस प्रधानमंत्री को न दिखाई देती हो और जिसका मंत्रिमंडल हुआं-हुआं करने वाले सियारों से ज्यादा की औकात नहीं रखता हो, हिंसा की यह आग उसकी ही लगाई हुई है। देश में छिड़ा नागरिकता आंदोलन सरकारी दोमुंहेपन से पैदा हुआ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़, वाराणसी के विश्वविद्यालयों में जैसी क्रूर और नंगी हिंसा हुई है, उसके बाद भी क्या किसी को कहने की जरूरत है कि हिंसा के जनक कौन हैं और कहां हैं? यह राजधर्म में हुई वैसी ही अक्षम्य चूक है जैसी चूक 2002 में, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे को भड़काने और उसे निरंकुश चलते रहने देने में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब ही आज के प्रधानमंत्री को, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सार्वजनिक रूप से फटकारते हुए राजधर्म का सवाल खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आज उसके पास कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। आज उसके पास वह मुख्यमंत्री है जिसने अपने विपक्षी अवतार में सार्वजनिक संपत्ति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है, महात्मा गांधी के बारे में हद दर्जे की फूहड़, घटिया बातें कही हैं। आज वह मुख्यमंत्री सार्वजनिक घोषणा करता है कि वह नागरिकों से बदला लेगा, कि सीसीटीवी कैमरे में कैद प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें देख-देख कर, उनसे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेगा। यह स्वयंभू राजा का वह फरमान है जिसके सामने लोकतंत्र लज्जा से मुंह छिपा ले। ऐसा आलम बनाया गया है कि लाचार होकर पूछना पड़ता है कि क्या राज्यतंत्र गुंडातंत्र में बदला गया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कपड़ों से पहचान रहे हैं कि आंदोलनकारी कौन हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कैमरे से पहचान कर रहे हैं कि आंदोलनकारी कौन हैं; और आंदोलनकारी नागरिक कह रहे हैं कि हम हिंसक असंवैधानिक हरकत करने वालों का चेहरा पहचान रहे हैं। यकीनन, कपड़े बदल जा सकते हैं, कैमरे खाली किए जा सकते हैं लेकिन चेहरे का आप क्या करेंगे? इस हिंसा के जनक वे आला पुलिस अधिकारी हैं जो पुलिस मैनुअल के सारे निदेशों और पेशेवराना नैतिकता को सिरे से भूल कर, सत्ताधारियों की कृपादृष्टि के कायर याचक भर रह गए हैं। ■

रेप केस के नाबालिग दोषियों पर भी तो चले कानूनी चाबुक

निर्भया के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने वाले चारों गुनाहगारों को आगामी 22 जनवरी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। फांसी का समय सुबह 7 बजे रहेगा। पर इस भयानक केस से जुड़ा एक नाबालिग दोषी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। खैर, आखिरकार, इस तरह 7 साल 37 दिन के बाद ही सही निर्भया को इंसाफ मिलेगा। यह घटना इतनी दिल दहला देने वाली थी कि आम आदमी उस हालात की कल्पना तक नहीं कर सकता था जिन हालातों में उसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था। उसे देख कर उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों तक के रोंगटे खड़े हो गए थे। इस बेटी का नाम रखा था निर्भया और यह घटना घटित हुई थी दक्षिण दिल्ली के एक बस स्टॉप के पास। यह क्रूर हादसा 16 दिसम्बर की रात साल 2012 में हुआ था।

राजकुमार दंडौतिया

बलात्कार की शिकार हुई हजारों अन्य महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यही ढीलापन की स्थिति तो बलात्कारियों के हौंसले बुलंद करती हैं। निर्भया के साथ जब दुष्कर्म हुआ था तब भी सरकारी सैंकड़ों के मुकाबिक देश में रोज 68 दुष्कर्म हो रहे थे। तब से अब तक बलात्कार के मामले और 33 फीसद बढ़े ही हैं। यानी अब रोज 90 दुष्कर्म हो रहे है। ये आंकड़े डराते हैं। देश में 2012 में दुष्कर्म के 24 हजार 923 मामले दर्ज हुए थे, यानी रोजाना 68 मामले, 2018 में यह 33 फीसद बढ़ गए। यह तमाम आंकड़े गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हैं। अगर बात दिल्ली भर की ही करें तो इधर 2012 में दुष्कर्म के 706 मामले सामने आए थे, 2019 में 15 नवंबर तक ही दुष्कर्म के एक हजार 947 केस दर्ज हो चुके थे, यानी 7 साल में दिल्ली में दुष्कर्म के मामले 176 फीसद बढ़े। इन पर रोक तो तब ही लग सकती है जब दोषियों को त्वरित और सख्त सजा मिले। अगर इस मोर्चे पर हम विफल रहे तो देवी की अराधना करने वाले भारत में नारी शक्ति का अपमान होता रहेगा। उनके साथ बलात्कार के केस जारी रहेंगे। सुनकर यह भरोसा ही नहीं होता कि देश की सभी अदालतों में 2018 के अंत तक 1.38 लाख से ज्यादा रेप के मामले लंबित थे, 2018 में सिर्फ 27 फीसद मामलों में ही सजा मिल सकी। तो यह बात तो बहुत साफ है कि अभी रेप की शिकार लड़कियों को न्याय मिलने में देश की जनता को और जन प्रतिनिधियों को भी अभी एक लड़ाई लड़नी ही होगी। अगर हम यह सोच रहे हैं कि निर्भया के दोषियों को सजा देकर हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है तो यह हमारी भूल ही होगी। अब बोलिए कि हमने निर्भया के बाद से बलात्कारी तत्वों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की। मुझे कहने दीजिए कि इन सब प्रामाणिक सरकारी सैंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि बलात्कारी मानसिकता के लोगों को कानून का कोई डर ही नहीं है। उन्हें भरोसा है कि वे जैसे-तैसे, कुछ न कुछ तरकीब/जुगाड़ से अन्तः बच ही जायेंगें। कहना न होगा कि निर्भया को तो देर-सवेर न्याय इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके मामले से सारा देश ही आँदोलित हो उठा था। ताजा हालत यह है कि 2018 के अंत तकदेश की अदालतों में दुष्कर्म के 1 लाख 38 हजार 342 मामले धूल चाट रहे थे। इनमें से 17,313 मामलों में जिरह पूरी हुई है। जबकि सिर्फ 4 हजार 708 मामलों में ही सजा सुनाई गई। 2018 में सजा देने की दर 27.2 फीसद रहा जो 2017 की तुलना में भी 5 फीसद कम है। एक बात बहुत साफ है कि बलात्कार के मामलों से जुड़े नाबालिगों को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। मैं हाल ही एक खबर पढ़ रहा था कि निर्भया कांड का नाबालिग दोषी विगत 20 दिसंबर को रिहा किया जाना है। इसी दौरान दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने नाबालिग दोषी के पुनर्वास की योजना पेश की। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार उसे 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद और एक सिलाई मशीन देगी ताकि वो दुकान किराए पर लेकर टेलरिंग का काम कर सके। दिल्ली सरकार के इस कदम पर ऐतराज जताते हुए केंद्र ने कहा कि अभी नाबालिग दोषी की मानसिक स्थिति संदिग्ध है। केंद्र चाहता है कि अभी उसे बाल सुधार गृह में ही रखा जाए। यब बात समझ से परे है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिन भर एफ.एम. रेडियो पर औरतों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली वालों को प्रवचन दे रहे होते हैं, उनकी सरकार नाबालिग बलात्कारी को लेकर इतना उत्साह क्यों दिखा रही है। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि इसी नाबालिग बलात्ताकरी ने असहाय निर्भया के साथ दरिंदे दानवों से भी ज्यादा नृशँस कुकृत्य किया था। क्या अरविन्द केजरीवाल इस सवाल का जवाब देंगें? बहरहाल, 2012 से 2018 के बीच 12,125 नाबालिगों पर दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। अगर इन 7 सालों का औसत निकाला जाए तो हर दिन 5 नाबालिगों पर दुष्कर्म के केस दर्ज हुए। दुष्कर्म के मामलों के अलावा 2012 से 2018 के बीच 10,052 नाबालिगों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े केस दर्ज दिए गए। तो साफ है कि रेप जैसे जघन्य कांड में लिप्त नाबालिगों पर भी कसकर कानून की चाबुक चलनी चाहिए। देखिए रेप से जुड़े मामलों को डील करने के लिए या तो अलग से कोर्ट बने या फिर उन्हें निपटाने की कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। रेप संबंधी केस लटकने नहीं चाहिए। अगर रेप से जुड़े मामलों पर भी तारीख पर तारीख दी जाती रहेगी तो फिर हम रेप के केस कैसे रोक पाएँगे। इस तरह के मामलों को लेकर सरकार और समाज का रुख भी एक है। तो फिर बलात्कारियों पर हल्ला क्यों नहीं बोला जाता है। रेप से जुड़े केस एक साल के अन्दर ही खत्म हो जाने चाहिए। यानी इस दौरान दोषियों को सजा मिल जानी चाहिए। अगर हम इस तरह का उदाहरण पेश करेंगे तो सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ेगा। ■

संविधान की अंतरात्मा और शिक्षा

डॉ. अनिल सदगोपाल

पिछले महीने जब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी पर बहस हो रही थी, तब जनता इस प्रस्तावना में गणराज्य के इन्हीं स्तंभों को बार-बार पढ़ रही थी। आज सड़कों पर लामबंद हम भारत के लोग पूछ रहे हैं कि जब देश भारी आर्थिक मंदी में डूब रहा हो, बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर हो और आर्थिक गैर-बराबरी तेजी से बढ़ रही हो, उस समय संवैधानिक प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बहुजन यानी आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी और विमुक्त तथा घुमंतू जातियों के लोग न केवल अपने जल-जंगल-जमीन और जीविका से बेदखल किए जा रहे हैं बल्कि मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के मौलिक हक से भी।

संविधान की अंतरात्मा और शिक्षा शिक्षा में भेदभाव: लगातार उपेक्षा से सरकारी स्कूलों की हुई दुर्दशा

“हम भारत के लोग ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। आज लगभग 70 साल के बाद देश का शासक वर्ग इन्हीं लोगों को यह पूछने को मजबूर कर रहा है कि संविधान के रहते हुए हमारा भारत कहां भटक गया और क्यों? संविधान की प्रस्तावना में जिस संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का सपना देखा गया था, उसकी संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता क्या बची है? क्या भारत का लोकतंत्र गांधी के आखिरी आदमी का चेहरा देख पाता है या फिर कॉरपोरेट पूंजी का गुलाम बनकर उसी आखिरी आदमी को लूट रहा है? संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक को–चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, मजहब, लिंग, भाषा और क्षेत्र का हो–सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, आस्था, मजहब तथा उपासना की आजादी, सामाजिक दर्जे तथा अवसर की बराबरी और बंधुता की नींव पर खड़ा हुआ समाज देने का संकल्प है।

देश में गरीबी, भुखमरी, बाल-मृत्युदर जैसे मानव विकास के सूचकांक बद-से-बदतर होते जा रहे हैं। क्या इसके बावजूद बहुजनों को स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा महाशक्ति बनने के निरर्थक ख्वाब दिखाने की इजाजत संविधान देता है? इन हालात में हम भारत के लोग का सवाल वाजिब है कि संविधान के रहते हुए इन भीषण समस्याओं को दरकिनार करके सीएए-एनपीआर-एनआरसी की राजनैतिक प्राथमिकता कैसे बन गई और किस मकसद से?

खंड तीन – मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद 14. राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी या कानूनों के समतामूलक संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15. - (1) राज्य, किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल मजहब, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा
- अनुच्छेद 16. सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार, नियुक्तियों और शिक्षा में सामाजिक न्याय के लिए विविध प्रावधान।

अनुच्छेद 19.-(1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा –

- अनुच्छेद 21. किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत आजादी से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बगैर वंचित नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 21 (क) (86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) के जरिए संविधान के खंड तीन में शामिल किए गए इस अनुच्छेद ने खंड चार में शुरू से ही मौजूद मूल अनुच्छेद 45 की जगह ले ली। इस संशोधन से शिक्षा के मौलिक हक की अवधारणा को हुए भारी नुकसान की व्याख्या आगे की गई है।)
- अनुच्छेद 24. - चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे-बच्ची को न तो किसी कारखाने या खदान में नियोजित किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगाया जाएगा।
- अनुच्छेद 25. सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की आजादी का और मजहब को निर्बाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
- अनुच्छेद 28. (1) राज्य-निधि से पूरी तौर पर पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- (3) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाले शैक्षिक संस्थान में सहभागी किसी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या ऐसे संस्थान या उससे संलग्न आहाते में की जाने वाली धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो।

खंड तीन और चार का रिश्ता

मौलिक अधिकारों के खंड तीन और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खंड चार के आपसी संबंध को लेकर लगातार भ्रम रहा है। आम धारणा यह बनाई गई कि खंड तीन का ही महत्व है, क्योंकि उसको लेकर अदालत में न्याय मांगा जा सकता है और खंड चार को मानना या न मानना सरकार की मर्जी पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) फैसले में स्पष्ट किया है कि, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की अंतरात्मा हैं...खंड चार की अवहेलना करने के मायने संविधान की अवहेलना करना है, साथ में उन उम्मीदों की जो इससे देश को हैं और उन आदर्शों की भी जिनके ऊपर संविधान खड़ा है। इसी तरह 1992 (मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य) में और फिर 1993 (उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खंड चार राज्य के उद्देश्य बताता है और खंड तीन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन देता है। यानी खंड चार के नीति-निर्देशक तत्व साध्य हैं और खंड तीन के मौलिक अधिकार उनको हासिल करने के साधन हैं। इसी के आधार पर उन्नीकृष्णन फैसले (1993) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खंड चार के अनुच्छेद 45 में कक्षा आठ तक दिए गए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के वादे को खंड तीन के जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21) के साथ जोड़कर पढ़ा जाए क्योंकि अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का हक देता है जो ज्ञान के बगैर अधूरा है। आगे इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 45 के उक्त वायदे को संविधान बनने के दस साल के भीतर पूरा करना था, जो 43 साल से नहीं हुआ है।

खंड चार–राज्य के नीति– निर्देशक तत्व

- अनुच्छेद 39. राज्य खास तौर पर अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा देगा कि - (च)... बच्चों-बच्चियों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग न हो... (छ) बच्चों-बच्चियों को स्वस्थ रूप से और स्वतंत्र तथा गरिमामय हालात में विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन तथा युवाओं को शोषण और नैतिक तथा भौतिक रूप से अवहेलना झेलने से संरक्षण मिले।
- अनुच्छेद 41. राज्य, अपनी आर्थिक हैसियत और विकास की मयार्दाओं के भीतर, काम, शिक्षा और बेरोजगारी... तथा विकलांगता और ऐसे अन्य अभावों के मामलों में सार्वजनिक मदद के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कारगर प्रावधान बनाएगा।
- अनुच्छेद 45. राज्य, प्रयास करेगा कि, संविधान लागू होने के दस साल के भीतर, सभी बच्चों-बच्चियों को 14 साल की उम्र पूरी होने तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया की जाए। (तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस मूल अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) के जरिए कमजोर और विकृत कर-के छह साल से कम उम्र की बच्चियों- बच्चों के पोषण, सेहत, सुरक्षा तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए छीन लिया। बेशक, यह संशोधन भारत के संवैधानिक इतिहास में वैश्विक नवउदारवादी पूंजीवाद का पहला सीधा हमला था।)
- अनुच्छेद 46. राज्य, कमजोर तबकों के लोगों और खास तौर पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगा और उनको सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से बचाने के लिए संरक्षण देगा।

देश की शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा कई संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों का उल्लंघन करके या फिर उनकी भ्रामक व्याख्या करके ही तैयार हुआ है। उदाहरण के लिए, केजी से पीजी तक शिक्षा व्यवस्था बहु-परती है यानी गैर-बराबरी और भेदभाव की बुनियाद पर खड़ी की गई है - क्रमशः अनुच्छेद 14 व 15-1 के मौलिक हक का उल्लंघन करके। केवल मध्यम व उच्च वर्गों (आबादी का 15 फीसदी से भी कम) की जरूरतों और आकांक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा व्यवस्था बनाई गई और उनके सरोकार ही नीति-निर्माण प्रक्रिया पर हावी रहे हैं। या यूं कहें कि समूची शिक्षा व्यवस्था 85 फीसद से ज्यादा आबादी (जो मेहनतकश अवाम है, बहुजन है) के सरोकारों और सपनों के मुताबिक कभी बनाई ही नहीं गई। इसीलिए, जो बहुजन कक्षा 1 में दाखिला लेते हैं उनमें से बमुश्किल 10 फीसदी ही बारहवीं कक्षा पार करते हैं, बाकी को उसके पहले ही शिक्षा से बेदखल कर दिया जाता है। यानी 90 फीसदी बहुजनों को आज तक उच्च शिक्षा में जाने का मौका ही नहीं मिला है और न ही सामाजिक न्याय के एजेंडे का कोई फायदा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बेदखली की इस दर को और तेज करेगी। जब तक पूरे देश में केजी से पीजी तक सार्वजनिक (सरकारी) वित्त से संचालित पूरी तौर पर मुफ्त समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी, जिसमें सभी तरह की गैर-बराबरियां बाहर की जाएं और विविधताओं को शामिल किया जाए, तब तक देश की सभी बच्चियां-बच्चे और युवा कभी भी शिक्षित नहीं हो पाएंगे। यही एकमात्र व्यवस्था है जो संविधान के मूल्यों के मुताबिक है और इसके अलावा देश के सामने और कोई ऐतिहासिक विकल्प नहीं है। इस कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भटकाव है बल्कि हम भारत के लोग के साथ छलावा भी है।

अनुच्छेद 38 (2) राज्य, खास तौर पर न केवल व्यक्तियों के बीच लेकिन विभिन्न इलाकों में रहने वाले या विभिन्न पेशों में लगे हुए जनसमूहों के बीच भी आमदनी की गैर-बराबरियों को न्यूनतम करने और सामाजिक दर्जों, सुविधाओं और अवसरों की गैर-बराबरियों को खत्म करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39 राज्य खास तौर पर अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा देगा कि...

(ख) भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो ताकि सामूहिक हित को बेहतरीन ढंग से साधा जा सके।

(ग) आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाए कि सर्वसाधारण के हितों के खिलाफ संपदा और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण न हो।

इसके मायने हैं कि संविधान के अनुसार राज्य की जवाबदेही होगी कि वह लोगों की आमदनी के बीच में फर्क को न्यूनतम करे; भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण इस प्रकार किया जाए कि उससे सामूहिक हित पुख्ता हों; और आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस तरह किया जाए कि संपदा और उत्पादन के साधन केवल कुछ लोगों के हाथों में न सिमट जाएं। अगर खंड चार के इन तीनों प्रावधानों को खंड तीन के अनुच्छेद 21 (सम्मानजनक जीवन जीने का हक) के साथ जोड़कर देखा जाए तो देश में आर्थिक गैर-बराबरी हो ही नहीं सकती क्योंकि सारी दौलत कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सिमट ही नहीं सकती। देश में अरबपतियों और खरबपतियों के बनने के मायने ही संविधान की इस अंतरात्मा का उल्लंघन है। अगर संविधान का पालन किया होता तो देश में न गैर-बराबरी होती, न गरीबी होती और न ही उच्च वर्गों और ऊंची जातियों के लिए संभव होता कि वे बहुजनों के द्वारा किए गए उत्पादन को लूटें और उन पर जातिगत अत्याचार करें। लेकिन देश का शासक वर्ग संविधान की इस अंतरात्मा को मानने से हमेशा इनकार करता रहा है। शिक्षा का उदाहरण लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 1992 (मोहिनी जैन) और 1993 (उन्नीकृष्णन) के फैसलों के कारण कक्षा आठ तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल चुका था। इसको लागू करने के बजाय 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके ये दुष्परिणाम हुए। (क) 6 वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों का पोषण, सेहत, सुरक्षा और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार छिन गया। (ख) राज्य को यह छूट मिल गई कि वह 6-14 आयु समूह के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अपनी मनमर्जी से दे, क्योंकि संशोधित अधिनियम के मुताबिक नए अनुच्छेद 21(क) में यह हक उस रीति से दिया जाएगा जैसा राज्य कानून बनाकर तय करेगा। (ग) मूल अनुच्छेद 45 में संविधान बनने के 10 साल के भीतर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश था लेकिन संशोधित अधिनियम के मुताबिक ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई। इसलिए यह हक देश के लगभग आधे बच्चों को आज तक नहीं मिला है, जो मुख्यतः बहुजन हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इस हक को देने के लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं की है। (घ) अनुच्छेद 51 ए (मौलिक कर्तव्य) में एक उप-अनुच्छेद (क) जोड़ा गया जिसने 6-14 आयु समूह के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी अभिभावकों के कंधों पर डालकर राज्य को उससे मुक्त कर दिया गया। शिक्षा के बाजारीकरण के बाद हालात ये हैं कि सरकारी स्कूल तेजी से बंद किए जा रहे हैं जिसके चलते बहुजनों को फीस देकर पढ़ने की जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ रही है। उनकी हैसियत इतनी नहीं है तो उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दी गई चेतावनी को फिर दोहराने की जरूरत है, ह्व26 जनवरी 1950 को विरोधाभासों से भरे राष्ट्रीय जीवन की शुरूआत होने जा रही है। राजनीति में बराबरी होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में गैर-बराबरी। राजनीति में हम एक व्यक्ति-एक वोट और हर वोट बराबर के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक-आर्थिक ढांचे की वजह से हम सामाजिक और राजनैतिक जीवन में हर वोट बराबर के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक विरोधाभासों से भरे इस जीवन को जीते रहेंगे? हम कब तक हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में बराबरी को नकारते रहेंगे? अगर इस तरह हम लंबे अरसे तक बराबरी को नकारते रहे तो ऐसा हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही करेंगे। हमें इस विरोधाभास को यथासंभव जल्द-से-जल्द खत्म करना होगा वरना जो लोग गैर-बराबरी से उत्पीड़ित होंगे, वे उस राजनैतिक लोकतंत्र को नेस्तनाबूद कर देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत के साथ खड़ा किया है। अभी भी समय है कि संविधान की अंतरात्मा को समझें वरना जैसा डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि ह्व. . .जो लोग गैर-बराबरी से उत्पीड़ित होंगे वे उस राजनैतिक लोकतंत्र को नेस्तनाबूद कर देंगे...ह्व जब (2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में) अनुसूचित जाति प्रताड़ना-विरोधी कानून को शिथिल किया गया तो स्वतःस्फूर्त विद्रोह हुआ। बड़ी तादाद में दलित युवा सड़कों पर आ गए और कानून को शिथिल करने का फैसला वापस लेना पड़ा। इसीलिए देश के दलित नागरिक अपने सम्मान और मुक्ति की राह ढूंढ़ने हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में इकट्ठे होते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक दिन जरूर आएगा जब संविधान का पालन किया जाएगा। इसी विश्वास से तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी भी केवल अपने हकों की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे वरन संविधान की प्रस्तावना में जिस समतामूलक, न्यायपूर्ण, अभिव्यक्ति-आस्था की आजादी और बंधुत्व पर आधारित संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का सपना हम भारत के लोग ने 26 नवंबर 1949 को देखा था, उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। छात्र-छात्राओं ने शहीद-ए-आजम भगतसिंह के विद्यार्थी और राजनीति (1928) के आलेख को आत्मसात कर लिया है कि पढ़ाई और लड़ाई साथ-साथ। डॉ. आंबेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो का आह्वान अब केवल दलित युवाओं की ही नहीं, वरन सभी युवाओं की पूरी पीढ़ी की चेतना बन चुका है। ■

> “जब तक पूरे देश में केजी से पीजी तक सार्वजनिक (सरकारी) वित्त से संचालित पूरी तौर पर मुफ्त समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी, जिसमें सभी तरह की गैर-बराबरियां बाहर की जाएं और विविधताओं को शामिल किया जाए, तब तक देश की सभी बच्चियां-बच्चे और युवा कभी भी शिक्षित नहीं हो पाएंगे। यही एकमात्र व्यवस्था है जो संविधान के मूल्यों के मुताबिक है और इसके अलावा देश के सामने और कोई ऐतिहासिक विकल्प नहीं है। इस कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भटकाव है बल्कि हम भारत के लोग के साथ छलावा भी है।”

विवाद से विश्वास की ओर बढ़ने वाला

ऐतिहासिक आम बजट

जिस प्रकार इस बजट को विवाद से विश्वास की ओर बताते हुए इसमें जीवन यापन को आसान करने तथा व्यापार करने को आसान बनाने के दावे के साथ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उससे यह आम बजट निवेश, रोजगार और आय में वृद्धि की उम्मीदें जगाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। शेयर बाजार तो इस बजट के बाद धड़ाम से नीचे गिरा। सेंसेक्स 987.96 अंकों की गिरावट के साथ 39735.53 पर और निफ्टी 318 अंक गिरकर 11643.80 पर बंद हुआ। शेयर बाजार का मूड बिगड़ने को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार को बजट से काफी उम्मीदें थीं और बजट से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार आर्थिक सुस्ती से बाहर निकलने के लिए खपत को बढ़ावा देने हेतु सुस्ती झेल रहे सेक्टर्स के लिए कुछ खास ऐलान करेगी लेकिन सरकार द्वारा बजट में किसी भी सेक्टर विशेष के लिए कोई खास ऐलान नहीं किए गए, चाहे वह लंबे समय से सुस्ती झेल रहा ऑटो सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट सेक्टर। निवेशकों को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार उनके हित में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म करेगी या लॉन्ग टर्म की परिभाषा बदलेगी लेकिन ऐसे कदम नहीं उठाए जाने के चलते बाजार इस बजट से निराश हुआ है। बजट में सरकार द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डीडीटी) खत्म करने की घोषणा की गई है।

योगेश कुमार गोयल

माना जा रहा है कि इससे सरकारी खजाने पर 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों को भी नुकसान होगा क्योंकि डिविडेंड अब करदाताओं की आय में जुड़ जाएगा। लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कर छूट और कटौती का लाभ छोड़ने वालों को आयकर की दरों में कटौती की घोषणा के बाद कहा कि सरकार का इरादा दीर्घकाल में सभी प्रकार की आयकर छूट को समाप्त करना है। बजट में तेजस जैसी और रेलगाड़ियां देश में ही बनाने तथा चलाने की घोषणा करने के अलावा रेलवे, आयकर स्लैब, शिक्षा, किसानों इत्यादि को लेकर कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10 फीसदी रहने का अनुमान लगाते हुए आयकर स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री का कहना था कि सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी एलआईसी और आईडीबीआई में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बजट घोषणाओं में सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। आम बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, यह जान लेना बेहद जरूरी है। बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार अब कृषि-पशु आधारित उत्पाद, रॉ शुगर, स्किम्ड मिल्क, प्यूरीफाइड टेरिफैलिक एसिड (पीटीए), सोया फाइबर, सोया प्रोटीन, अखबार का कागज, कोट्ड पेपर इत्यादि सस्ते हो जाएंगे जबकि सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, फर्नीचर, फुटवियर, स्टील, कॉपर, कुछ खिलौने, कुछ मोबाइल उपकरण इत्यादि महंगे हो जाएंगे।

वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, किसानों के कल्याण तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इन योजनाओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का फंड आवंटित करने की घोषणा की गई है। कुल फंड में कृषि तथा सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इन्हीं फैसलों में प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के जरिये 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा सौ सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर कार्य करने, 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ने, कृषि बाजारों को उदार बनाने तथा कृषि मंडियों में कामकाज में सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने जैसे फैसले भी लिए हैं। सरकार ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनियों को प्रोत्साहित कर 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने तथा मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है, साथ ही वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर भी कायम है। राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के तहत सरकार ने फल-सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत ऐसे उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। इसके अलावा सरकार का कुछ मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्दी खराब होने वाले सामान (फल, सब्जियों, डेयरी उत्पाद, मछली, मांस इत्यादि) की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। बंजर जमीन पर सोलर पावर जेनरेशन यूनिट लगाकर उत्पादित बिजली को ग्रिड को बेचने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बजट में समुद्री इलाकों में 3077 सागर मित्र बनाने के अलावा वहां के किसानों के लिए मछली उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन रखा गया है।

2019 में पुनः सत्तासीन होने के बाद सरकार ने जुलाई माह में पेश किए गए बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 4700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था लेकिन इस बार इसमें 329 करोड़ की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5029 करोड़ कर अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने का प्रयास किया है। बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35600 करोड़ तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना हेतु इस मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये तथा पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्रालय को 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30757 करोड़ रुपये तथा लद्दाख को 5958 करोड़ रुपये आवंटित करने और जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शीघ्र ही नई शिक्षा नीति की घोषणा करने की बात कहते हुए वित्तमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने वंचित तबके से संबंध रखने वाले ऐसे छात्रों के लिए, उच्च शिक्षा जिनकी पहुंच से बाहर है, देश के शीर्ष सौ शैक्षणिक संस्थानों में डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने की बात भी कही है। पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान तथा साइबर फोरेंसिक के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत एशियाई व अफ्रीकी देशों में एक आईएनडी-एसएटी परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है ताकि भारतीय उच्च शैक्षणिक केन्द्रों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों के लिए मानक तय किया जा सके।

> “बहरहाल, सबका साथ सबका विकास से आगे बढ़कर जिस प्रकार इस बजट को विवाद से विश्वास की ओर बताते हुए इसमें जीवन यापन को आसान करने तथा व्यापार करने को आसान बनाने के दावे के साथ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उससे यह आम बजट निवेश, रोजगार और आय में वृद्धि की कुछ उम्मीदें जगाता बजट तो प्रतीत होता है लेकिन बजट के जरिये बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हुए जो सपने दिखाए गए हैं, वे कितने पूरे होंगे, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि उन्हें पूरा करने के लिए किस हद तक ईमानदार प्रयास किए जाएंगे।”

वित्त मंत्री के अनुसार भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केन्द्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है, जो मार्च 2014 में 52.2 प्रतिशत था। वित्त मंत्री के अनुसार देश में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए 31 दिसम्बर 2019 को शुरू हुई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 103 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं और परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। इन नई परियोजनाओं में आवासीय, साफ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, मैट्रो बस, लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।

बजट में बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हुए देशभर में आगामी तीन वर्षों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कम्पनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर करने की भी घोषणा की गई है। आम बजट में आयकर के नए स्लैब की घोषणा करते हुए पांच लाख रुपये तक की आय को करमुक्त कर दिया गया है और नए टैक्स स्लैब की व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है अर्थात कोई व्यक्ति चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रह सकता है या फिर बिना छूट वाले नए कर ढांचे को अपना सकता है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत ढाई लाख रुपये तक की आय करमुक्त रहेगी और ढाई से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। हालांकि सरकार द्वारा कहा गया है कि उसने नए स्लैब की मदद से कर व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की कोशिश की है लेकिन अधिकांश कर विशेषज्ञ इसे भ्रमित करने वाला फैसला करार दे रहे हैं। दरअसल पुरानी आयकर व्यवस्था में करदाताओं को कर का भुगतान करते हुए कई प्रकार की छूट और रियायतें मिलती थीं लेकिन नए कर स्लैब के अनुसार करदाता द्वारा इस व्यवस्था का लाभ लेने की स्थिति में उसे सौ में से करीब सत्तर रियायतों और छूट को छोड़ना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार पांच लाख तक की आय वाले करदाताओं को किसी तरह के कर का भुगतान नहीं करना होगा जबकि 5 से 7.5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 10 फीसदी, 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख की आय पर 25 फीसदी जबकि 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी कर का भुगतान करना होगा।

कर विशेषज्ञों के मुताबिक पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच में चुनाव के विकल्प के कारण जटिलताएं उत्पन्न होंगी। दरअसल नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में से कौन-सा विकल्प किसी करदाता के लिए फायदे का सौदा होगा, यह उसकी आय और किए गए निवेश पर निर्भर करेगा लेकिन दुविधा यह है कि करदाता स्वयं इसकी गणना नहीं कर सकता, नई व्यवस्था में रियायतों और छूट को छोड़ने से होने वाले फायदे या नुकसान को समझने के लिए उसे कर विशेषज्ञों की मदद लेनी ही होगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुरानी व्यवस्था में मिलने वाली रियायतों और छूट का लाभ भी नहीं छोड़ना चाहेगा। नई कर व्यवस्था का लाभ लेने के लिए करदाता को जिन रियायतों या छूट को छोड़ना पड़ेगा, उनमें एलटीए, एचआरए, 50 हजार रुपये का तक स्टैंडर्ड डिडक्शन, फैमिली पेंशन के मद में 15 हजार रुपये की छूट तथा 80सी के तहत किया गया निवेश शामिल है, जिसमें पीएफ योगदान, एलआईसी प्रीमियम, स्कूल ट्यूशन फीस, ईएलएसएस, एनपीएस तथा पीपीएफ में किया गया निवेश शामिल होता है। बहरहाल, सबका साथ सबका विकास से आगे बढ़कर जिस प्रकार इस बजट को विवाद से विश्वास की ओर बताते हुए इसमें जीवन यापन को आसान करने तथा व्यापार करने को आसान बनाने के दावे के साथ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उससे यह आम बजट निवेश, रोजगार और आय में वृद्धि की कुछ उम्मीदें जगाता बजट तो प्रतीत होता है लेकिन बजट के जरिये बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हुए जो सपने दिखाए गए हैं, वे कितने पूरे होंगे, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि उन्हें पूरा करने के लिए किस हद तक ईमानदार प्रयास किए जाएंगे। देश की माली हालत और देश की अर्थव्यवस्था की दशा व दिशा को बारीकी से समझने वाले शेयर बाजार ने करीब हजार अंकों तक डूबते हुए बजट पर जो सीधी और सरल नकारात्मक टिप्पणी की है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब आएंगी नौकरियों की बहार

निश्चित रूप से मोदी सरकार के साल 2020-21 के आम बजट की गहन समीक्षा करने के बाद कोई भी तटस्थ अर्थशास्त्री भी मानेगा कि इस बजट का मोटा-मोटी फोकस देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को सृजित करने पर रहा है। यही समय की मांग भी थी। सारे देश को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूरी उम्मीद भी यही थी कि उनके बजट प्रस्तावों में नौकरियों को सृजित करने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तावों से शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में लाखों नौकरियां आएंगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा भी कि अब शिक्षा और नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां आएंगी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि हेल्थ सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें अब नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों अवसर और पैदा होना बहुत सुखद है। उनके बजट भाषण में रोजगार शब्द का 13 बार जिक्र आया। साफ है कि मोदी सरकार का अब लक्ष्य देश के नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करवाना है। भारत में शिक्षा के प्रसार-प्रचार के बाद अब यह जरूरी हो गया है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़े।

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 103 लाख करोड़ रु. के निवेश का प्रावधान किया गया है। यानी आगामी पांच साल के दौरान सरकार हर साल 20 लाख करोड़ के आसपास धन इंफ्रास्ट्रक्टर के क्षेत्र में लगाएगी। माना जाता है कि कृषि के बाद इंफ्रास्ट्रक्टर क्षेत्र में ही सबसे अधिक रोजगार के अवसर रहते हैं। बेशक अब देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लंबी छलांग तो लगाएगा ही। छः हजार किलोमीटर राजमार्ग बनेंगें ।

इससे करीब 2 करोड़ रोजगार भी पैदा होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 103 लाख करोड़ के 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। इनसे रोजगार भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। इसके लिए अभी तक 22 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस निवेश से इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूती मिलेगी। एनआईपी के तहत हाउसिंग, पीने का स्वच्छ पानी, एनर्जी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, मेट्रो, रेलवे, लॉजिस्टिक और सिंचाई आदि में प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। दरअसल मोदी सरकार की देश में बढ़ती बेरोजगार को लेकर तीखी आलोचना हो रही थी। जाहिर है, सरकार ने अपने इस बजट में उन तमाम आलोचनाओं के भरपूर जवाब दे दिए हैं। हालांकि अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने बजट पर अपनी राय देते हुए इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सरकार शिक्षा पर 99,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बेशक यह बड़ी राशि है। इसका उपयोग कई स्तरों पर होगा।

जैसे स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों की भर्तियों से लेकर शिक्षा के मंदिरों को विश्व स्तरीय बनाना। कहना ना होगा कि इसके चलते भी रोजगार के अकूत अवसर पैदा होंगे। पर सबसे अहम बिन्दु यह अब कौन अध्यापक बन रहा है? आप किसी शहर या मेट्रो में रहते हैं तो आप पाएँगे कि आपके आस-पास रहने वाले तमाम क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, पर वे प्रायः अध्यापक नहीं है। मास्टरजी बनने को लेकर मानो सारे समाज में विरक्ति का भाव हो चुका है। मेधावी नौजवान प्राइवेट सेक्टर की छोटी-मोटी नौकरी करना पसंद करने लगे हैं अध्यापक बनने की बजा?। आप अखबारों में छपने वाले वैवाहिक विज्ञापनों का अध्ययन कर लीजिए। आपको उनमें अध्यापकों के विज्ञापन बेहद कम मिलेंगे। भावी वधू तो टीचर फिर भी मिल जाएगी, पर भावी वर के टीचर मिलने की संभावना बेहद क्षीण ही रहती है। एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार, देश में 69.1 फीसद अध्यापक महिलाएं हैं। अब कमोबेश स्कूलों में वहीं टीचर बन रहे हैं, जो रोज क्लास लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वे अपने पेशे को लेकर कतई प्रतिबद्ध नहीं हैं। आप किसी भी स्कूल-कालेज के अध्यापकों का एक सैम्पल सर्वेक्षण करवा लीजिए कि उन्होंने अपने करियर में कितने शोध पत्र लिखे या कोई उल्लेखनीय नया कार्य किया। आपको नतीजा सिफर ही मिलेगा। यानी अब अध्यापक वे ही बन रहे हैं,जिनकी अपने पेशे के प्रति निष्ठा ही संदिग्ध है। आशा की जाए कि सरकार के शिक्षा क्षेत्र में फोकस के बाद हालात सुधरेंगे। शिक्षा क्षेत्र की अनदेखी तो किसी भी हालत में नहीं की जा सकती। आखिर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से ही देश को अपने भावी इंजीनियर, डाक्टर, लेखक, नेता आदि मिलते हैं। अब भी हमारे शिक्षा क्षेत्र में बजट चीन की तुलना में बहुत कम है। चीन की बात करें तो उसने 2019-20 में 29.58 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च किए थे, जबकि 2019-20 में भारत का पूरा बजट इससे 4% कम यानी 27.86 करोड़ रु. था। वैसे हमारी आबादी भी तो कम है। यह पिछली बार के 94890 करोड़ से महज 4 फीसद है। शिक्षा पर हमारा निरंतर फोकस रहना चाहिए। इस बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती है।

यह अच्छी बात है कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं कीं। भारत ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पेटेटिव इंडेक्स में 2019 में 34वीं रैंकिंग पर आ गया। यह 2014 में 65वीं थी। हालांकि इस रैंकिंग को अभी और सुधारने की जरूरत है।

उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए 25,00 करोड़ का बजट अलॉट किया। सबको पता है कि पर्यटन क्षेत्र ने सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई की किस्मत ही बदल दी है। इनमें भारत से अधिक पर्यटक सैर-सपाटा के लिए जाते हैं। हमें भी दुनियाभ? के पर्यटकों को अपने यहां खींचना होगा। उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब दुनियाभ? के पर्यटकों को जम्मू-कश्मीर में लेकर जाने की भी जरूरत है। अब चूंकि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं, इसलिए पर्यटकों को राज्य में घूमने-फिरने के अवसर देने होंगे। कश्मीर देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहे तो अच्छा होगा। इससे वहां की तबाह हो गई है। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की माली हालत सुधरेगी। बेशक कश्मीर के पर्यटन को वहां पर आतंकवाद ने मिट्टी में मिलाकर कर रख दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भारत विरोधी तत्वों ने पर्यटकों की बसों पर पत्थर फेंकने चालू कर दिए थे। इन सब कारणों से वहां पर पर्यटक जाने से पहले दस बार सोचने लगे थे।

भारत को अपने यहां भगवान बुद्ध को मानने वाले देशों जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, जापान आदि देशों के बौद्ध प?टकों को भी लाना होगा। सरकार ने टुरिज्म सेक्टर के चौतरफा विकास के लिए मोटी राशि रखी है, उसके नतीजे तो आएंगे ही अगर सब मिलकर काम करें। तब पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर निकलेंगे। बहरहाल, देश के इस आम बजट ने बेहतर रोजगार के अवसर तलाश रहे लाखों- करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद तो जगाई ही है। अब यह उम्मीद कितनी सही साबित होती है, यह एक यक्ष प्रश्न है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार का इरादा दीर्घकाल में सभी प्रकार की छूट को समाप्त करना है। उन्होंने बजट में कर छूट और कटौती का लाभ छोड़ने वालों को आयकर की दरों में कटौती की घोषणा के बाद यह बात कही। लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर में कटौती से पहले पिछले साल सितंबर में कंपनी कर में कटौती की गयी थी। मंत्री ने यह भी कहा कि जब भी जरूरत होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी। हालांकि उनके बजट भाषण में इस अतिरिक्त पूंजी के बारे में कोई ठोस राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह में सुधार के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष मेंराजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है जो चालू वित्त वर्ष में 3.8 प्रतिशत रह सकता है। विनिवेश सचिव टी के पांडे ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री होगी और उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिये 2.10 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है, उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी बेचे जाने के लिये रूचि पत्र जल्दी ही जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी। ■

> “बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 103 लाख करोड़ रु. के निवेश का प्रावधान किया गया है। यानी आगामी पांच साल के दौरान सरकार हर साल 20 लाख करोड़ के आसपास धन इंफ्रास्ट्रक्टर के क्षेत्र में लगाएगी। माना जाता है कि कृषि के बाद इंफ्रास्ट्रक्टर क्षेत्र में ही सबसे अधिक रोजगार के अवसर रहते हैं। बेशक अब देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लंबी छलांग तो लगाएगा ही। छः हजार किलोमीटर राजमार्ग बनेंगें ।”

महिलाएं सबसे बाद में बचा-खुचा खाती हैं, इसलिए भारत कुपोषण का शिकार

आमतौर पर घर के बाहर पुरुष का राज होता है और घर के भीतर महिलाओं का। लेकिन भारत में भी 1950 के बाद काम के लिए महिलाओं के घर से बाहर निकलने के साथ इस विभाजन में बदलाव आया। फिर भी अधिकांश घरों में महिलाएं ही रसोई संभालती हैं और पूरे परिवार के पोषण का ख्याल रखती हैं। रसोई में राशन की व्यवस्था से लेकर हर दिन क्या बनेगा तक महिलाएं ही निर्णय लेती हैं। लेकिन जब बात समुचित आहार की आती है तो एक ही घर के पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर दिखाई देता है। महिलाएं घरों में सबसे आखिर में खाना खाती हैं और जो बच जाता है, वही खाती हैं, प्राय: कम भोजन बचने पर वही खाकर संतुष्ट हो जाती हैं। जागरूकता की कमी से दशकों से भारतीय महिलाएं उचित पोषण से वंचित रही हैं और यह तथ्य आज तक भारत को प्रभावित कर रहा है। भारत में हर दूसरी महिला एनिमिया से पीड़ित है, हर तीसरी महिला का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) कम है और हर चौथे बच्चे का जन्म के समय वजन मानक से कम होता है। ये स्थितियां भारत में कुपोषण को विकट बनाती हैं। जबकि 1975 में बच्चों में अत्यधिक कुपोषण की पहचान करने वाला भारत पहला राष्ट्र था और उसी साल हमने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की शुरूआत की थी। लेकिन कई नीतियों और योजनाओं के बाद भी महिलाओं का पोषण आज भी बेहद खराब है।

शर्मिष्ठा चक्रवर्ती

कई अध्ययनों और शोधों ने निर्णायक रूप से साबित किया है कि स्वस्थ महिलाओं के हृष्ट-पुष्ट शिशु पैदा होने की अधिक संभावना होती है। ये बच्चे ही आगे चलकर स्वस्थ वयस्क बनते हैं। महिलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण के बोझ के लिए ग्लोबल स्तर पर वैज्ञानिक फोकस उनकी भोजन की आदतों पर बढ़ा है। कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए इसे कुंजी माना जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति उनके जीवन की गुणवत्ता का केंद्र है। यह देश की भावी पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। आज यह निर्विवाद रूप से साबित हो चुका है कि महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार का प्रभाव शिशु के जन्म और बच्चे की लंबाई के तौर पर दिखाई देता है। लड़कियों की किशोरावस्था में ही पोषण सुधार शुरू करना होगा। खराब स्वास्थ और बीमारियों के लिए जिम्मेदार कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है।

पुरुष प्रधानता की जकड़

लेकिन क्या यह सिर्फ आहार और पोषण तक का मामला है? शोधकर्ता महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए सामाजिक सूचकांकों पर देखते हैं। सामाजिक प्रगति के बावजूद आमतौर पर महिलाएं उसी व्यवस्था का अनुसरण कर रही है जो पुरुषों ने बनाई है। वर्ग और जातीय वर्गीकरण से पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पकड़ और मजबूत होती है जिससे महिलाओं के लिए भेदभाव से बचना और भी मुश्किल हो जाता है। लड़कियों को अक्सर दोयम दर्जे का समझा जाता है, उन्हें जरूरत भर का भोजन इसलिए मिलता है ताकि वे पत्नी और मां बन सकें। शिक्षा और आजीविका के अवसर उनकी पहुंच से दूर कर दिए जाते हैं। कई अध्ययनों में महिला शिक्षा और अबोध बच्चों के बीच कुपोषण में कमी के बीच मजबूत अंतर्संबंध मिला है। शिक्षा के अभाव को चुनौती देने में प्रगति से कुपोषण कम हो सकता है। हालांकि, शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में इसमें काफी अंतर दिखाई देता है।

कम उम्र में शादी

जल्दी शादी और किशोरावस्था में गर्भधारण से खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अभी भी खतरे हैं। भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा 2007 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है और उनमें से अधिकांश कम उम्र में मां भी बन जाती हैं। कुपोषित होने के साथ जब कम उम्र में गर्भ ठहरता है तो यह स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य तीनों के लिए घातक हो जाता है।

संवैधानिक वादा

महिलाओं के लिए चेयरपरसन के एक-तिहाई पदों को आरक्षित करने के संवैधानिक वादे को पूरा करने की आवश्यकता है। सही सूचना और प्रशिक्षित महिलाएं, महिलाओं और परिवार के पोषण से संबंधित कार्यक्रम को आगे लाने की आवश्यकता है। 255,529 पंचायत राज संस्थाओं की अनुमानित संख्या के साथ देश में बड़ी संख्या में महिला पंचायत सदस्यों को "पोषण परिवर्तन मार्गदर्शक" बनाने की बहुत जरूरत है। भारत में महिलाओं को "अच्छे पोषण" परामर्शदाताओं में बदलने के लिए सामूहिक रूप से महिलाओं के बड़े समूहों का रणनीतिक उपयोग करने की आवश्यकता है। उम्मीद है, भारत महिलाओं के पोषण के एजेंडे को एक ऑटो-पायलट मोड में डालने का प्रबंधन करेगा। और उन लोगों को अनुमति देगा जो देश की आधी आबादी और जरूरी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महिलाओं के प्रति हिंसा

हाल ही में शोधकताओं ने इसमें एक नया नजरिया खोजा है कि कैसे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा उनके पूरे विकास में बाधक बनती है। मानसिक या शारीरिक हिंसा माताओं के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है और बदले में उनके शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण, गर्भावस्था, प्रसव पूर्व देखभाल, भ्रूण विकास और बच्चे के जन्म पर प्रभाव पड़ता है। कुपोषित माताओं के बच्चे अंततः कुपोषित ही रह जाते हैं।

अलख जलानी होगी

हाल के वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोषण की कमी की चुनौती के बारे में राजनीतिक बहस तेज हुई है। इस बहस ने भारत में काफी समय से लंबित पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) को तुरंत लांच करने का रास्ता खोल दिया। इसमें कुपोषण को दूर करने के लिए बेहतर डाटा संग्रह, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के साथ एक दृष्टिकोण है। कुपोषण ने 2019 के लोकसभा चुनाव के कई राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में अपना स्थान बनाया, इससे लोकप्रिय मांग और राजनीतिक इच्छाशक्ति परिलक्षित होती है। महिला सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा, सामाजिक और आजीविका क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गई हैं। आजीविका के अवसरों और आर्थिक स्वतंत्रता को उन्नति के बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया है। यह लैंगिक समानता और परिवार की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है।

एकता में शक्ति

माना जाता है कि 2011 का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो हाशिए की ग्रामीण महिलाओं को स्व-प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में जमीनी स्तर पर संगठित करने के लिए काम कर रहा है। स्थापना के बाद से, एसएचजी ने यह साबित करने के लिए लंबा रास्ता तय किया है कि महिलाओं तक संसाधनों की पहुंच आसान होने से ये समूह न सिर्फ घरों के भीतर उन्हें सशक्त बनाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण के लिए व्यवहार में बदलाव के लिए वाहक बनते हैं। बिहार में जीविका, केरल में कुदुमश्री और बिहार, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा में स्वाभिमान जैसे कार्यक्रम एसएचजी के माध्यम से पोषण सुधार के सफल उदाहरण हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 54,94,554 समूह हैं और विस्तार की अभी भी गुंजाइश है। स्थाई व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना, जागरूकता और सहायता की जरूरत पूरी करने में कमजोर और हाशिए पर पहुंची महिलाओं तक मदद पहुंचाने की आवश्यकता है।

समाधान की तलाश

महिलाओं को पोषण की जटिलताओं पर संवेदनशील बनाने और बेहतर पोषण प्रथाओं के लिए उन्हें शिक्षित करने के लिए उनकी सहकारी समितियों, जैसे कि महिला डेयरी सहकारी, महिला औद्योगिक सहकारी सोसायटी लिमिटेड, स्व-नियोजित महिला संघ सहकारी समितियों, समृद्धि महिला सहकारी समिति के साथ जुड़ने के लिए किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमानित 61.5 प्रतिशत भारतीय आबादी कृषि पर निर्भर है। 2018 के ऑक्सीफेम डाटा के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र में 80 फीसदी आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं हैं और इनमें 33 फीसदी कृषि श्रम शक्ति शामिल है। इस तरह के प्लेटफॉर्म पोषण युक्त भोजन, फसल कटाई, आहार विविधता, किचन गार्डन जैसे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। खेतों पर महिलाओं का नियंत्रण होने से उनमें परिवारों की पोषण आवश्यकता को देखते हुए सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। इससे उन्हें उपभोग का अंदाजा होगा और वे पोषण की कमी को पूरा कर सकेंगी। ऐतिहासिक तौर पर कृषि नीतियों ने सिर्फ पुरुषों को लक्षित किया है। इसे बदलने और इसमें महिलाओं को लक्षित करने की जरूरत है ताकि वे महत्वपूर्ण संपत्तियों सूचना, संसाधनों, बाजार और निर्णय लेने की बेहतर क्षमता पा सकें। ■

देश का हाल शिक्षा बदहाल

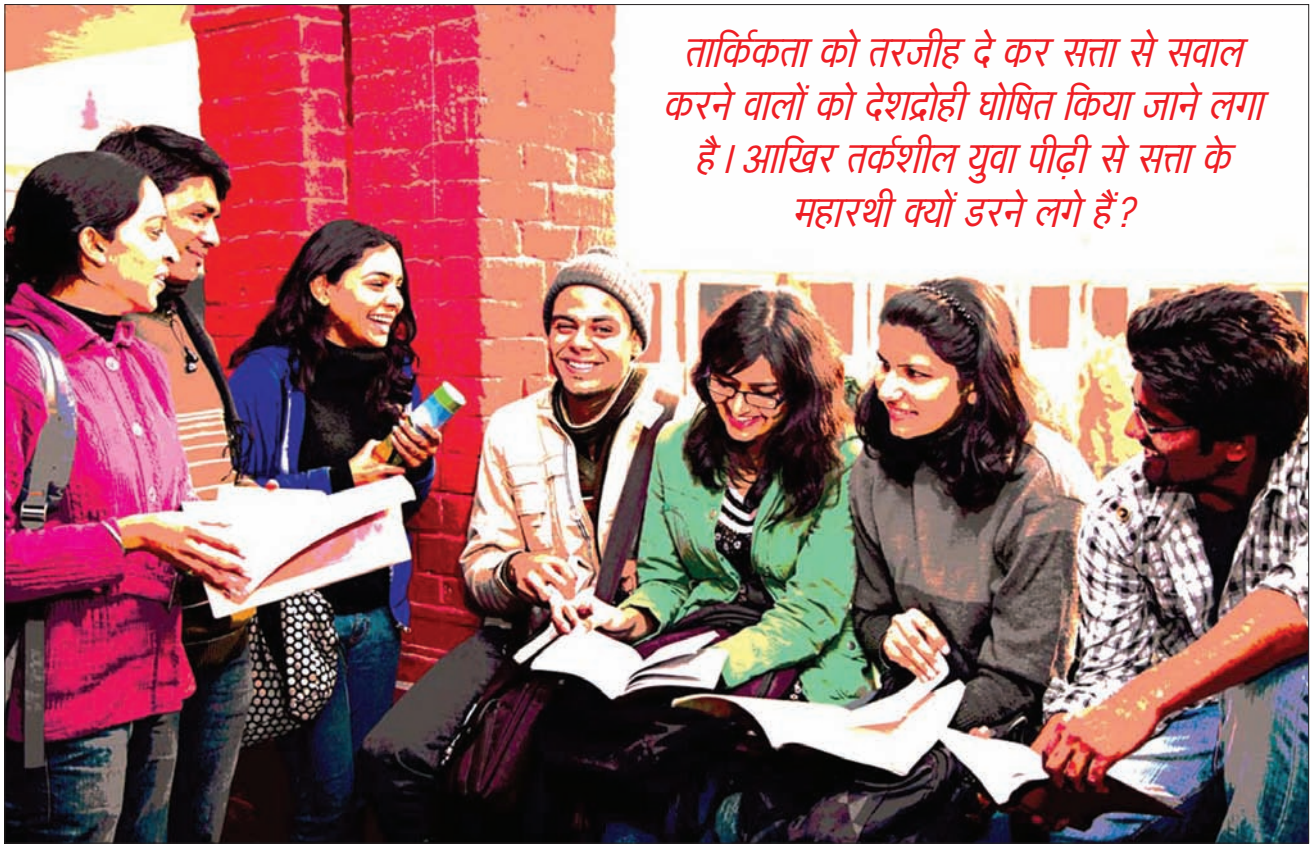

तार्किकता को तरजीह दे कर सत्ता से सवाल करने वालों को देशद्रोही घोषित किया जाने लगा है। आखिर तर्कशील युवा पीढ़ी से सत्ता के महारथी क्यों डरने लगे हैं?

अफसोस की बात है कि तार्किकता को तरजीह दे कर सत्ता से सवाल करने वाले छात्रों को देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। देखा जाए तो यह देश की सामूहिक बौद्धिकता पर घातक हमला है। ऐसा लगता है छात्रों को सुनियोजित तरीके से उलझा कर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शेक्सपियर का एक दुखांत नाटक है हैमलेट, इस का खलनायक कत्ल की करामात से कुरसी पर कब्जा जमा लेता है। भय के भंवर और भ्रमजाल में उलझे देश की दुर्दशा पर नाटक का नायक प्रिंस हैमलेट यह कहता है, देश के शरीर में जोड़ों की हड्डियां उखड़ी हुई हैं। हर तरफ अव्यवस्था का आलम पसरा हुआहै। धर्म, संप्रदाय, जाति आदि की दीवारों को खड़ा कर आदमी को आदमी से जुदा करने की साजिशों को रचने का इतिहास बहुत पुराना है। हम अपने देश पर नजर डालें तो जो कुछ हमें जोड़ता रहा है उसे धर्म जागरण के नाम पर अब जोरजुल्म से तोड़ा जा रहा है।

मदन कोथुनिया

बांटो और राज करो की पुरानी नीति का एक नया संस्करण इस वर्तमान दशक में देखने को मिला है। राज पर पकड़ मजबूत करने वालों ने अब जिस नीति को अपनाया है वह है- कुछ नया बखेड़ा खड़ा करते रहो, नया तमाशा दिखाते रहो और जनता का ध्यान मूल मुद्दे से हटा कर राज करते रहो। इसे ध्यान बांटो और राज करो कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज और उन में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी को बदनाम कर उन पर प्रहार करने का सिलसिला सत्ता ने खूब जोरशोर से जारी कर रखा है। इंग्लिश की प्रख्यात लेखिका और सोशल ऐक्टिविस्ट अरुंधति राय ने इस खतरे को भांपते हुए एकदो साल पहले ठीक ही कहा था कि वर्तमान सरकार देशवासियों को बौद्धिक कुपोषण यानी इंटैलेक्चुअल मालन्यूट्रिशन का शिकार बनाने की साजिश रच रही है। उच्च शिक्षा केंद्रों में वंचित वर्ग के प्रवेश को रोकने के लिए फीस में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है।

विद्यार्थियों से तर्कशक्ति छीनने के लिए उन्हें अंधआस्था पर आधारित पाठ्यक्रम परोसा जा रहा है। सोचने की शक्ति पैदा करने के बजाय उन के दिमाग में ऊलजलूल सूचनाएं एक षड्यंत्र के तहत ठूंसी जा रही हैं। शिक्षा का मुख्य मकसद तो दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है, न कि पौराणिक तथ्यों को रट कर डिगरी का कबाड़ लेना। तार्किकता को तरजीह दे कर सत्ता से सवाल करने वालों को देशद्रोही घोषित किया जाने लगा है। आखिर तर्कशील युवा पीढ़ी से सत्ता के महारथी क्यों डरने लगे हैं? आज लाइब्रेरी में किताब पढ़ने वालों पर कहर बरसाया जा रहा है। यह देश की सामूहिक बौद्धिकता पर घातक हमला है।

रवींद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है जिस में राजा अपने तोते को शिक्षित करने का आदेश देता है। राजा के मंत्रीगण और शिक्षाधिकारी शिक्षित करने के नाम पर तोते को इतने बंधनों में बांध देते हैं कि आखिरकार उस की मृत्यु हो जाती है। मंत्रीगण राजा को खबर देते हैं कि तोता पूरी तरह शिक्षित हो गया है। अब वह शोरगुल नहीं करता, पंख नहीं फड़फड़ाता है। इस कहानी के माध्यम से टैगोर शिक्षा के क्षेत्र में बंधनों व प्रहारों के दुष्प्रभावों को इंगित करते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी राज में यह कहानी लिखी थी। इसे अब लोकतंत्र के 7वें दशक में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुक्त सोच यानी फ्री थिंकिंग को बढ़ावा दे कर ही सृजनात्मक शक्ति से निर्माण का वातावरण बनाया जा सकता है। जबकि इस के विपरीत, हम विद्यार्थियों को जकड़नों में जकड़ते जा रहे हैं। शिक्षा, जिसे मुक्ति का साधन बनना था, वह स्वयं अनेक तरह की संकीर्णताओं और धर्म व जाति से बंध कर सत्ताधीशों के हाथ का खिलौना बन गई है। न्यू इंडिया का झुनझुना थमा कर देश को कौपोरेट घरानों व अंधआस्थावानों के लिए मुफ्त की उपजाऊ जमीन बनाया जा रहा है। धर्म सत्ता व कौपोरेट घरानों ने साजिश रच कर देश को 2 तरह के भारत में बांट दिया है। एक भारत वह जो सत्ता से सवाल कर रहा है व उस की शोषणकारी व भेदभाव की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, विकास के नाम पर पूंजीपतियों के अंधाधुंध मुनाफे के खेल को रोकने की मांग कर रहा है, धर्मजाति या इलाके के नाम पर समुदायों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहा है। दूसरी तरफ, सत्ता द्वारा अपनी मनमरजी से कौपोरेट घरानों के हितों को साधने के लिए बनाया गया न्यू इंडिया है जिस की राहुल बजाज जैसों की मामूली सी आलोचना भी देशभक्ति के तराजू में तौली जा रही है। आज सत्ता से सवाल करने वाले सब राष्ट्रद्रोही करार दिए जा रहे हैं। सत्ता और पूंजी का असर है कि मीडिया दिनरात इस न्यू इंडिया का गुणगान करता रहता है। आमजन के मुद्दे पर कोई बात नहीं की जाती। सत्ता के खिलाफ एक शब्द भी देशद्रोह है। अब तो खुल कर कहा जा रहा है, जो हमारे खिलाफ है वह देशद्रोही है। जेएनयू व जामिया पर किए गए प्रहार इसी के सुबूत हैं।

इन दोनों विश्वविद्यालयों के नाम से ही सत्ता को चिढ़ है। इसलिए ये इस के निशाने पर बने हुए हैं। इस मुगालते में मत रहिए कि जामिया के सब विद्यार्थी सिर्फ मुसलिम हैं। असलियत यह है कि जामिया यूनिवर्सिटी में 59 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी अन्य धर्मों के हैं। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के मामले में यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी देश की सर्वोत्कृष्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। विविधता और प्रतिनिधित्व के स्तर पर जेएनयू एक अर्थ में मिनी इंडिया है। विचार और व्यवहार के स्तर पर लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं व असहमति के स्वर को रचाएबचाए जेएनयू आइडिया औफ इंडिया को प्रतिबिंबित करता है। दरअसल, जेएनयू को आदर्श भारत का एक छोटा रूप कहा जा सकता है। यहां ऐडमिशन लेने वाले विद्यार्थी भारत के हर कोने के गांवढाणियों, कसबों और छोटेबड़े शहरों से आते हैं। ये सब बेहतर भविष्य के सपने अपनी आंखों में संजो कर यहां आते हैं। जिंदगी की राह पर तपन सह कर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कठिन प्रवेशपरीक्षा से गुजर कर वे इस विश्वविद्यालय तक पहुंचने में सफल होते हैं। जिंदगी में हर कदम पर खुद के बलबूते पर किया गया इन का संघर्ष इन्हें मजबूती देता है। विचारों का विटामिन इन्हें आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करता है। इन के अटल इरादों को तोड़ना सत्ता के नशाखोरों के बस की बात नहीं। कम फीस पर कठिन परीक्षाओं के कारण हर वर्ग को यहां जगह मिली है। सिर्फ जयजयकार करने वालों को नहीं। शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है व समाज को खड़ा करने का मूल भी। मगर पूंजीवादी व्यवस्था के आगमन के साथ शिक्षा सिमटने लग गई। चंद स्कूल या कालेजों के आउटपुट को सामने रख कर गुणगान भले ही कर लिया जाए, मगर साक्षरता से आगे शिक्षा नहीं बढ़ पा रही है। शिक्षित भारत के बजाय हम साक्षर भारत में ही फंस गए और साक्षर भारत भविष्य का निरक्षर भारत ही होगा।

हर देश में शिक्षा के प्रसार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था ही कारगर रही है। निजी शिक्षा व्यवस्था अमीरों के बच्चों तक सीमित रह जाती है। 19वीं सदी में यूरोप व अमेरिका की सरकारी शिक्षा व्यवस्था ने वहां के समाज की कायापलट कर दी थी। फिर जापान, सोवियत संघ व कई साम्यवादी सरकारों ने इसे सरकार की जिम्मेदारी माना और अपने बच्चों को उपलब्ध करवाया। चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन की सस्ती चीजें हमारे यहां यों ही नहीं आई हैं। बल्कि चीन ने अपने बच्चों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समृद्ध किया और वे शिक्षित बच्चे नईनई तकनीक ईजाद कर के अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। लातिन अमेरिकी देश क्यूबा का ही उदाहरण ले लीजिए। साल 1969 के बाद फिदेल कास्त्रो ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को इतना मजबूत बना दिया कि आधी सदी से अमेरिका उसे तोड़ने का अभियान चलाए हुए है, मगर हर नागरिक एक मिसाइलमैन की तरह खड़ा है। बिना बड़े हथियारों के एक छोटा सा द्वीप दुनिया के सब से ताकतवर देश के सामने डट कर खड़ा है। चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। पर उस गरीबी के कारण वही संतुलित सोच है जो भारत में हिंदू धर्म के गुणगान के नाम पर परोसी जा रही है। किसी भी देश को विदेशी खतरा हथियारों से नहीं, अपने कमजोर नागरिकों से होता है। दिमाग व पेट से कमजोर नागरिक सदा बिकने को तैयार रहेंगे। चाहे तो देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों का विश्लेषण कर के देख लीजिए। इसलिए, हथियारों की होड़ में फंस कर बजट खराब करने के बजाय शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। भारत का शिक्षा बजट हमेशा 2 फीसदी के आसपास ही रहा है।

हम क्यों, कहां पीछे हैं

शिक्षा मानव सभ्यता की बेहतरी की पहली बुनियाद है। हर देश में समृद्ध व विकसित समाज का रास्ता शिक्षा से हो कर ही गुजरा है। जिन देशों को आज हम बेहतर व विकसित कहते हैं, उन्होंने सब से पहले अपने देश को शिक्षा के मंच पर खड़ा किया था। तमाम यूरोपियन देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण के साथ भारी निवेश किया था। सो, वहां के युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा हुई। नएनए अनुसंधान हुए और वहां के समाज को इस का फायदा मिला। देश सीमाओं, सेनाओं, बारूद के ढेरों, ऊंची इमारतों, पुलों, सड़कों से नहीं बनता है, देश शिक्षित व समृद्ध नागरिकों से बनता है। आज भारत में वह हर चीज वैश्वीकरण से हासिल हो गई है जो दुनिया के समृद्ध समाजों/देशों के पास है, मगर जो चीज समाज/देश को खुद पैदा करनी होती है उस में यह बिलकुल हारा हुआ देश है। दुनिया की टौप 300 यूनिवर्सिटीज में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और टौप 500 में महज 6 हैं जिस में 5 आईआईटी संस्थान हैं व एक बेंगलुरु साइंस इंस्टिट्यूट। जबकि, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे यूरोपअमेरिका को भारत अकेला कवर कर लेता है। अशिक्षित समाज पूंजीवादी व्यवस्था में कभी खुशहाल नहीं हो सकता। आज शहरों में चमचमाते कौन्वेंट निजी स्कूल हैं तो दूसरी तरफ जर्जर सरकारी स्कूल हैं। उच्चवर्ग के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था अलग व गरीब लोगों की शिक्षा व्यवस्था अलग यानी बहुसंख्यक आबादी को शिक्षा से वंचित रखने का सोचासमझा उपाय नजर आता है। एक तरफ पौश कालोनियां बसी हैं तो दूसरी तरफ झुग्गियों के क्लस्टर हैं। पौश इलाकों में बड़ेबड़े निजी अस्पताल हैं तो झुग्गी बस्तियों में झोलाछाप डाक्टर। यह ऐसा विभेद है जो समाज को बांटता जाता है। आज उच्चवर्गीय समाज के कौन्वेंट स्कूलों में पढ़े बच्चे देश के गरीबों, गांव में बसने वालों को समाज का हिस्सा मानने के बजाय कमाई के ग्राहक मात्र समझते हैं।

छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश

केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार शैक्षणिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा ने लगातार जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की। जब उस की यह साजिश कामयाब नहीं हो पाई तो सुनियोजित तरीके से सीधे अपने नकाबपोश गुंडे भेज कर हिंसा करवाई। यह भारतीय जनता पार्टी देश के छात्रों, युवाओं की आवाज दबा कर संविधान को कमजोर कर रही है। भाजपा सरकार आरएसएस की सोच के अनुसार शिक्षा व शिक्षण संस्थानों में लगातार हमले कर रही है। पिछले 3 वर्षों में ऐसे कई मामले हैं जहां पर आरएसएस के संगठनों के अतिरिक्त सरकार के मंत्री सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों पर प्रयत्क्ष व अप्रत्यक्ष हमलों से जुड़े रहे हैं। इन में से कुछ चर्चित संस्थान हैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, एफटीआईआई पुणे, आईआईटी मद्रास आदि, जहां परिसर जनवाद पर तीखे हमले हुए हैं तथा लोकतांत्रिक संस्कृति को खत्म करने के प्रयास हुए हैं। पर इन सभी मामलों में छात्रों ने इन का एकता के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस के चलते भाजपा सरकार को कई बार पीछे हटना पड़ा। इन हमलों की आड़ में भाजपा सरकार बड़े ही गुपचुप तरीके से एक साजिश के तहत सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को नष्ट करने के लिए कार्यरत है, जिस की तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है। यह बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। छात्रों को उलझा कर गुपचुप तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा सांप्रदायीकरण किया जा रहा है। हर विश्वविद्यालय में ऐसे सेल बना दिए गए हैं। जनता को भ्रमित करने में कुशल इस सरकार के लिए यह स्थिति ज्यादा अनुकूल है- जब कोई नीति नहीं, मतलब, कोई चर्चा व आलोचना नहीं। भाजपा का जब मन होता है तो यूजीसी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अधिसूचना या यो कहें कि फतवा जारी कर दिया जाता है, बिना किसी चर्चा व संवाद के। इस तरह पिछले 6 वर्षों में भाजपा सरकार ने जनतांत्रिक संस्थानों व प्रक्रियाओं को खत्म करने का काम किया है। भाजपा सरकार उच्च शिक्षा में पिछली यूपीए-2 सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को ही आगे बढ़ा रही है, जो अपनेआप में शिक्षा के व्यवसायीकरण को ही आगे बढ़ाता है। रूसा के तहत कक्षा में पढ़नेपढ़ाने की प्रक्रिया व मूल्यांकन को पूरी तरह बदलने के प्रावधान हैं। छात्रों को परीक्षा और असाइनमैंट के कुचक्र में ही उलझा दिया है जिस से कक्षा में अध्यापन का समय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। छात्र व अध्यापक में बातचीत में कमी आई है। अध्यापक भी अध्यापन को छोड़ कर बाकी सब कामों में लग गए हैं। जिन राज्यों में इसे लागू किया गया है वहां से छात्रों के गुस्से की लगातार खबरें आ रही हैं। परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी की खबरें आम बात हो गई हैं। दरअसल, मार्किंग का अधिकतर काम आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को दिया गया जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। अब सैमेस्टर परीक्षाओं के लिए औब्जैक्टिव टाइप प्रश्नों का प्रस्ताव लागू किया जा रहा है जो नियमित शिक्षा और परीक्षा की मूल भावना के ही खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश सैमेस्टर के बीच में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है, जहां मगध विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया है। यह तथाकथित शिक्षा सुधार शिक्षा के ढांचे को बदल कर इसे महज डिगरीनुमा कागज के टुकड़े में तबदील करने के सिवा कुछ नहीं है। जैसे पंडितों को उपलब्धियां मिलती हैं, बिना पढ़े, बिना परीक्षा दिए। देश में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं, उन पर नियुक्तियों के बजाय सरकार शिक्षकछात्र अनुपात बदल रही है। तकनीकी शिक्षा, जिस में दक्षता एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है, में सरकार ने शिक्षकछात्र अनुपात पहले ही बदल दिया है। इस का पता हमें तब चला जब पिछले दिसंबर के पहले सप्ताह में एआईसीटीई ने स्ववित्त संस्थानों के अनुमोदन के लिए वर्ष 2018-19 की हैंडबुक जारी की जिस में शिक्षकछात्र अनुपात को 1:15 से बदल कर 1: 20 का निर्णय लिया गया है।

> “इसे भी हायर एजुकेशन के नाम पर कुछ यूनिवर्सिटीज हड़प लेती हैं। आज जिस राह पर सरकार चल रही है यानी शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है, वह मुल्क के अंदर कई मुल्क खड़े करने वाली है। अखंड नहीं, खंडखंड भारत की तरफ रास्ता जा रहा है। विकसित नहीं, अराजक भारत बन रहा है।”

जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों में शोध के क्षेत्र (एमफिल व पीएचडी) में सीटों को कम करने की यूजीसी की राजपत्रित अधिसूचना के चलते छात्रों के लिए शोध के अवसरों में भारी कमी आई है। यहां तक कि एमफिल के छात्र भी शोध में अपने भविष्य को ले कर निश्चिंत नहीं हैं क्योंकि पीएचडी में उन के संस्थानों में सीटें ही नहीं हैं। दरअसल, यह छात्रों को शोध में उच्चशिक्षा से वंचित करने का एक तरीका है। भारत में उच्चशिक्षा में 62 प्रतिशत छात्र निजी शिक्षण संस्थानों में जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा भी मुनाफे की इस दौड़ से नहीं बच पाई है। एक साजिश की तरह सरकारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को बदनाम किया गया तथा साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार की नीतियों द्वारा बढ़ावा दिया गया। आज यह आम धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते व अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए। राज्य सरकारें इस सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह तबाह करने में जुटी हैं। इंग्लिश मीडियम फिल्म की तरह बड़ी संख्या में छात्रों का सरकारी स्कूलों से प्राइवेट में पलायन हो गया है। सरकार कम छात्र संख्या का हवाला दे कर इन सरकारी स्कूलों को या तो बंद करने जा रही है या पीपीपी मौडल के आधार पर निजी हाथों में सौंपने जा रही है। राजस्थान सरकार ने पीपीपी मौडल पर 225 स्कूलों को चलाने का निर्णय लिया है, जिस का अर्थ है सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देना। मध्य प्रदेश सरकार ने कम बच्चों का हवाला देते हुए 15,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने करीब 13,905 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इसी तरह की खबरें ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से आ रही हैं जहां सरकारों ने बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। शिक्षा व छात्र मुद्दों पर बहस की दिशा बदल गई है। बीजेपी का प्रयास रहा है कि छात्रों को राष्ट्रवाद, धर्म, भारतीय सेना का मानसम्मान आदि मुद्दों में उलझाए रखा जाए जिस में कुछ हद तक वह सफल भी रही है क्योंकि छात्र भी उस के इस चक्र में फंस कर इन्हीं मुद्दों को स्पष्ट करने में लगे रहे हैं। हालांकि, छात्रों और जनता में इन मुद्दों पर स्पष्ट समझ रखना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस के अतिरिक्त आरएसएस व इस के संगठनों द्वारा अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, प्रगतिशील लेखकों तथा पत्रकारों पर लगातार बढ़ रहे हमलों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि छात्रों का इन के खिलाफ आंदोलन व प्रचार करना बाध्यता बन गया। इन सब के चलते छात्रों के आधारभूत मुद्दे व सार्वजनिक शिक्षा के खिलाफ बीजेपी की साजिश कहीं अनदेखी रह गई, जो कि बराबर के महत्त्व की लड़ाई है। समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक व आर्थिक नीतियों को समझना और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छात्र आंदोलन की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि छात्र समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। सरकार विद्यार्थियों के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। वैसे भी, उसे इस तरह का कुप्रचार कर जनता को अपने असल मुद्दों से गुमराह करने में महारत हासिल है। इसी के चलते पूरे देश में धार्मिक, जाति व राष्ट्रीय गौरव जैसे चर्चा के मसले थोपे गए हैं और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक विकास, कृषि संकट, महंगाई आदि असल मसलों पर चर्चा से मोदी सरकार बचती आई है। ■

वेलेंटाइन स्पेशल

आकर्षण ही प्रेम हो यह जरूरी नहीं

प्रेम और आकर्षण वैसे तो एक दूजे के पूरक हैं, क्योंकि बिना आकर्षण के बिना प्रेम तो संभव ही नहीं है। पर जिसके प्रति आकर्षण हो उससे प्रेम भी हो यह भी जरूरी नहीं। प्रेम शाश्वत और स्थायी होता है जबकि आकर्षण पल भर का भी हो सकता है।किशोरावस्था के आकर्षण को प्रेम की परिधि में नहीं लाया जा सकता। उस वक़्त नजर को अच्छा लगने वाली हर चीज हमको प्यार लगती है, जबकि वो महज आकर्षण होता है जो कुछ दिनों बाद फिर किसी अन्य की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जब तक व्यक्ति में परिपक्वता नही आ जाती तब तक उसका प्रेम सच्चा प्यार नहीं कहा जा सकता।

गौरी शर्मा

सर्वप्रथम आकर्षण किसी व्यक्ति के बाहरी आवरण से शुरू होता है जबकि प्रेम उसके रूह की अनंत गहराइयों से रिश्ता जोड़ने के बाद पुष्पित और पल्लवित होता है। आज प्रेम को विविध रूपों में परिभाषित किया जा सकता है किंतु आकर्षण का एक छोटा स्वरूप है। जहाँ प्रेम अनन्त और व्यापक आकार लिए हुए है वहीं आकर्षण की सीमा बहुत ही सीमित होती है। हाँ ये बात सही है कि रिश्तों को आकार देने में प्रेम और आकर्षण दोनों की ही महती भूमिका होती है। आज की युवा पीढ़ी महज आकर्षण में फंसी हुई है, वो प्रेम की गहराई से परिचित नहीं है। जबकि प्रेम त्याग और समर्पण का वो सम्मिलित स्वरूप है जो किसी भी रिश्ते को संजीवनी प्रदान करता है। जिन्दगी में दोनों के समावेश से रिश्तों की वो नींव रखी जा सकती है जो किसी के लिए भी जीवन जीने का आधार हो सकती है। आज कितने लोग हैं जो इस अंतर को समझते हैं कि प्रेम और आकर्षण में फर्क क्या है। युवा पीढ़ी सामाजिक वर्जनाओं की टूटन को ही मानती है कि यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। जबकि उसकी अनंत गहराईयों को महसूस करना बेहद जरूरी है। ईश्वर ने स्वयं प्रेम के इस रूप को परिभाषित करने के लिए कई बार इस धरती पर जन्म लिया। आदि काल से प्रेम कहानियों को बड़े चाव से देखा और सुना जाता है। चलचित्र और अनेक माध्यम इस बात के साक्षी हैं कि जूलियट रोमियो, हीर रांझा और लैला मंजनू की प्रेम कथाएं कितनी पसंद की गईं। वफा और समर्पण प्रेम की नींव हैं, जिनसे रिश्ते की नींव रखी जा सकती है। संत वैलेंटाइन ने प्रेम दिवस के रूप में समूचे विश्व को एक ऐसा उपहार दिया, जो आज युवाओं के दिल की धड़कन बन चुका है। पर यह प्रेम दिवस सिर्फ प्रेमी युगल का न होकर सभी रिश्तों का है। जिसे युवाओं को भ्रमित करके बाजारवाद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पर आज भी लोगों में संस्कार जिंदा हैं, जो कहीं न कहीं इससे ऊपर उठकर भी सोचते हैं। प्रेम के इसी स्वरूप की समूचे विश्व को जरूरत है। जिसे हम और आप भली भांति समझते हैं। ■

अच्छी तरह पहचानिए सीएए–एनआरसी का विरोध करने वालों को

विनय शर्मा

आप गौर करें कि देश में एक तबका संसद में पारित कानूनों से लेकर विभिन्न न्यायालयों के फैसलों का भी सार्वजनिक तौर पर घनघोर अपमान करने लगा है। इसका ताजा उदाहरण नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) है। इन्हें संसद के दोनों सदनों ने भारी बहुमत से पारित किया गया, पर इसके बावजूद इनका पिछले डेढ़ महीने से देश के कुछ भागों में विरोध भी हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर देश में बरसों पहले से ही रह रहे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामलीला मैदान के अपने संबोधन में भी यह स्पष्ट तौर पर कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की,चाहे वह किसी भी समुदाय का हो नागरिकता नहीं जाएगी। पर भारी बहुमत से निर्वाचित देश के प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन को भी माना ही नहीं जा रहा है। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री से भी कोई अहम पद होता है? एक खास धर्म से जुड़े प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्म आधारित नागरिकता का यह प्रावधान विभेदकारी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जहां एक धर्म विशेष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा से खुन्नस खाने वाली कुछ निराश राजनीतिक पार्टियों को उपर्युक्त कानून के बहाने केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का विरोध करने का बहाना ही मिल गया गया है। छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे राज्य जो कांग्रेस और टीएमसी द्वारा शासित हैं,वे नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं।

सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए जिस तरह से सरकारी संपत्ति को तबाह किया है, जा जीवन की दिनचर्या को अवरुद्ध किया है उसे तो कोई माफ नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया गया। इस सारे मसले से आहत होकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में सही ही कहा था कि मेरे विरोधी अगर मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे निशाना बना लें। लेकिन, सार्वजनिक संपत्ति को आग न लगाएं। यह बेशक जरूरी नहीं है कि आप मौजूदा सरकार के सभी फैसलों और कामों से सहमत हों। आप इनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसके लिये आप अगले चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के हटाने की भरपूर कोशिश कर लें। पर याद रख लें कि मोदी को देश की जनता ने लोकतान्त्रिक तरीके से ही चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। यह अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप मोदी की स्वस्थ आलोचना करो, मोदी का लोकतान्त्रिक तरीके से विरोध करो। पर देश की संपत्ति फूंकने का आपको किसने अधिकार दे दिया। कहना नहीं होगा सीएए और एनआरसी पर लगभग सभी विपक्षी दलों का रवैया भी बहुत निराशाजनक रहा।

अगर किसी भी नागरिक को किसी कानून का विरोध ही करना है, तो फिर संसद में बहस करने की और मतदान से पारित करवा कर कानून बनाने की जरूरत ही किया है। कांग्रेस की ही बात कर लीजिए। हर जगह से हरेक मोर्चे पर खारिज होती रही कांग्रेस जब संसद में कुछ न कर सकी तो सड़कों पर जीएसटी से लेकर सीएए का विरोध कर रही है। समझ नहीं आता कि वह आखिरकार चाहती क्या है। लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। उसने मांग की कि मुंबई में ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए जो अपने स्कूल के बच्चों को सीएए समर्थन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भला यह भी कोई बात हुई? आपने महसूस किया होगा कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल शाहीन बाग से लेकर देश के अन्य भागों में जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे सारे देश से असम और पूर्वोत्तर को काटकर अलग करने वाले शरजिल इमाम के समर्थन में भी खड़े होने लगे हैं। जेएनयू का छात्र शरजिल इमाम असम को भारत से ही अलग करने का ख्वाब देख रहा है। इसके बावजूद उसका साथ दिया जा रहा है। जे.एन.यू. में तो कुछ छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। ये वहीं तत्व हैं, जिन्हें आतंकियों के जनाजों में उमड़ने वाली भीड़ पर कुछ भी गलत नजर नहीं आता। जरा याद करें कि कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुरहान मुजफ्फर वानी की मौत के बाद निकले जनाजे में हजारों लोग उमड़े थे। शवयात्रा के समय जमकर उत्पात भी हुआ। इसी तरह का मंजर तब भी देखा गया था जब मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन की मुंबई में निकली थी शव यात्रा। मुंबई में वर्ष 1993 में हुए सीरियल बम विस्फोट के मामले में दोषी याकूब मेमन को नागपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दी गयी। इसके बाद उसकी मुंबई में शव यात्री निकली। उसमें भी हजारों लोग शामिल हुए। सवाल यह है कि क्या कानून की नजरों में गुनहगार साबित हो चुके आतंकवादी मेमन और बुरहान को लेकर समाज के एक वर्ग का इस तरह का सम्मान और प्रेम का भाव दिखाना जायज था ? देश इस सवाल का उत्तर उन सभी से चाहता है, जो मेमन और बुरहान को हीरो के रूप में पेश करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। बुरहान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर के तौर पर काम कर रहा था। मेमन ने मुंबई धमाकों की रणनीति बनाने में खास भूमिका अदा की थी। अब सीएए का विरोध करने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने बुरहान की तुलना लैटिन अमेरिकी क्रांतिकारी चे ग्वेरा तक से कर दी थी। कश्मीर में भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाली अरुंधति राय भी अब सीएए का खुलकर विरोध कर रही है। अरुंधति राय उन कथित लेखकों के समूह का नेतृत्व करती हैं,जिन्हें भारत और मोदी विरोध ही प्रिय है। ये सुविधाभोगी विदेशी फंड से एन.जी.ओ. चलाने वाले लोग है। ये वही लेखक हैं, जो दादरी कांड के बाद अभिव्यक्ति की आजादी का कथित तौर पर गला घोंटे जाने के बाद अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे थे। अब इन्हें सीएए और एनआरसी के बहाने देश को फिर से उन तत्वों को देखने का अवसर मिल गय. है,जिन्हें देश का हर मसलें पर विरोध करना ही है। ■

पीएम आवास योजना मिशन मोड पर

प्रह्लाद सबनानी

सभी देशवासियों को अपना घर का सपना पूरा करने के उद्देश्य से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक सबको घर देने का वादा किया है। इस वादे को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से दिनांक 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं 30 नवम्बर 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारम्भ किया गया था। ये योजनाएँ आज पूरे मिशन मोड में चल रही हैं। न केवल नागरिकों को सस्ते घर बनवाकर सरकार द्वारा दिए जा रहे है बल्कि सस्ती ब्याज दरों पर लोन देकर घर खरीदने में भी नागरिकों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किए जाने की रफ्तार देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह योजना अपने तय समय से पहले ही पूरी हो जाएगी। इसी कड़ी में केंद्र के शहरी एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़वें घर को मंजूरी का लक्ष्य दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को हासिल कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कुल एक करोड़ 12 लाख मकानों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज 60 लाख घर निमार्णाधीन हैं जबकि 32 लाख निर्मित आवासो को हितग्राहियों को सौंप दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के सपनो को साकार किया गया है एवं उनके चेहरों पर खुशियाँ लायी गयीं हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 30 नवम्बर 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारम्भ भी किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास हेतु 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के प्रथम चरण, जो 2016 से 2019 के बीच का था, के लिए एक करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। दूसरे चरण के लिए कुल 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण में एक करोड़ मकानों के लक्ष्य के विरुद्ध 90 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है। द्वितीय चरण के प्रथम वर्ष के लिए 60 लाख मकानों, द्वितीय वर्ष के लिए 75 लाख मकानों एवं तृतीय वर्ष के लिए 70 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

उक्त दोनों योजनाओं में कितना तेजी से कार्य किया जा रहा है यह इस बात से ही सिद्ध होता है कि वर्ष 2014-15 में जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी तब ग्रामीण इलाकों में केवल 10/11 लाख मकान प्रतिवर्ष बने थे जो प्रति वर्ष बढ़ते बढ़ते पिछले

वर्ष तक 47 लाख मकान प्रतिवर्ष की संख्या तक पहुँच गए। अतः योजना का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छा रहा है। मकान निर्माण के मामले में चार वर्षों में चार गुना से ज्यादा के आँकड़े पर आ गए है। पूरे तंत्र, ग्राम स्तर से उच्चतम स्तर तक, का ही सहयोग उच्च स्तर का रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष 60 लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। उक्त योजना के अंतर्गत आवासों को प्रदान करने हेतु हितग्राहियों का चयन भी तय किए गए मानकों के आधार पर ही उचित तरीके से किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं हितग्राही स्वयं भी इन मकानों में पैसा लगाते हैं। अतः सभी के बीच सामंजस्य होना अनिवार्य है। उक्त योजना को लागू करने में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कठिनाई नहीं आई है। हितग्राही आधार नम्बर से लिंकड रहते हैं अतः एक व्यक्ति को एक ही मकान मिल पाता है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को मैदानी इलाकों में रुपए 1.20 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है एवं पहाड़ी इलाकों में रुपए 1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, मनरेगा योजना के अंतर्गत 90/95 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है एवं रुपए 12,000 की राशि शौचालय का निर्माण किए जाने हेतु प्रदान की जाती है। यह सब मिलाकर रुपए 1.50 लाख अथवा रुपए 1.60 लाख होता है। इसके अतिरिक्त हितग्राही स्वयं भी करीब करीब रुपए 50 से 60 हजार का खर्चा करता है। इस प्रकार, कुल मिलाकर रुपए दो लाख में प्रत्येक हितग्राही को एक घर मिल जाता है।

देश में जिस तेजी से मकानों का निर्माण किया जा रहा है उसी तेजी से हितग्रहीयों को उपलब्ध कराए जाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। अतः 2022 तक आवास न केवल बनकर तैयार हों बल्कि हितग्राहियों को सौंप भी दिया जाय। हालाँकि सरकार का भी इस ओर पूरा ध्यान है क्योंकि केंद्र सरकार ने मकान के निर्माण सम्बंधी पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करा रखी है जिसे कोई भी व्यक्ति ट्रैक कर सकता है कि वह घर विशेष किस स्टेज पर है। साथ ही लोगों का चयन भी पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और इस बात की पूरी पूरी सम्भावना है कि ये सभी घर लोगों को समय पर सौंप दिए जाएँगे। इन योजनाओं को समय पर पूरा करने में विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी ओर से भरपूर सहयोग प्रदान कर रही हैं। 60:40 के अनुपात में केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। यह देश में सहयोगात्मक संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्रामीण इलाकों में तो लोग स्वयं ही मकानों का निर्माण कर रहे हैं अतः निर्धारित लक्ष्य समय पर हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से भी इस योजना को समय पर पूरा करने की दृष्टि से वित्त की कमी बिल्कुल नहीं आने दी जा रही है। लोगों के जमीन सम्बंधी अभिलेख भी राज्य सरकारों द्वारा ठीक कर-के दिए जा रहे हैं। ये मकान विशेष रूप से महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इन मकानों को शहरों के एकदम पास में बनाया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण इलाकों से लोगों का पलायन बहुत भारी मात्रा में हो रहा है एवं इन्हें शहरों के पास ही बसाया जा रहा है। इससे शहर की आधारिक संरचना पर अतिरिक्त दबाव को भी कम करने में मदद मिल रही है। शहरों से गंदी बस्तियों को भी हटाया जा रहा है तथा इन निवासियों को शहरों के पास बनाए जा रहे मकानों में शिफ़्ट करने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के नागरिकों के साथ-साथ देश के सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, ट्रांसपोर्ट उद्योग, सहायक उद्योग, आदि को भी हुआ है। साथ ही, रोजगार के अवसरों का निर्माण भी हुआ है। इतने अधिक मात्रा में निवासों के निर्माण के कारण बाजार में मकानों की कीमतों में वृद्धि पर भी अंकुश बना रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो मकानों को मुख्यतः महिलाओं के नाम पर ही रजिस्टर्ड किया जा रहा है जिससे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। ■

नई मंजिल

अब श्यामली भी एक प्रशासनिक अधिकारी होगी। आखिर श्यामली ने जो कहा था वह कर दिखाया। रंजीत और नेहा दोनों बहुत खुश हैं। यूं तो समाचार पत्र में यह खबर देखने से पहले ही श्यामली ने इस बारे में बता दिया था, पर जब से यह खबर देखी है, दोनों के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है। अब वह नेहा के तैयार होने का इंतजार कर रहा है, ताकि दोनों श्यामली से मिल आएं। फोन पर श्यामली की आवाज में कितने अर्से बाद बेतहाशा खुशी सुनाई दे रही थी।

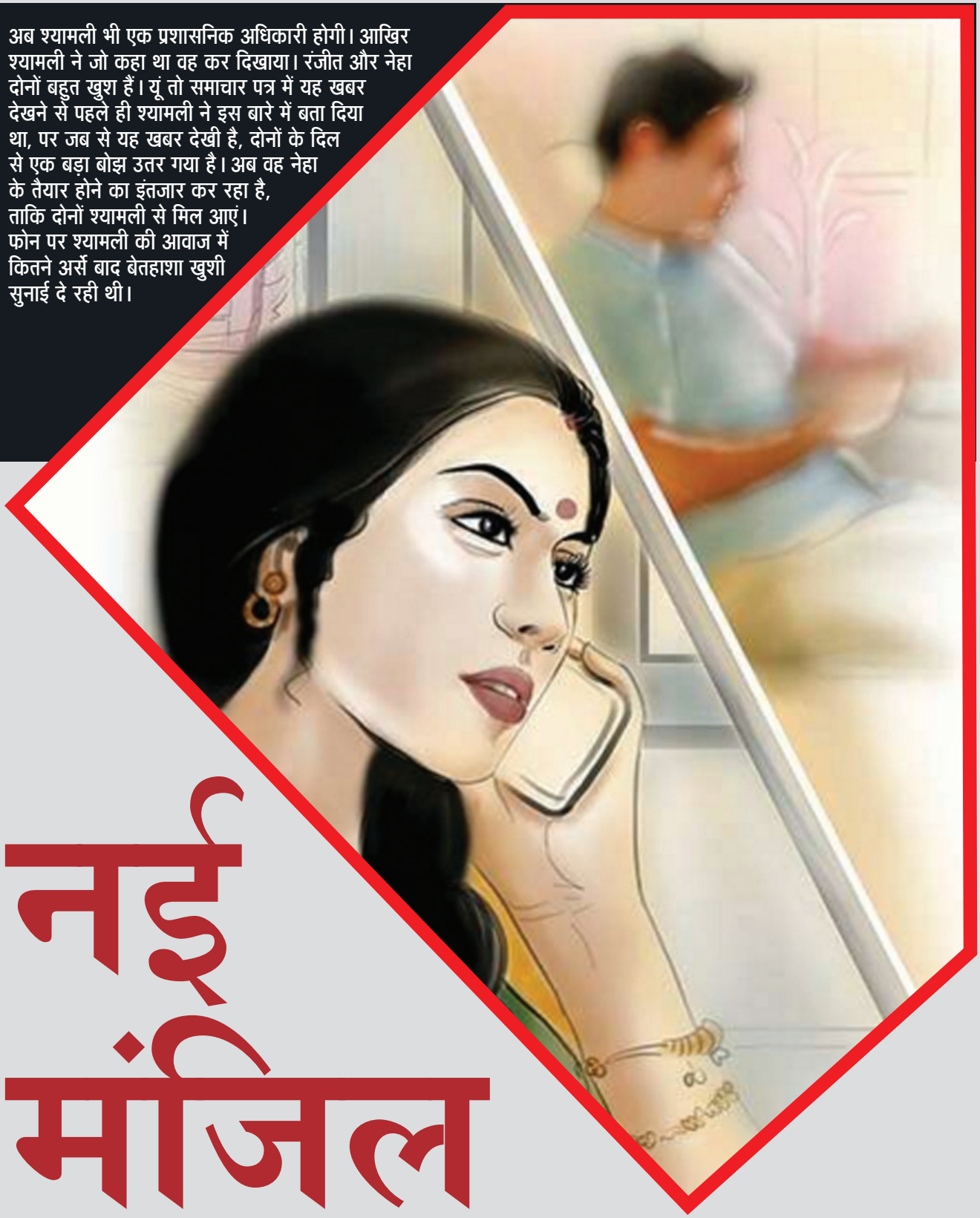

मदन कोथुनिया

देखो भैया, मैंने कहा जो था वो कर दिखाया। अब मैं भी कामयाब हूं, चहकते हुए फोन पर कहा श्यामली ने। हां, श्यामली तुमने साबित कर दिया और यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है, जो तुम्हें इस मंज़िल तक लेकर आया है, रंजीत ने उसका हौसला बढ़ाया। बस, यह कह देने से ही नहीं चलनेवाला भैया। आपको और भाभी को घर आना है, मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए, श्यामली के आग्रह में थोड़ा लाड़ भी था। आ रहे हैं श्यामली। अगले घंटेभर में तुम्हारे पास ही होंगे। इस संक्षिप्त-सी बात के बाद फोन कट गया था। वह तो कब से तैयार हो गया है, पर नेहा अब तक तैयार नहीं हुई है। नेहा का इंतजार करते हुए रंजीत सोफे पर बैठे-बैठे अतीत में पहुंच गया। उसे वह दिन याद आ गया, जब वह ऑफि स में था और उसे श्यामली के बारे में जो खबर मिली थी, उससे वह बेचैन हो गया था। फिर किसी काम में मन नहीं लगा तो उसने बॉस से जल्दी घर जाने की अनुमति ली। असित श्यामली के साथ ऐसा करेगा वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। श्यामली उसके बचपन के दोस्त विकास की छोटी बहन है। वर्षों पहले एक एक्सीडेंट में विकास नहीं रहा था, तब से रंजीत ने श्यामली की देखभाल बिल्कुल एक भाई की तरह ही की है। उसने इस बात को ध्येय बना लिया कि श्यामली और उसकी मां को विकास की कमी महसूस न होने पाए। नेहा ने भी तो हमेशा इस रिश्ते को निभाने में अपने हिस्से का पूरा योगदान दिया है। जब घर पहुंचकर उसने नेहा को इस खबर के बारे में बताया था तो नेहा भी भौचक्की रह गई थी। असित ऐसा करेगा, ये तो कोई भी नहीं सोच सकता था।

क्या कह रहे हो तुम, असित ऐसा कैसे कर सकता है? क्या कुछ नहीं किया श्यामली ने उसके लिए, नेहा तो जैसे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकी थी। हां, पर यही हुआ है। क्या कर सकते हैं? आजकल किसी का भरोसा ही नहीं रहा। चलो तैयार हो जाओ श्यामली के पास चलते हैं, उसे हमारी जरूरत महसूस हो रही होगी। हां चलो, कहकर नेहा उसके साथ चल पड़ी थी तुरंत। श्यामली के पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब विकास भी ऐक्सिडेंट के दौरान नहीं रहा तो उसके परिवार के सामने मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा। अब श्यामली को अपनी मां के साथ-साथ खुद को भी संभालना था। उन दिनों वह कॉलेज में पढ़ रही थी। शुरू-शुरू में तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटी-मोटी नौकरियां करने लगी। कुछ दिन बाद उसे एक डॉक्टर के क्लीनिक में रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल गया। उसने इस काम के साथ अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में जारी रखी। रंजीत से जितनी मदद हो सकी उसने की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब श्यामली को एक निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई तो नेहा और रंजीत दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि अब यह परिवार संभल जाएगा। नौकरी लगने के बाद भी श्यामली रुकी नहीं उसने आगे बढ़ने की अपनी कोशिशें जारी रखी। उसने कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ले लिया। इसके बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में अतिरिक्त काम करने लगी, जिससे कुछ आय और होने लगी। नेहा और रंजीत ने इस बीच एक-दो बार उसके विवाह के संबंध में बात चलाई, पर उसने मना कर दिया था। उसका कहना था,अभी उसे कुछ बनना है। फिर मां की ज़िम्मेदारी भी तो है और वह किसी ऐसे लड़के से ही शादी करेगी, जो मां को उनके साथ ही रखने तैयार हो। उसके मन की बात जानकर रंजीत और नेहा ने इस बात को दोबारा नहीं उठाया। श्यामली और उसकी मां से बीच-बीच में मुलाकातें होती रहीं और समय गुजरता रहा। चलिए। कहां खो गए आप? नेहा की आवाज ने रंजीत को अतीत से बाहर खींचा और कुछ ही देर बाद रंजीत और नेहा स्कूटर से श्यामली के घर की ओर जा रहे थे। श्यामली का घर शहर के दूसरे छोर पर है। लंबा रास्ता और ट्रैफि क। इसे पार करके वहां तक पहुंचने में करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है। स्कूटर की गति के साथ रंजीत के विचारों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था।

> “यह सुनकर नेहा तो गुस्से से लाल-पीली हो गई थी,असित ऐसा कैसे कर सकता है? भूल गया क्या श्यामली की वजह से ही आज वह कुछ बन पाया है। थोड़ी देर बाद जब श्यामली बाहर आई तो दु:खी लग रही थी, पर गंभीर भी थी। नेहा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बात शुरू की,श्यामली अब, छोड़ना नहीं है उस कृतघ्न इंसान को। और घबराना भी नहीं। तेरे भैया और मैं किसी अच्छे वकील से बात करेंगे।”

फिर एक दिन श्यामली ने ही उन्हें असित के बारे में बताया। असित से उसकी मुलाकात काम के सिलसिले में कम्प्यूटर सेंटर पर हुई थी। असित भी उसी की तरह जीवन में संघर्ष कर रहा है। काम भी कर रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। वह बहुत मेहनती है, यह बताते हुए जिस तरह से वह असित की तारीफों के पुल बांध रही थी, उससे उन दोनों को लगा कि श्यामली उसे पसंद करती है। उस बात के कुछ महीनों बाद श्यामली ने उन्हें अपना फैसला बताया कि वह असित से शादी करना चाहती है और मां उन्हीं के साथ रहेंगी। उसके इस निर्णय से वो दोनों बहुत खुश थे कि चलो अब श्यामली का घर बस जाएगा। कुछ दिन बाद श्यामली और असित वैवाहिक बंधन में बंध गए। कितनी खुश थी उस दिन श्यामली! वह और नेहा इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि अब श्यामली के संघर्ष का दौर समाप्त हो जाएगा। असित और वह दोनों मिलकर सब मुश्कि लों से पार पा लेंगे। पर कुछ दिनों बाद जब श्यामली उनसे मिली तो पता चला श्यामली का संघर्ष तो और भी बढ़ गया है। उसने बताना शुरू किया,भैया, असित का शुरू से ही सपना है कि वह एक बड़ा अधिकारी बने। उसने मुझे अपना सपना बताया और अब मैंने भी उसके सपने को अपना सपना बना लिया है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा हम करेंगे। पर श्यामली ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है और पैसा भी, रंजीत ने समझाया था। हां भैया, हम जानते हैं, पर हम दोनों मिलकर कर लेंगे।

श्यामली के इस जवाब ने आश्वस्त कर दिया था उसे तो उसने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी और प्रार्थना भी की कि ईश्वर श्यामली का सपना पूरा कर दे। श्यामली अब फिर से एक बार जोर-शोर से काम में जुट गई। सुबह से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दिन में स्कूल जाना, रात को कम्प्यूटर सेंटर का जॉब लगातार।।वह इन सबके बीच चकरघिन्नी-सी घूमने लगी। दिन हो या रात उसकी आंखों में बस एक वही सपना बसा रहता। और फिर खर्चा भी तो काफी था। प्रतियोगी-परीक्षाओं की किताबें खरीदना, कोचिंग की फीस देना। इन सबको जुटाने में श्यामली ने अपने को झोंक-सा दिया। उसे न अपना ध्यान रहता और न अपने स्वास्थ्य का। जब भी मिलती तो वह बेहद अस्त-व्यस्त रहती। जल्दी-जल्दी बात करती। असित तो लगातार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटा रहता, बहुत कम ही दिखाई देता। नेहा जब भी श्यामली के घर जाती उनकी मां से ही बात कर पाती।

फिर वह दिन भी आ गया जब श्यामली और असित की मेहनत सफल हो गई। असित चुन लिया गया। अब वह राज्य सरकार का एक अधिकारी बन जाएगा-यह खबर फोन पर सुनाते समय श्यामली की आवाज खुशी में समुद्र के ज्वार-भाटे जैसी महसूस हो रही थी, जैसे वह खुशी के मारे सातवें आसमान पर हो।

फिर श्यामली और असित ने इस सफलता की खुशी में अपने घर एक छोटी-सी पार्टी रखी। पार्टी में उन लोगों ने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था और रंजीत और नेहा भी उन्हीं में से थे। पार्टी में सबसे ज्यादा श्यामली ही चमक-दमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो असित नहीं, बल्कि वह इस पद के लिए चयनित हुई है। और यही होना भी चाहिए था, क्योंकि असित ने भले ही पढ़ाई की हो पर श्यामली ने इस सब के लिए जी-जान से मेहनत की थी। असित भी पूरी विनम्रता से अपनी इस उपलब्धि का श्रेय श्यामली को ही दे रहा था। उस पूरी शाम प्रसन्नचित्त श्यामली मेहमानों को मनुहार कर के अच्छी तरह भोजन करा रही थी। मेहमानों के जाने के बाद उसने बताया अब असित को छह माह के प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना होगा।

और असित के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मिली थी वह मनहूस खबर। खबर क्या थी वज्रपात-सा था। असित श्यामली से संबंध-विच्छेद चाहता था। श्यामली इस धक्के को कैसे सहन कर पाई होगी यह ख़्याल दोनों पति-पत्नी को बार-बार कचोट रहा था। जब वे श्यामली से मिलने पहुंचे तो श्यामली के मां ने बताया-ट्रेनिंग के दौरान असित को लगने लगा कि अब वह एक बड़ा अधिकारी बन गया है। उसका सामाजिक स्तर बढ़ गया है। इस स्तर पर अब उसका और श्यामली का मेल नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान उसकी अपनी एक महिला साथी अधिकारी से नजदीकियां बढ़ गईं तो स्तरों में अंतर का यह अहसास और तीव्रता से बढ़ गया। जब ट्रेनिंग के बीच से वह पिछली बार दो दिन के लिए घर आया तो उसने श्यामली से साफ-साफ कह दिया कि वह अब अलगाव चाहता है। उसकी आगे की चमकदार ज़िंदगी में एक मामूली स्कूल टीचर के लिए कोई स्थान नहीं है। श्यामली तो सदमे के कारण कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे सकी।

यह सुनकर नेहा तो गुस्से से लाल-पीली हो गई थी,असित ऐसा कैसे कर सकता है? भूल गया क्या श्यामली की वजह से ही आज वह कुछ बन पाया है। थोड़ी देर बाद जब श्यामली बाहर आई तो दुःखी लग रही थी, पर गंभीर भी थी। नेहा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बात शुरू की,श्यामली अब, छोड़ना नहीं है उस कृतघ्न इंसान को। और घबराना भी नहीं। तेरे भैया और मैं किसी अच्छे वकील से बात करेंगे। और भी बहुत कुछ कहा था नेहा ने। श्यामली जानती थी कि हम उसके हितैषी हैं। वो चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए हमारी बात सुनती रही। मैंने भी कहा,श्यामली तुम बिल्कुल मत घबराना। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं।

मेरी बात सुनकर पहले तो श्यामली के चेहरे पर आश्वस्ति के भाव आए। वो धीमे और दृढ़ स्वर में बोली,भैया और भाभी, मैं दुखी तो हूं, पर असित के इस तरह के व्यवहार से टूटी नहीं हूं। अब भी मजबूती से जमीन पर खड़ी हूं। हमको जीवन बहुत से सबक सिखाता है। यह भी एक सबक है मेरे लिए। उसे तलाक चाहिए तो उसे तलाक मिलेगा, क्यों उसे मजबूर किया जाए मेरे साथ रहने? और भैया, क्या आप सोचते हैं कि आपकी श्यामली इतनी कमजोर है? जब वो किसी को कुछ बनाने का दमखम रखती है तो खुद भी कुछ बन सकती है। असित को उसकी मंज़िल तक पहुंचा सकती है तो खुद अपने बलबूते उस मंज़िल पर पहुंचने का साहस भी रखती है। और अब असित ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि यह श्यामली क्या कर सकती है। श्यामली के शब्दों की मजबूती और उनमें पगे विश्वास ने उसकी और नेहा के चिंता के बादलों को उड़ा दिया था। श्यामली एक बार फिर जी-जान से जुट गई। पहली बार अपने खुद के लिए। पिछले सालभर में उसने दिन रात एक कर उसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। और आज नतीजा सामने था। उसका चयन हो गया था। पिछली बातों को याद करते-करते नेहा और वह कब श्यामली के घर के सामने पहुंच गए उसे पता ही नहीं चला। मुझे और नेहा को अपनी इस बहन पर हमेशा से नाज था और आज की तो बात ही और थी! मेरे स्कूटर रोकते ही नेहा ने जल्दी से श्यामली के घर की बेल बजा दी। ■

> “फिर एक दिन श्यामली ने ही उन्हें असित के बारे में बताया। असित से उसकी मुलाकात काम के सिलसिले में कम्प्यूटर सेंटर पर हुई थी। असित भी उसी की तरह जीवन में संघर्ष कर रहा है। काम भी कर रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। वह बहुत मेहनती है, यह बताते हुए जिस तरह से वह असित की तारीफों के पुल बांध रही थी, उससे उन दोनों को लगा कि श्यामली उसे पसंद करती है।”

चिकित्सा का बाजारीकरण

जब शारीरिक रूप से व्यक्ति की तकलीफ बढ़ जाती है तब वह निदान के लिए पूरे विश्वास के साथ अस्पताल की ओर रुख करता है। लेकिन, पैसे बनाने के चक्कर में डाक्टर ही मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे तो? चिकित्सा के बाजारीकरण में आज ऐसा ही हो रहा है। रमा को बहुत दिनों से कमरदर्द हो रहा था। पेनकिलर खा कर वह काम करती रहती। जब औफिस आनाजाना भी दूभर होने लगा और सीढ़ियां चढ़नाउतरना मुश्किल हो गया तो एक अस्पताल में दिखाने गई। डाक्टर ने तुरंत ऐडमिट होने की सलाह दी। एक्सरे किया गया। डाक्टर ने कहा कि कुछ डाउट्स हैं और उन्हें क्लीयर करने के लिए एमआरआई कराना जरूरी है। इस के लिए दूसरी पैथोलौजी लैब में जाना था जहां ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी अस्पताल की थी। एमआरआई के लिए 17 हजार रुपए वसूले गए। रिपोर्ट आने पर डाक्टर तरहतरह के सवाल करने लगे। वे बोले, कुछ गांठें दिख रही हैं। सीरियस मामला है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पैट स्कैन करवाना पड़ेगा। यह 23 हजार रुपए में होता था।

रमा बुरी तरह से डर गई थी। अस्पताल से तो छुट्टी दे दी गई। पैट स्कैन करवाया गया तो वहीं के डाक्टर ने कहा कि आप किसी औनकोलौजिस्ट से जा कर मिलें। कैंसर के लक्षण हैं और पूरे शरीर में गांठें हैं। रमा और उस के पति व बेटा, व नातेरिश्तेदार, जिन्होंने भी यह बात सुनी, सकते में आ गए। इस बीच यह भी पता चला कि जिस अस्पताल ने उस पैथ लैब में भेजा था, उस के साथ कमीशन तय था और वह भी बड़ी मात्रा में। लगभग 10-12 हजार रुपए। फिर शुरू हुआ डाक्टरों के पास जाने का दर्दनाक सिलसिला। रमा पहले एक अस्पताल में गई जहां औनकोलौजिस्ट ने कहा कि उन्हें तो ब्रेस्ट कैंसर लग रहा है जबकि वहां एक भी लम्प नहीं था। मैमोग्राफी कराई गई जो ठीक थी, पर फिर भी अल्ट्रासाउंड किया गया। सब ठीक था तो उन्होंने कहा कि बायोप्सी करेंगे। सैकंड ओपिनियन के लिए उसी दिन रमा एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल में गई। वहां के सीनियर डाक्टर ने कहा कि लास्ट स्टेज है, तुरंत ऐडमिट हो जाएं। ब्रेस्ट रिमूव करेंगे। मैमोग्राफी की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। रमा वहां से चली आई पर उस के बाद यह पता लगाने के लिए कि कहां का कैंसर है, बायोप्सी, एंडोस्कोपी सब हुई। 6 महीनों तक वह घूमती रही। फिर जा कर पता लगा कि उस की हड्डियां कमजोर हो गई हैं और उन में इंफैक्शन हो गया है जिस की वजह से दर्द रहता है। एक साल दवाई खाने के बाद वह बिलकुल ठीक हो गई। इस बीच, उस ने डाक्टरों के मनमाने टैस्ट कराना, इमोशनली मरीजों से खेलना और उन्हें डरा कर टैस्ट कराते जाना सब देखा। डाक्टरों के लिए जरूरी होता है कि वे महीने में इतने टैस्ट कराएं। इस के हिसाब से उन्हें फिर महीने में ऐक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अपना पैसा बनाने के लिए डाक्टर मरीज को अपने चंगुल में फंसाने की बाबत कई पैतरे चलते हैं। रमा का अब डाक्टरों पर से भरोसा उठ गया है। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी गब्बर रिटर्न्स और फिर फिल्म लाल रंग। ये फिल्में अस्पतालों में होने वाले करप्शन की कहानी उजागर करती हैं। गब्बर

रिटर्न्स में दिखाया गया था कि अस्पताल पैसा कमाने के लिए इलाज करने को किस तरह एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करता है। अस्पतालों के डाक्टरों को रोगियों के जीवन या मौत से सरोकार नहीं होता। हौस्पिटल मैनेजमैंट के भारी दबाव में डाक्टर काम करते हैं। अस्पतालों के बिजनैस में पैसा लगाने वाले बड़े पूंजीपति या राजनेता होते हैं या उन के संबंध बड़े राजनेताओं से होते हैं इसलिए उन्हें डर नहीं होता। एक डाक्टर मित्र जो पांचसितारा अस्पताल में काम करते थे, ने बताया कि उन के यहां हरेक को महीने का कोटा पूरा करना होता है कि कितने लैबोरेटरी टैस्ट, कितने स्कैन, कितने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। ऐसे में कुछ अनावश्यक टैस्ट करवाने ही पड़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बात केवल कोटे की नहीं, अगर बहुत से टैस्ट व दवाएं न हों, तो लोग मानते ही नहीं कि डाक्टर अच्छे हैं। उपभोक्तावाद के प्रभाव से अब चिकित्सा संस्थान भी अछूते नहीं रहे। आज के समय में स्वास्थ्य क्षेत्र को सब से मुनाफे वाले व्यापार के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यह मुनाफा क्षेत्र अब लूट और शोषण का क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है, या यह कहें कि लूट का जरिया बन चुका है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और इस के लिए जितने चाहे पैसे खर्च करने को तत्पर रहता है। हमारे देश में इन दिनों मध्य व उच्च श्रेणी के निजी नर्सिंगहोम व निजी अस्पतालों से ले कर बहुआयामी विशेषता रखने वाले मल्टी स्पैशलिटी हौस्पिटल्स की बाढ़ सी आई हुई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व गुजरात जैसे आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों से ले कर ओडिशा, बिहार व बंगाल जैसे राज्यों तक में भी ऐसे बहुसुविधा उपलब्ध करवाने वाले अस्पतालों को देखा जा सकता है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले इन अस्पतालों को संचालित करने वाला व्यक्ति या इस से संबंधित ग्रुप कोई साधारण व्यक्ति या ग्रुप नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसे अस्पताल न केवल धनाढ्य लोगों द्वारा खोले जाते हैं बल्कि इन के रसूख भी काफी ऊपर तक होते हैं। इतना ही नहीं, बड़े से बड़े राजनेताओं व अफसरशाही से जुड़े लोगों का इलाज करतेकरते साधारण अथवा मध्य या उच्चमध्य श्रेणी के मरीजों की परवा करना या न करना ऐसे अस्पतालों के लिए कोई माने नहीं रखता। यदि ऐसे कई बड़े अस्पतालों की वैबसाइटें खोल कर देखें या इन अस्पतालों के भुक्तभोगी मरीजों द्वारा सा झे किए गए उन के अनुभवों पर नजर डालें तो आप को ऐसे अस्पतालों की वास्तविकता व इन विशाल गगनचुंबी इमारतों के पीछे का भयानक सच पढ़ने को मिल जाएगा। पिछले दिनों मनीश गोयल नामक एक नवयुवक ने दिल्ली के शालीमार बाग स्थित एक अस्पताल के अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर एक वीडियो द्वारा सा झा किया। उस ने बताया कि 19 जून, 2017 को उन के रिश्तेदार को बाईपास सर्जरी के बाद डिस्चार्ज किया जाना था। अस्पताल से उस औपरेशन का पैकेज बाईपास सर्जरी की फीस के साथ 2 लाख 2 हजार रुपए में तय हुआ था। हालांकि, मरीज अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था तथा उस के परिजन अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नहीं थे और मरीज को अन्यत्र स्थानांतरित करना चाह रहे थे। यह जान कर अस्पताल ने 5 लाख 61 हजार रुपए का बिल मरीज के घरवालों को पकड़ा दिया। किसी कारणवश 19 जून के बाद मरीज ने अपना इलाज इसी अस्पताल में एक सप्ताह और कराया। ■

वजन घटाने में मददगार है डॉल्फिन पोज और हाफ बोट योगा

अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हर साल के इस समय में भारत के ऋषिकेश में दुनिया भर के योग उत्साही लोग जुटते हैं और खुद को योग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऋषिकेश को योग की जन्मभूमि और दुनिया की योग राजधानी माना जाता है। योग आद लगभग हर बीमारी के इलाज में एक बेहद सफल विकल्प के रूप में शामिल हो गया है। पर आज हम बात वजन घटाने की करेंगे। बहुत से लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान होते हैं और अक्सर वजन घटाने के लिए लोग इसके अलग-अलग प्रकारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी वजन घटाने के लिए योग का अभ्यास शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको वजन घटाने के लिए रोजमर्रा के जीवन में किए जाने वाले योगा से कुछ अलग प्रकार के योग अभ्यासों को बताएंगे।

अर्ध नवासना (हाफ बोट योगा)

यह मुद्रा आपके पेट को कम करने के लिए सीधे काम करती है। उत्तानासन और अधो मुख संवासन इसके प्रारंभिक चरण हैं। एक बहुत ही कॉम्पैक्ट नाव जैसे अपने आप को बनाइए। इसमें आपके पेट पर खिंचाव आपके वसा को मांसपेशियों में परिवर्तित करके पेट बनाने में मदद करता है क्योंकि यह शरीर की चयापचय दर को उत्तेजित करता है। हाफ बोट पोज युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह शरीर को टोन करता है। अपने पैरों, नितंबों, बाहों और मुख्य रूप से पेट से अपने अस्वास्थ्यकर फैट को पिघलाने के लिए ये योगा आपकी मदद कर सकता है। यह पेट, पेट के निचले स्तंभ, हिप फ्लेक्सर्स को मजबूत करता है। वहीं ये बैली फैट को भी कम करने में भी मदद करता है। इसके साथ ये तनाव को दूर करता है और पाचन वृद्धि में सुधार करता है।

अंजनाशाना (लुंज)

यह क्रीसेंट मून पोज आधुनिक योग में खड़े होकर झुकने वाला आसन है। इसे देसी भाषा में हनुमानासन भी कहा जाता है। यह फेफड़े कंधे और छाती को खोलता है। इस आसान में आपका पेट सीधे रहता है और इस तरह दवाब पड़ने से शरीर का फैट जलाने में मदद करता है। इस तरह ये आपके शरीर को टोन करता है और आपको

पतला बनाने में मदद करता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इससे आपके घुटने भी सही रहते हैं। जिन लोगों को घुटने के दर्द से जुड़ी परेशानी होती है उनके लिए ये योगासन रामबाण इलाज साबित हो सकता है।

उत्कटासन या कुर्सी मुद्रा

उत्कटासन का शाब्दिक अर्थ है गहन आसन या शक्तिशाली आसन। यह मुख्य रूप से आपकी जांघों को लक्षित करता है और यह आपके दिल को जल्दी से पंप करता है, जो बहुत अधिक कैलोरी जलाने में मदद करता है। जब तक आप ये करते हैं, तो ये शरीर में कैलोरीज को बर्न करने में मदद करते हैं। इसमें आपको कुर्सी मुद्रा में बैठना है और कुछ देर के लिए इसा मुद्रा में ही रूके रहना है। हर दिन इसे सुबह या शाम में 10 मिनट करने से आपके वजन पर इसका फर्फ नजर आएगा।

अर्ध पिंचा मयूरासन या डॉल्फिन पोज

यह मुद्रा कंधों, ऊपरी पीठ और पैरों को फैलाती है। ये आपके पेट को कम करने के साथ शरीर रे बाकी हिस्सों को भी मजबूत करने में भी मदद करती है। यह मुद्रा न केवल कैलोरी बर्न करती है बल्कि आपके पूरे शरीर को एक बैलेंस भी प्रदान करती है। इसके फायदों की बात करें, तो मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव और हल्के अवसाद को दूर करने में मदद करता है। कंधों, हैमस्ट्रिंग और मेहराब को खींचता है और हाथ और पैर को मजबूत बनाता है। वहीं महिलाओं में मेनोपॉज के लक्षणों को दूर करने में भी ये योग मदद करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है और पाचन संबंधी परेशानियों सुधार करने में भी मदद कर सकता है। ■